साठवीं
वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

वी.एन.आय.टी. गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,

नागपुर– 440 033.

बोर्ड के उद्देश्य

- श्रमिकों के सभी वर्गों में, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, देशभक्ति, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता, सौहार्द्र, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, धर्म–निरपेक्षता तथा भारतीय होने के स्वाभिमान की भावना को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों के सभी वर्गों को, जिनमें ग्रामीण तथा महिला श्रमिक भी शामिल हैं, राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उनकी अभिज्ञ सहभागिता के लिए उनके उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार तैयार करना;
- श्रमिकों में उनके सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और नागरिकों के रूप में, उद्योग में श्रमिक के रूप में, अपने श्रम संघ के सदस्य एवं पदधारी के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक समझबूझ का विकास करना;
- समय–समय पर देश की चुनौतियों का सामना करने हेतु सभी पहलुओं में श्रमिकों की क्षमता का विकास करना;
- अधिक प्रबुद्ध सदस्यों तथा बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से शक्तिशाली, एकीकृत एवं अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना तथा श्रमिक संघ आंदोलन में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों को संगठन के कर्मचारियों के रूप में अधिकार देना तथा सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में श्रमिकों में अपनत्व की भावना का विकास करना;
- रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने एवं सतत् उन्नयन के साधनों तक पहुँचने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्य

- ग्रामीण श्रमिकों के बीच उनके सामाजिक, आर्थिक वातावरण की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण जागरूकता एवं उनके विशेषाधिकारों और दायित्वों को श्रमिकों के रूप में, ग्राम समुदाय के सदस्यों के रूप में तथा नागरिकों के रूप में बढ़ावा देना।
- ग्रामीण श्रमिकों को आत्मविश्वास की रक्षा के लिए शिक्षित करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना।
- ग्रामीण श्रमिकों को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक हितों की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने में उन्हें शिक्षित करना।
- ग्रामीण श्रमिकों को उनके संगठन को विकसित करने में शिक्षित करना, जिसके माध्यम से वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक कार्य एवं उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं और सभी धर्मों के लिए सम्मान और अर्जित धन का समान वितरण के लिए ग्रामीण समाज के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी को सुदृढ़ करना।
- ग्रामीण श्रमिकों को परिवार कल्याण योजना तथा सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करना।

साठवीं
वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा
2018-2019

श्रम एव जयते

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवंम विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

वी.एन.आय.टी. गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,

नागपुर– 440 033

हमारे मार्गदर्शक 2018–2019

श्री संतोष कुमार गंगवार
मान. श्रम मंत्री,
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)

श्री हीरालाल समरिया, भा.प्र.से.
सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

श्री हिरण्मय पंड्या
अध्यक्ष
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.

सुश्री अनुराधा प्रसाद, भार.ले.से.
अपर सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

सुश्री सिबानी स्वैन
अपर सचिव/वित्तीय सलाहकार,
आई.ई.एस.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

श्री हर्ष वैद्य, भार.ले.से.
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत)

31 मार्च, 2019 को बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष

श्री हिरण्मय जे. पंडया, अध्यक्ष

भारत सरकार के प्रतिनिधि

सुश्री अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

सुश्री सिबानी स्वैन, वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्री एस. पी. छेत्री, एस.सी.एस., श्रम सचिव, सिक्किम सरकार, श्रम विभाग, गंगटोक

श्री सरमद हाफीज (भा.प्र.से.), श्रम आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, श्रम भवन, जम्मू

प्रधान सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

श्री नीरभ कुमार प्रसाद (भा.प्र.से.), श्रम सचिव अथवा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार, प्रशिक्षण एवं फैक्टरीज़ विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद

श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि

श्री जगदीश जोशी, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री सुधाकर आर. अपराज, महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लाईज यूनियन, पोर्ट ट्रस्ट कामगार सदन, मुंबई, हिन्द मजदूर सभा

श्रीमती बी.वी. विजयालक्ष्मी, सचिव, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस, हैदराबाद

श्री ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय यूनाइटेड श्रमिक संघ केंद्र, आयटक, कोलकाता

नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि

श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव, लघु उद्योग भारती, भोपाल

प्रो. डॉ. सौरभ अग्रवाल, एसोचैम, प्रोफेसर, लेखांकन एवं वित्त तथा विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक), भारतीय वित्त संस्थान, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

श्री के. मानिक्क्म, महासचिव, भारतीय नियोक्ता परिषद (सीआईई), दक्षिण भारत नियोक्ता परिसंघ, चेन्नै

श्री बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, फिक्की, फेडरेशन हाऊस, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन, नई दिल्ली

श्री एम. एल. शर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय निर्माता संगठन, दिल्ली राज्य बोर्ड, जीवन सहकार, मुंबई

श्री सतीश घोगरे, सह अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, पश्चिम क्षेत्र, औद्योगिक सम्बन्ध उप समिति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डिया हैबिटैट सेण्टर, नई दिल्ली

शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि

श्रीमती मंत्री कलावती, कवाडिगुडा, सिकन्दराबाद, तेलंगाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रतिनिधि

प्रोफेसर सुहास पेडनेकर, कुल सचिव, मुंबई विश्वविद्यालय

पदेन सदस्य सचिव

श्री हर्ष वैद्य, महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

31.03.2019 को शासी निकाय

अध्यक्ष

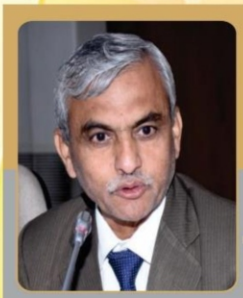

श्री हिरण्मय पंड्या
अध्यक्ष
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.

उपाध्यक्ष

सुश्री अनुराधा प्रसाद
भार.ले.से., अपर सचिव,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

श्री. सुधाकर आर. अपराज
महासचिव,
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट,
हिंद मजदूर सभा

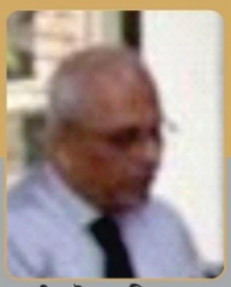

श्री. के. मानिक्कम
महासचिव,
भारतीय नियोक्ता परिषद,
दक्षिण भारतीय नियोक्ता परिसंघ

सदस्य

सुश्री सिबानी स्वैन
अपर सचिव/वित्तीय सलाहकार,
आई.ई.एस.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

श्री. कृष्ण प्रताप सिंह
महासचिव,
भारतीय मजदूर संघ
म.प्र.

डॉ. बी.वी. विजयालक्ष्मी
अखिल भारतीय श्रमिक
संघ काँग्रेस

श्री जितेंद्र गुप्ता
राष्ट्रीय महासचिव,
लघु उद्योग भारती,
नई दिल्ली

प्रा. डॉ. सौरभ अग्रवाल
एसोचैम, प्रोफेसर, लेखांकन व वित्त
एवं डीन (शैक्षणिक)
भारतीय वित्त संस्थान,
नोएडा, उ.प्र.

श्री हर्ष वैद्य
महानिदेशक,
भार.ले.से.,
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.

श्री. आशुतोष अवस्थी
श्रम आयुक्त,
श्रम सचिव के प्रतिनिधि,
मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल

श्री. नीरव कुमार प्रसाद
भा.प्र.से., विशेष मुख्य सचिव,
श्रम एवं रोजगार प्रशिक्षण,
एवं कारखाना विभाग,
आन्ध्रप्रदेश सरकार, गुंटूर

31 मार्च, 2018 को वित्त समिति के सदस्य

अध्यक्ष

श्री हिरण्मय पंडया, अध्यक्ष

सदस्य

सुश्री अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

सुश्री सिबानी स्वैन, वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री जगदीश जोशी, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर सभा

प्रो. डॉ. सौरभ अग्रवाल, एसोचैम

सुश्री बी.वी. विजयालक्ष्मी, सचिव, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस

श्री हर्ष वैद्य, महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

वित्त समिति की बैठक

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई में बोर्ड की वित्त उप समिति की 62वीं बैठक दिनांक 16.10.2018 को आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बोर्ड की वार्षिक लेखा को वित्त उप समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और उसे लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया।

वित्त एवं लेखा

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बोर्ड द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पिछले वर्ष की अव्ययित राशि रुपये 4.97 करोड़ सहित रुपये 79.55 करोड़ सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। बोर्ड ने 76.09 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

****** ******

- अनुक्रमणिका -

क्रमांक (1)	विषय सूची (2)		पृष्ठ संख्या (3)
1.	बोर्ड का परिचय	..	1–17
2.	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान	..	18–23
3.	बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम	..	24–33
4.	सहायता अनुदान	..	34
5.	अन्य गतिविधियाँ	..	35–39
6.	वर्ष 2018–19 में बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यक्रम	..	40–48
7.	प्रतिभागियों एवं समाज पर प्रशिक्षण का प्रभाव	..	49–54
8.	सांख्यिकीय सारणियाँ	..	55–73
9.	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र	..	75
10.	अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट का जवाब	..	76–105
11.	तुलनपत्र	..	106
12.	आय एवं व्यय लेखा	..	107
13.	अनुसूची 1–25	..	108–136
14.	प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	..	137
15.	सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	..	138
16.	सामान्य भविष्य निधि आय एवं व्यय लेखा	..	139
17.	सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र	..	140
18.	बचत खाते एवं जमा खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण	..	141
19.	गृह निर्माण अग्रिम राशि का विवरण	..	142
20.	जमा चन्दा का विवरण	..	143
21.	स्वंयकोष निर्माण जमा विवरण	..	144
22.	सामान्य भविष्य निधि निवेश विवरण (अनुसूची सहित)	..	145
23.	सी टी पी लेखा जमा का विवरण	..	148
24.	स्रोत पर कर कटौती की वापस की गई जमा राशि का विवरण	..	149
25.	नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	..	150

अध्याय–I

बोर्ड का परिचय

प्रस्तावना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजकों ने महसूस किया कि हमारे जैसे प्रजातांत्रिक समाज के लिए श्रमिक संघों तथा देश के शीघ्र विकास हेतु उनकी गतिविधियों में श्रमिकों की सक्रिय एवं समझदार भागीदारी की आवश्यकता है। श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त, मुक्त, जिम्मेवार तथा प्रजातांत्रिक श्रमिक संघ आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रमाणकारी भूमिका निभाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस संदर्भ में आयोजकों ने विचार किया था कि राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य में प्रमाणकारी रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु श्रमिकों तथा उनके श्रमिक संघों को तैयार करने में श्रमिक शिक्षा मदद कर सकेगी।इन परिस्थितियों ने सन् 1957 में श्रमिक शिक्षा योजना को सूत्रबद्ध करने में विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए सरकार को बाध्य किया। इस तरह भारत सरकार ने फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से श्रमिक शिक्षा योजना का प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय टीम को नियुक्त किया। मार्च, 1957 में विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई, 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में विशेषज्ञों की टीम की सिफारिशों का समर्थन किया गया। भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिक शिक्षा योजना को लागू करने हेतु एक अर्ध–स्वायत्त बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत एक त्रिपक्षीय सोसाइटी के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।

संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। बोर्ड, देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों तथा 07 उप–क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क द्वारा अपने कार्यकलापों का संचालन करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै एवं भोपाल में स्थित छः आँचलिक निदेशालय अपने–अपने अँचल के क्षेत्रीय निदेशालयों की प्रशिक्षण गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं।

बोर्ड राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई जैसे तीन स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सन् 1970 में स्थापित बोर्ड के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सशक्त और अधिक जवाबदार श्रमिक संघों का विकास करना, श्रमिक संघ प्रशासन में प्रजातांत्रिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक समाज में अपनी जगह बनाने के लिए श्रमिकों को सन्नद्ध करना, सामूहिक हित के आधार पर श्रमिकों में "राष्ट्रहित प्रथम" की भावना का निर्माण, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित

करने में बोर्ड को सक्षम बनाना ही भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य है।

संस्थान एक सूचना केन्द्र है और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह बोर्ड के क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय निदेशालयों के लिए ज्ञान का भण्डार भी है। संस्थान में श्रमिकों के लिए शिक्षा प्रणाली साधनों को विकसित करने एवं परिष्कार करने के लिए अनुसंधान विंग भी है। यह बोर्ड के पदाधिकारियों के लिए गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

बोर्ड तथा शासी निकाय

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठनों, केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्यों में से चयनित शासी निकाय द्वारा बोर्ड की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक गैर–सरकारी अध्यक्ष बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। श्री हिरन्मय पांडया बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के प्रशासकीय प्रधान बोर्ड के महानिदेशक हैं। श्री हर्ष वैद्य, महानिदेशक ने दिनांक 19.07.2018 को द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बोर्ड में निदेशक के पद का कार्यभार सँभाला।

क्षेत्रीय निदेशालय के स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करने, कार्यक्रमों के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने तथा सामान्यतः क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ भी त्रिपक्षीय प्रकार की हैं।

प्रशिक्षण

बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय वर्ग के लिए भी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष **2018–2019** के दौरान संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए आयोजित **7184** कार्यक्रमों में **2,51,682** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड की सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों तथा श्रमिक संघों द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

मूल्यांकन

बोर्ड की स्थापना से ही समय–समय पर दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा था। इसके अलावा बोर्ड आंतरिक रूप से अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन श्रमिकों के साथ–साथ कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा करता है और तदनुसार अपने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन भी करता है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जाधवपुर/बाम्बे श्रम संस्थान, ई.डी.सी.एल., वी.वी.जी.एन.एल. आई. आदि बाहरी एजेन्सियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा चुका है। वर्ष 2018–2019 के दौरान **266 स्वावलंबन समूहों** का गठन किया गया था जो असंगठित क्षेत्र में इन स्वावलंबन समूहों के सदस्यों के बीच स्व–रोजगार सृजित करने में मदद किया है।

ध्यानाकर्षित क्षेत्र

ग्रामीण, असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के बहुसंख्यक श्रमिकों को देखते हुए बोर्ड ने सामान्यतः ग्रामीण, असंगठित श्रमिकों तथा विशेषतः जनजातीय श्रमिकों, निर्माण कार्य श्रमिकों, बाल श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों को शिक्षित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम

बोर्ड ने उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। इस क्षेत्र में बोर्ड के चार क्षेत्रीय निदेशालय हैं जो गुवाहाटी, इम्फाल, तिनसुकिया एवं सिलिगुड़ी में स्थित हैं।

उत्तर–पूर्व क्षेत्र की श्रमिक शिक्षा गतिविधियों के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने बोर्ड को **1.10 करोड़** रुपये की विशेष पैकेज की मंजूरी भी दी है।

बोर्ड का निष्पादन

पिछले 02 वर्षों में प्रशिक्षण की गतिविधियाँः

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2017–2018		2018–2019	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
	राष्ट्रीय स्तर				
1	श्रमिक संघों के लिए पाठ्यक्रम	29	660	27	557
2	क्षेत्रीय निदेशकों/शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	14	-	-
3	बोर्ड के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम	1	34	-	-
4	जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकर्ताओं के लिए	1	25	-	-
	कुल	**32**	**733**	**27**	**557**
	संगठित क्षेत्र				
	राष्ट्रीय स्तर				
5	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम (5 दिवसीय)	18	540	5	150
	क्षेत्रीय स्तर				
6	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	-	-	1	24
7	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	13	302	9	233
8	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (5 दिवसीय)	-	-	-	-
9	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	219	5362	146	3525
10	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	590	11882	516	10007
11	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम (3 दिवसीय)	23	612	17	415
12	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	788	20414	716	18261
13	आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद (1दिवसीय/ 5 दिवसीय)	14	351	-	-
14	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	6	118	2	35
	कुल	**1671**	**39581**	**1412**	**32650**
	इकाई स्तर				
15	अंशकालीन/पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं	23	563	22	562
16	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	211	5380	132	3262
17	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम(2 दिवसीय)	19	674	11	366
18	संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1दिवसीय) (पुनःप्रशिक्षण)	161	4691	110	2617
	कुल	**414**	**11308**	**275**	**6807**

	असंगठित क्षेत्र				
19	असंगठित क्षेत्र/ दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	191	7328	113	4415
20	श्रमिकों एवं उनके जीवन साथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4 दिवसीय)	42	1610	29	1100
21	श्रमिकों एवं उनके जीवन साथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	68	2624	45	1742
22	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	185	10017	103	5557
23	उत्तर–पूर्व क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	53	1548	45	1350
24	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	-	-	4	120
25	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1	40	2	80
26	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	660	24788	587	22303
27	महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	435	16094	403	15344
28	बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	206	7802	198	7746
29	बाल श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	8	249	-	-
30	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	379	14013	256	9571
31	एससीएसपी/टीएसपी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2880	106140	2173	81357
32	श्रम कल्याण एवं विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	428	15942	424	16062
33	पंचायतीराज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	28	952	14	525
34	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायतीराज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	9	248	18	523
35	निर्माण श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1	40	-	-
36	अभिनव कार्यक्रम (1 दिवसीय)	6	279	21	2187
	कुल	**5580**	**209714**	**4435**	**169982**
	ग्रामीण क्षेत्र				
37	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	797	30010	689	26450
38	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	73	2780	40	1573
39	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	151	7719	91	4872
40	मनरेगा के गाँव स्तरीय कार्यक्रम	280	10510	238	9188
41	मनरेगा के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम	2	90	-	-
42	सहायता अनुदान कार्यक्रम	-	-	-	-
43	आत्मनिर्भरता शिविर (4 दिवसीय)	-	-	4	160
	कुल	**1303**	**51109**	**1062**	**42243**
	कुल योग	**9000**	**312445**	**7211**	**252239**

राज्य/क्षेत्रीय निदेषालय स्तर पर अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक बोर्ड की गतिविधियों की प्रगति

राज्य/केन्द्र (शिक्षा अधिकारियों की सं.)	प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या				स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित राशि (रु.में)
	संगठित	असंगठित	ग्रामीण	कुल	
आंध्र प्रदेश (3)	**738**	**8088**	**1515**	**10261**	रु.2,92,000
विजयवाड़ (2)	468	3831	1000	5299	
विशाखपट्णम (1)	270	4177	515	4962	
असम (3)	**158**	**5220**	**1343**	**6721**	
गुवाहाटी,मेघालय और मिजो.(1)	-	2361	463	2824	
तिनसुकिया, अरूणाचल प्र.(2)	158	2859	880	3897	
बिहार (2)	**210**	**3129**	**895**	**4234**	रु.80,000
मुजफ्फरपुर (2)	210	3129	895	4234	
छत्तीसगढ़ (2)	**1072**	**2790**	**1525**	**5387**	रु. 3,24,000
रायपुर (2)	1072	2790	1525	5387	
दिल्ली (3)	**225**	**1652**	**350**	**2227**	रु. 48,000
दिल्ली (3)	225	1652	350	2227	
गोवा (2)	**426**	**2430**	**984**	**3840**	रु.72,000
गोवा (2)	426	2430	984	3840	
गुजरात (6)	**1607**	**7400**	**1623**	**10630**	रु. 3,28,000
अहमदाबाद (3)	338	3342	452	4132	
वड़ोदरा (2)	901	1552	471	2924	
राजकोट (1)	368	2506	700	3574	
हरियाणा (3)	**2249**	**4135**	**1029**	**7413**	रु.6,60,000
फरीदाबाद (3)	2249	4135	1029	7413	
हिमाचल प्रदेश (1)	**548**	**1820**	**239**	**2607**	रु.48,000
परवाणू (1)	548	1820	239	2607	
जम्मू एवं कश्मीर (1)	**170**	**4265**	**706**	**5141**	
जम्मू (1)	170	4265	706	5141	
झारखण्ड (6)	**3560**	**10224**	**1975**	**15759**	रु.5,06,000
धनबाद (2)	680	3570	788	5038	
जमशेदपुर (3)	2486	3861	878	7225	
राँची (1)	394	2793	309	3496	
कर्नाटक (7)	**2980**	**7531**	**2414**	**12925**	रु.2,96,000
बेंगलूरू (4)	1439	2953	982	5374	
हुबली (1)	1190	2127	937	4254	
मेंगलूरू (2)	351	2451	495	3297	
केरल (5)	**3013**	**10461**	**1728**	**15202**	रु..624000
कोचीन (3)	1387	6681	1046	9114	

कोषीकोड	(2)	1626	3780	682	6088	
मध्यप्रदेश	**(10)**	**3017**	**15241**	**2851**	**21109**	रु. 624000
भोपाल	(4)	584	3476	240	4300	
ग्वालियर	(1)	471	3936	1002	5409	
इन्दौर	(2)	330	3676	1094	5100	
जबलपुर	(3)	1632	4153	515	6300	
महाराष्ट	**(10)**	**3347**	**13362**	**3603**	**20312**	रु. 5,52,000
मुंबई	(2)	308	3131	414	3853	
नागपुर	(3)	802	3403	1086	5291	
पुणे	(3)	687	2308	778	3773	
नाशिक	(2)	1550	4520	1325	7395	
मणिपुर	**(3)**	**534**	**3150**	**784**	**4468**	रु. 80,000
इम्फाल एवं त्रिपुरा		534	3150	784	4468	
उड़ीसा	**(8)**	**1929**	**9211**	**2462**	**13602**	रु. 6,70,000
बेरहामपुर	(2)	368	2512	847	3727	
भुवनेश्वर	(4)	748	3198	1096	5042	
राऊरकेला	(2)	813	3501	519	4833	
पंजाब	**(1)**	**880**	**2074**	**557**	**3511**	रु. 1,80,000
चण्डीगढ़	(1)	880	2074	557	3511	
राजस्थान	**(4)**	**1175**	**7472**	**1534**	**10181**	रु.1,92,000
जयपुर	(2)	550	3988	774	5312	
उदयपुर	(2)	625	3484	760	4869	
तमिलनाडु	**(13)**	**3849**	**14013**	**3423**	**21285**	रु.2,12,000
चेन्नै	(5)	1614	4058	960	6632	
कोयम्बत्तूर	(4)	618	5886	1480	7984	
मदूरै	(4)	1617	4069	983	6669	
तेलंगाना	**(3)**	**775**	**4614**	**1001**	**6390**	रु.2,12,000
हैदराबाद	(3)	775	4614	1001	6390	
उत्तर प्रदेश	**(14)**	**5232**	**19013**	**5597**	**29842**	रु.7,16,000
इलाहाबाद	(3)	927	4450	1315	6692	
बरेली	(2)	823	3322	998	5143	
गाजियाबाद	(3)	560	3083	1008	4651	
गोरखपुर	(3)	1347	3546	980	5873	
कानपुर	(3)	1575	4612	1296	7483	
पश्चिम बंगाल	**(10)**	**1883**	**12807**	**3945**	**18635**	रु.4,60,000
आसनसोल	(2)	201	2422	747	3370	
बैरकपुर	(2)	329	2864	628	3821	
कोलकाता	(4)	1098	3627	1327	6052	
सिलिगुड़ी सिक्किम	(2)	255	3894	1243	5392	
कुल योग (120)		**39577**	**170022**	**42083**	**251682**	**रु.71,76,000**

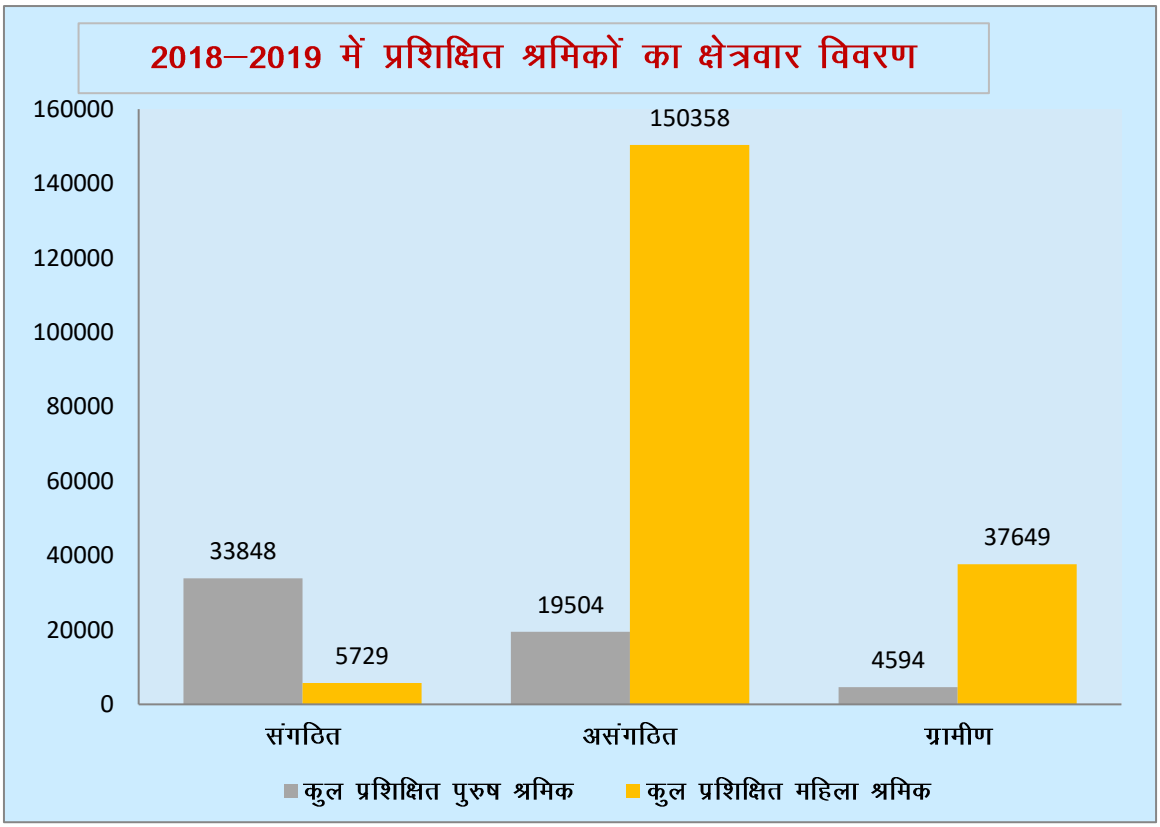
2018–2019 में प्रशिक्षित श्रमिकों का क्षेत्रवार विवरण
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
33848
5729
19504
150358
4594
37649
संगठित
असंगठित
ग्रामीण
कुल प्रशिक्षित पुरुष श्रमिक
कुल प्रशिक्षित महिला श्रमिक

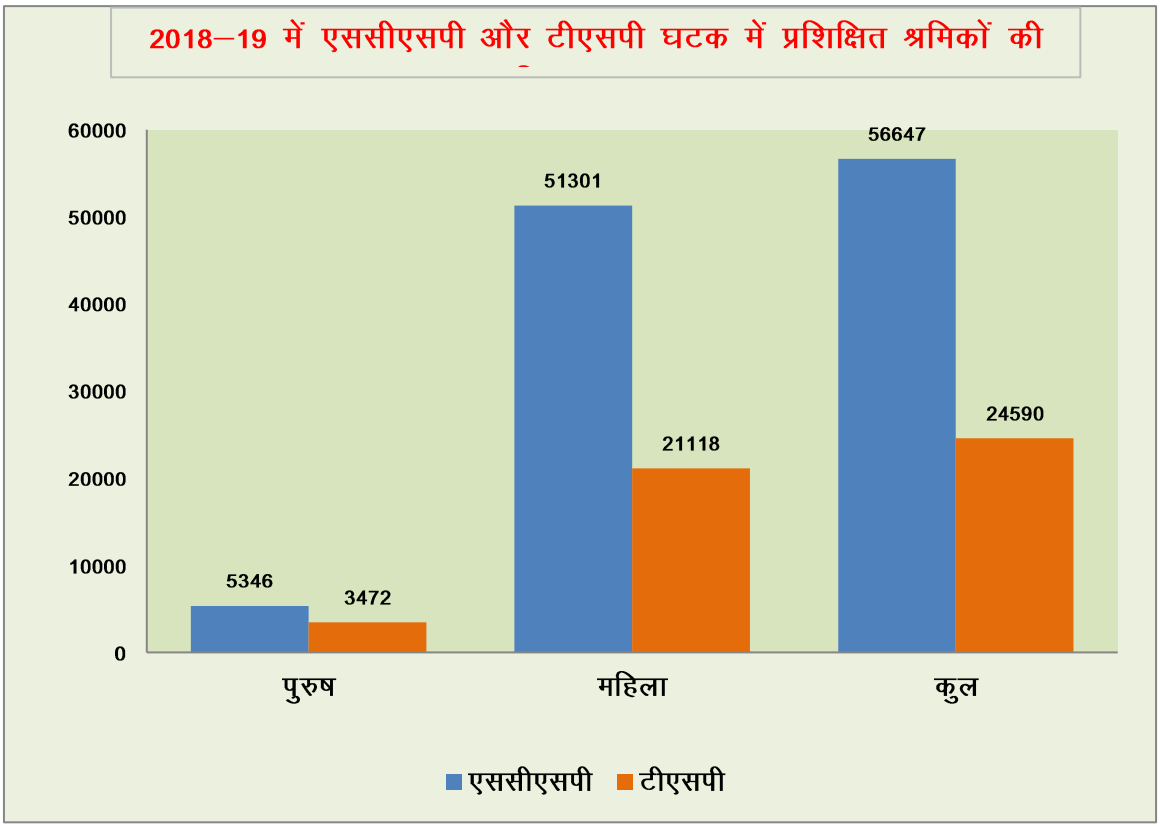
2018–19 में एससीएसपी और टीएसपी घटक में प्रशिक्षित श्रमिकों की
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
5346
3472
51301
21118
56647
24590
पुरुष
महिला
कुल
एससीएसपी
टीएसपी

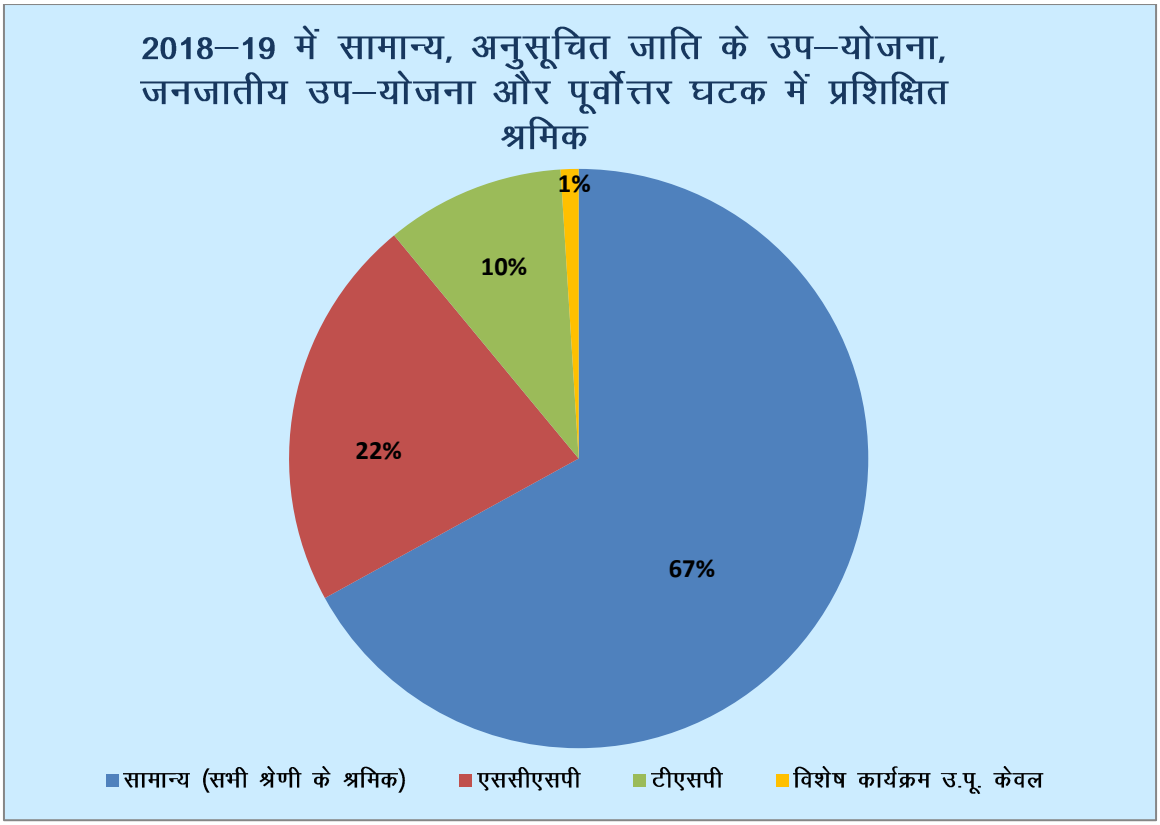
2018–19 में सामान्य, अनुसूचित जाति के उप–योजना, जनजातीय उप–योजना और पूर्वोत्तर घटक में प्रशिक्षित श्रमिक
1%
10%
22%
67%
सामान्य (सभी श्रेणी के श्रमिक)
एससीएसपी
टीएसपी
विशेष कार्यक्रम उ.पू. केवल

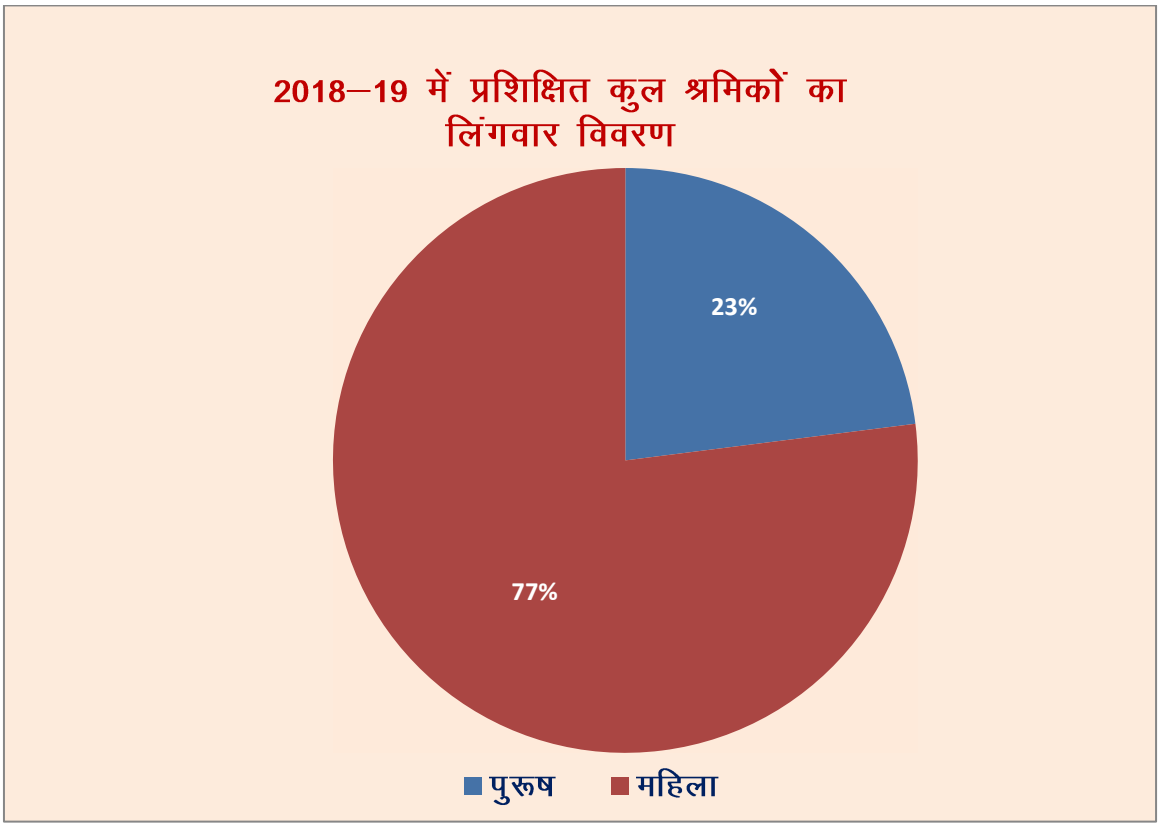
2018–19 में प्रशिक्षित कुल श्रमिकों का लिंगवार विवरण
23%
77%
पुरूष
महिला

बोर्ड की प्रशिक्षण गतिविधियों में अति विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

16 सितम्बर, 2018 को बरेली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

दीप प्रज्ज्वलित करके प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए माननीय श्रम मंत्री जी

शासी निकाय की बैठक

श्री हिरण्मय जे. पंडया, माननीय अध्यक्ष, सुश्री अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, सुश्री सिबानी स्वैन, वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री हर्ष वैद्य, महानिदेशक की उपस्थिति में शासी निकाय की 173वीं बैठक में चर्चा का परिदृश्य।

16 अक्तूबर, 2018 को मुंबई में 62वीं वित्त उप समिति की बैठक में चर्चा का परिदृश्य।

दिनांक 15.11.2019 को नई दिल्ली में आयोजित वित्त उप समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक लेखा को दिया गया अनुमोदन का परिदृश्य।

31/03/2019 को बोर्ड में कर्मचारियों का पद के अनुसार विवरण

मुख्यालय, नागपुर	सं.
महानिदेशक	1
अपर निदेशक	0
वित्तीय सलाहकार	0
उप निदेशक	0
क्षेत्रीय निदेशक	2
सहायक निदेशक (रा.भा.)	1
शिक्षा अधिकारी	2
लेखा अधिकारी	0
सहायक निदेशक	2
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1
लेखापाल	2
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1
आशुलिपिक	4
सांख्यिकी सहायक	1
तकनिकी सहायक	1
वरिष्ठ लिपिक	7
कनिष्ठ कलाकार	1
उच्च श्रेणी लिपिक	9
निम्न श्रेणी लिपिक	1
हिन्दी टंकक	1
ड्राइवर	2
एमटीएस (चपरासी)	9
कुल	**48**

भा.श्र.शि.सं., मुंबई	सं.
उप निदेशक (प्रशिक्षण)	-
प्रशिक्षण अधिकारी	1
अनुसंधान अधिकारी	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	1
पुस्तकालय सहायक	1
आशुलिपिक	2
वरिष्ठ लिपिक	2
उच्च श्रेणी लिपिक	-
निम्न श्रेणी लिपिक	-
केयर टेकर	1
ड्राइवर	-
एमटीएस (चपरासी)	4
कुल	**12**

क्र.सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	आँ.निदे. / क्षे.निदे.	शि. अधि.	लेखापाल	आशु लिपिक	वरिष्ठ लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	आँचलिक कार्यालय, मुंबई	-	-	1	1	-	-	1	-	1	4	स्वामित्व
2	अहमदाबाद	-	3	-	-	1	-	-	-	1	5	स्वामित्व
3	गोवा	-	2	-	-	-	1	1	-	1	5	किराया– रु.37500/-
4	मुंबई	-	2	-	-	1	1	1	-	1	6	स्वामित्व
5	पुणे, कोल्हापुर	-	3	-	1	1	-	1	-	1	7	किराया–रु.56456/- प्रतिमाह
6	राजकोट	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	किराया–रु.34,810/- प्रतिमाह
7	नाशिक	-	2	-	1	1	-	-	-	1	5	किराया–रु.54,360/- प्रतिमाह
8	वड़ोदरा	-	2	-	1	-	1	-	1	1	6	किराया–रु.21,530/- प्रतिमाह
	कुल	**-**	**15**	**1**	**4**	**4**	**3**	**5**	**1**	**9**	**42**	**-**

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	आँ.निदे. / क्षे.निदे.	शि. अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ. श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	आँच.निदे.(म.अं.), भोपाल	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	किराया – माफ
2	भोपाल	-	4	-	-	-	1	2	-	-	7	किराया – माफ
3	ग्वालियर	1	1	-	1	-	1	1	-	-	5	किराया–रु.24750/- प्रतिमाह
4	इन्दौर	-	2	-	-	-	1	-	-	2	5	किराया–रु.10000/- प्र.म.
5	जबलपुर	-	3	-	-	-	2	-	-	-	5	किराया–रु.23625/- प्र.म.
6	जयपुर	1	2	-	1	-	1	1	-	1	7	किराया–रु.14356/- प्र.म.
7	नागपुर	1	3	-	1	1	1	-	1	2	10	- स्वामित्व -
8	रायपुर	-	2	-	-	1	-	2	-	-	5	किराया–रु.29193/- प्र.म.
9	उदयपुर	1	2	-	-	-	1	1	-	1	6	किराया–रु.25144/- प्र.म.
	कुल	**4**	**19**	**-**	**3**	**3**	**8**	**8**	**1**	**6**	**52**	

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	आँ.निदे. / क्षे.निदे.	शि. अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	आँच. निदे., गुवाहाटी	-	-	-	01 (ग्रेड-I)	-	-	1	-	-	2	स्वयं का
2	गुवाहाटी	1	1	-	1	1	-	-	-	2	6	
3	तिनसुकिया	1	2	-	1	-	1	-	-	2	7	मुफ्त सरकारी आवास
4	इम्फाल	1	3	-	1	1	1	-	1	01 (एमटीएस)	9	सरकारी भवन किराया–रु. 4000/- प्र.म.
5	सिलिगुड़ी	-	2	-	1	-	1	1	-	01 (एमटीएस) & 01 (चौकीदार)	7	किराया–रु.27,877/- प्र.म.
कुल		**3**	**8**	**-**	**5**	**2**	**3**	**2**	**1**	**7**	**31**	

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	आँ.निदे. / क्षे.निदे.	शि. अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि. श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	**आँच.निदे., कोलकाता**	-	-	1	1	1	-	1	1	1 (एमटीएस)	5	स्वयं का
2	आसनसोल	-	2	-	-	1	1	1	-	2(एमटीएस)	7	किराया–रु.18000/- प्र.म.
3	बैरकपुर	1	2	-	-	-	1	1	-	1 (एमटीएस)	6	स्वयं का
4	बेरहामपुर	-	2	-	-	-	1	1	-	-	4	किराया–रु. 22986/- प्र.म.
5	भुवनेश्वर	-	4	-	1	-	-	-	-	-	5	किराया–रु. 37964/- प्र.म.
6	धनबाद	-	2	-	-	1	2	1	-	1 (एमटीएस)	7	किराया–रु. 15481/- प्र.म.
7	जमशेदपुर	-	3	-	-	-	2	-	-	1 (एमटीएस)	6	टाटा द्वारा भेट
8	कोलकाता	1	4	-	1	1	-	1	-	2 (एमटीएस) + 1 (चौकीदार)	11	स्वयं का
9	मुजफ्फरपुर	-	2	-	-	-	2	-	-	1 (एमटीएस)	5	किराया–रु. 28452/- प्र.म.
10	राँची	-	1	-	1	-	1	-	-	1 (एमटीएस)	4	किराया–रु. 30857/- प्र.म.
11	राऊरकेला	1	2	-	1	1	1	-	-	1 (एमटीएस)	7	किराया–रु. 17244/- प्र.म.
	कुल	**3**	**24**	**1**	**5**	**5**	**11**	**6**	**1**	**12**	**65**	

क्र.सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	आँ.निदे. /क्षेनिदे	शि. अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ. श्रे. लि.	नि. श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	आँच.निदे. (द.अं.), चेन्नै	-	-	1	-	-	3	-	-	1	5	स्वयं का
2	चेन्नै	1	5	-	1	-	2	-	-	2	11	स्वयं का
3	मदुरै	-	4	-	-	-	1	-	-	1	6	किराया–रु. 27900/- प्र.म.
4	कोयम्बत्तूर	1	4	-	-	-	2	1	1	-	9	किराया–रु. 25000/- प्र.म.
5	हैदराबाद	1	3	-	-	-	2	1	-	1	8	किराया–रु. 76196/- प्र.म.
6	विजयवाड़	-	2	-	1	-	-	-	-	1	4	किराया–रु. 67968/- प्र.म.
7	विशाखपट्टणम	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4	किराया–रु. 33243/- प्र.म.
8	बेंगलूरू	1	4	-	-	-	1	-	-	1	7	किराया–रु. 75000/- प्र.म.
9	हुबली	1	1	-	-	-	1	-	-	1	4	किराया–रु. 28788/- प्र.म.
10	मंगलूरू	1	2	-	-	-	1	-	-	1	5	किराया–रु. 3000/- प्र.म.
11	कोचीन	1	3	-	1	-	2	-	-	1	8	किराया–रु. 25420/- प्र.म.
12	कोषिकोड	-	2	-	1	-	1	-	-	2	6	सी.जी.ओ.
	कुल	**7**	**31**	**1**	**4**	**1**	**18**	**2**	**1**	**12**	**78**	

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	आँ.निदे. / क्षे.निदे	शि. अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	आँच.निदे.(उ.अं.), दिल्ली	-	-	-	1 Min.	-	2	-	1	1	5	स्वयं का
2	इलाहाबाद	1	3	-	1	1	-	2	-	2	10	किराया–रु. 39000/- प्र.म.
3	बरेली	1	2	-	-	1	-	1	-	2	7	किराया–रु. 36171/- प्र.म.
4	चण्डीगढ	-	1	-	1	1	1	1	1	2	8	किराया–रु. 52000/- प्र.म.
5	दिल्ली	1	3	-	-	-	1उश्रेलि 2-Min.	-	-	3- एमटीएस 1- अध्यक्ष कार्यालय	11	मुफ्त आवास
6	फरीदाबाद	1	3	--	1	--	1	--	--	1	7	किराया–रु. 43824/- प्र.म.
7	गोरखपुर	-	3	-	-	1	-	-	-	2	6	किराया–रु. 27000/- प्र.म.
8	गाजियाबाद	1	3	-	-	1	1	-	-	2	8	किराया–रु. 38,000/- प्र.म.
9	कानपुर	1	3	-	1	1	2	-	-	1	9	किराया–रु. 34425/-
10	जम्मू	-	1	-	1	-	1	-	-	1	4	किराया–रु. 23000/- प्र.म.
11	परवाणू	1	1	-	1	-	1	-	-	2	6	किराया–रु. 27029/- प्र.म.
	कुल	**7**	**23**	**-**	**7**	**7**	**12**	**4**	**2**	**20**	**81**	

अध्याय– II

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भाश्रशिसं), मुंबई की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) द्वारा वर्ष 1970 में की गई। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते क्षेत्र (फील्ड) में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों एवं अन्य संघों के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

बोर्ड के शासी निकाय द्वारा गठित प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन के अंतर्गत संस्थान की गतिविधियाँ संचालित की जाती है। वर्तमान में प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

दिनांक 31.03.2019 तक भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की प्रबंध समिति

अध्यक्ष

श्री हिरण्मय पंडया, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

उपाध्यक्ष	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	सचिव, भारतीय मजदूर संघ
श्री सतीश घोगरे	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, पश्चिम क्षेत्र, औद्योगिक संबंध उप समिति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, इण्डिया हैबिटैट सेण्टर, नई दिल्ली
सदस्य	
सुश्री अनुराधा प्रसाद	अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
सुश्री सिबानी स्वैन	वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
महानिदेशक	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
श्री एम. एल. शर्मा	अध्यक्ष, ए.आई.एम.ओ., दिल्ली राज्य बोर्ड
श्री सुधाकर आर. अपराज	महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लाईज यूनियन, मुंबई
डॉ. टी. इंद्रसेन रेड्डी	श्रमिक शिक्षा, हैदराबाद
श्री जगदीश जोशी	उपाध्यक्ष, भा.म.सं., प्रौढ़ शिक्षा
डॉ. एम. एम. रेहमान	अनुसंधान स्कॉलर
श्री हर्ष वैद्य	महानिदेशक, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.

पदेन सदस्य सचिव

श्री विश्व प्रकाश उप निदेशक (प्रशि.) प्रभारी, भा.श्र.शि.संस्थान, मुंबई

संस्थान ने रिपोर्टाधीन वर्ष 2018–19 के दौरान दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों, राष्ट्रीय परिसंघों एवं प्रबंधन कार्यकर्ताओं के लिए 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि, प्रतिभागियों की संख्या, वर्गीकरण इत्यादी का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	विषय	अवधि	लिंगवार विवरण		कुल
				पुरुष	महिला	
1.	एटक के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ के समक्ष चुनौतियाँ	14.5.2018-18.5.2018	18	13	31
2.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	कम्प्यूटर की प्रारंभिक जानकारी	04.06.2018-08.06.2018	14	02	16
3.	एन.एल.ओ. के कार्यकर्ता	क्षमता निर्माण	25.6.2018-29.6.2018	04	-	04
4.	सेवा के कार्यकर्ता	महिला सशक्तीकरण	02.7.2018-06.7.2018	01	30	31
5.	एटक के कार्यकर्ता	विकासशील प्रभावी नेतृत्व के लिए कौशल	16.7.2018-20.7.2018	35	02	37
6.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ में सूचना प्रौद्योगिकी (नेट, वेब एण्ड डाटा विश्लेषण)	06.08.2018-10.08.2018	23	-	23
7.	इंटक की महिला कार्यकर्ता	महिला सशक्तीकरण	27.08.2018-31.08.2018	-	14	14
8.	इंटक खदान श्रमिक परिसंघ के कार्यकर्ता	नेतृत्व विकास	03.09.2018-07.09.2018	29	-	29
9.	राजस्थान अणुशक्ति परियोजना कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता (इंटक)	राष्ट्रीय एकता एवं श्रमिक संघ	17.09.2018-19.09.2018	22	-	22
10.	इंटक परिवहन श्रमिक परिसंघ के कार्यकर्ता	परिवहन उद्योग में श्रमिक संघ की भूमिका	24.09.2018-28.09.2018	19	07	26
11.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	डिजीटलीकरण एवं सामाजिक मीडिया	08.10.2018-12.10.2018	22	01	23
12.	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	नेतृत्व विकास	22.10.2018-26.10.2018	12	-	12
13.	भारतीय मजदूर संघ के निर्माण श्रमिक के कार्यकर्ता	निर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को बढ़ावा	29.10.2018-02.11.2018	15	09	24
14.	खदान श्रमिक परिसंघ के कार्यकर्ता (इंटक)	कौशल का उन्नयन और युवा पीढ़ी के ज्ञान को अद्यतन करना	12.11.2018-16.11.2018	22	-	22
15.	बी.के.एस.एम. के कार्यकर्ता	राष्ट्रीय आर्थिक विकास में श्रमिक संघ की भूमिका	19.11.2018-20.11.2018	31	-	31
16.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	कार्यस्थल पर श्रमिकों के अधिकार का उल्लंघन एवं सूचना का अधिकार अधिनियम	26.11.2018-30.11.2018	12	-	12

17.	भा.म.सं. वस्त्र उद्योग एवं वृक्षारोपण श्रमिक के कार्यकर्ता	कपड़ा उद्योग एवं वृक्षारोपण श्रमिकों के लिए श्रम कानून में कल्याणकारी प्रावधान	03.12.2018-07.12.2018	06	-	06
18.	आई.सी.एल. के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ नेतृत्व	10.12.2018-14.12.2018	22	05	27
19.	भा.म.संघ के कार्यकर्ता	पर्यावरण जागरूकता मंच	26.12.2018-28.12.2018	22	01	23
20.	इंटक ग्रामीण श्रमिक परिसंघ के कार्यकर्ता	असंगठित को संगठित करना	31.12.2018-04.01.2019	20	01	21
21.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	महिला–पुरुष में समानता, प्रवासी श्रमिक, देशी श्रमिक, योजना श्रमिक एवं कौशल विकास के विशेष संदर्भ में जारी विकास लक्ष्य	07.01.2019-11.01.2019	05	02	07
22.	भा.म.सं. खदान एवं इस्पात श्रमिक के कार्यकर्ता	असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	28.01.2019-01.02.2019	09	-	09
23.	इंटक सीमेंट श्रमिक परिसंघ के कार्यकर्ता	निर्माण उद्योग में उत्तम कार्यों को बढ़ावा	04.02.2019-08.02.2019	21	04	25
24.	विभिन्न श्रम संघों के कार्यकर्ता	श्रमिक संघों के समक्ष बढ़ती हुई चुनौतियाँ	11.02.2019-15.02.2019	22	02	24
25.	टी.यू.सी.सी. के कार्यकर्ता	बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	18.02.2019-22.02.2019	10	01	11
26.	भा.म.संघ आंगनवाडी श्रमिकों के कार्यकर्ता	आंगनवाडी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी प्रावधान	04.03.2019-08.03.2019	-	26	26
27.	आई.सी.एल. के कार्यकर्ता	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजना	11.03.2019-15.03.2019	17	04	21
	कुल		**27 कार्यक्रम**	**433**	**124**	**557**

भा.श्र.शि.सं. में प्रतिभागियों का केन्द्रोय श्रमिक संघ संगठनुसार विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	संगठन का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	लिंगवार विवरण		
			पुरुष	महिला	कुल
1	आयटक	02	53	15	68
2	इंटक	07	133	26	159
3	हिन्द मजदूर सभा	05	76	05	81
4	भारतीय मजदूर संघ	06	64	36	100
5	बी.के.एस.एम.	01	31	.	31
6	इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर (आईसीएल)	02	39	09	48
7	सेवा (स्वयं रोजगार महिला संघ)	01	01	30	31
8	राष्ट्रीय श्रमिक संघटन (एन.एल.ओ.)	01	04	.	04
9	टी.यू.सी.सी.	01	10	01	11
10	मिश्रित समूह	01	22	02	24
	कुल	**27**	**433**	**124**	**557**

भा.श्र.शि.सं. के प्रषिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों का संघ की स्थितिनुसार विवरण

क्र. सं.	पदनाम	पुरुष	महिला	कुल
1.	अध्यक्ष	16	03	19
2.	जिला अध्यक्ष	06	01	07
3.	ऑचलिक अध्यक्ष	01	-	01
4.	कार्यकारी अध्यक्ष	03	01	04
5.	उपाध्यक्ष	24	08	32
6.	राज्य अध्यक्ष	11	04	15
7.	इकाई अध्यक्ष	01	-	01
8.	जिला अध्यक्ष	02	01	03
9.	सचिव	59	16	75
10.	जिला सचिव	-	2	02
11.	शाखा सचिव	1	-	01
12.	राज्य सचिव	10	03	13
13.	संयुक्त महासचिव	02	-	02
14.	प्रचार सलाहकार	01	-	01
15.	अपर महासचिव	01	-	01
16.	तकनिकी सचिव	01	-	01
17.	राष्ट्रीय सचिव	01	-	01
18.	कार्यालय सचिव	01	-	01
19.	प्रशासनिक अध्यक्ष	01	-	01
20.	क्षेत्रीय सचिव	02	01	03
21.	संयुक्त सचिव	18	02	20
22.	आयोजक सचिव	02	01	03
23.	राज्य महिला सचिव	-	01	01
24.	सहायक सचिव	05	04	09
25.	कार्यालय अध्यक्ष	01	-	01

क्र.सं.	पदनाम	पुरुष	महिला	कुल
26.	एरिया अध्यक्ष	02	-	02
27.	इकाई सचिव	02	-	02
28.	इकाई नेता	01	-	01
29.	सर्किल सचिव	-	01	01
30.	मुख्य सचिव	01	-	01
31.	कोषाध्यक्ष	13	03	16
32.	कार्यकारी समिति सदस्य	06	04	10
33.	कार्यपालक समिति सदस्य	17	09	26
34.	सदस्य	169	49	218
35.	महासचिव	32	06	38
36.	कार्यालय सचिव	01	-	01
37.	नेता	01	01	02
38.	ऑचलिक कोशाध्यक्ष	01	-	01
39.	अपर संयुक्त सचिव	01	-	01
40.	शाखा उपाध्यक्ष	01	-	01
41.	सलाहकार	01	-	01
42.	राज्य संयुक्त सचिव	03	-	03
43.	लेखाकार	02	-	02
44.	निरीक्षक	02	-	02
45.	आयोजक	03	01	04
46.	खजांची	01	-	01
47.	शाखा कोषाध्यक्ष	01	02	03
48.	पदाधिकारी	02	-	02
	कुल	**433**	**124**	**557**

वर्ष 2018–19 में भा.श्र.शि.सं. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरुष	महिला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	15	03	18
2	असम	08	07	15
3	बिहार	09	02	11
4	छत्तीसगढ़	08	0	08
5	गोवा	02	01	03
6	गुजरात	31	06	37
7	हरियाणा	13	0	13
8	हिमाचल प्रदेश	02	02	04
9	जम्मू एवं कश्मीर	24	02	26
10	झारखण्ड	14	03	17
11	कर्नाटक	13	04	17
12	केरल	07	0	07
13	मणिपुर	0	02	02
14	मध्य प्रदेश (एम.पी.)	49	18	67
15	महाराष्ट्र	103	42	145
16	उड़ीसा	05	02	07
17	पंजाब	11	03	14
18	राजस्थान	16	05	21
19	तमिलनाडु	23	03	26
20	तेलंगाना	17	05	22
21	उत्तराखण्ड	05	02	07
22	उत्तर प्रदेश	40	06	46
23	पश्चिम बंगाल	18	06	24
	कुल योग	**433**	**124**	**557**

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, पुरस्कालय एवं दस्तावेज केन्द्र का उपयोग

भा.श्र.शि.सं. पुस्तकालय एंव प्रलेखन केन्द्र प्रयोगकर्ताओं की शैक्षिक एवं सूचनापरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रहण विकास, प्रोसेसिंग, संग्रहण, सूचना को डिस्प्ले करने की गतिविधियों में लगा रहता हैं।

क्र.सं	पुस्तकालय गतिविधि	अप्रल, 2018–मार्च, 2019
1.	पुस्तकालय प्रयोगकर्ताओं की संख्या	588
2.	जारी दस्तावेज एवं संदर्भित पुस्तकें	5592
3.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस डी आई) प्रयोगकर्ताओं के लिए सेवा	61 (प्रयोगकर्ता) (135 विषयों पर)
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या	14881
5.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस.डी.आई.) सेवा के दौरान पुस्तकालय आबंटित विषय/समूह चर्चा	451 (प्रतिभागी) (106 विषयों पर)
6.	प्रकाशन – आपके तथ्य (मासिक)	12
7.	वर्तमान में जागरूकता सेवाएं (सी.ए.एस.)	19
8.	पी.एच.डी. थेसिस की कुल संख्या	38

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. भा.श्र.शि.सं. में 08 मार्च, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। "नारी शक्ति" पुरस्कार विजेता की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिलाताई आपटे ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्रीमती गीताताई गोखले, वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता, भा.म.सं. भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

2. श्री प्रवीण राव, समन्वयक, अखिल वैश्विक उद्योग संघ, एशिया, पैसिफिक क्षेत्र ने जानकारी प्राप्त करने एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के प्रकाशनों को देखने के लिए पुस्तकालय में भेंट दी।

****

अध्याय– III

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम शिर्षक	लक्ष्य समूह	विषय की रुपरेखा	अपेक्षित परिणाम
अ.	**संगठित क्षेत्र**			
1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	औद्योगिक, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, श्रम संघ उद्योग इ. से आए हुए श्रमिक जिन्हें औद्योगिक प्रबंधन से मुक्त किया गया	1. द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. का लक्ष्य एवं उद्देश्य है कि प्रशिक्षण प्रस्तुतीकरण कौशल पर ध्यान केन्द्रित करना तथा ज्ञानवर्धक आवश्यक अध्ययन सामग्री का प्रावधान करना। 2. सकारात्मक व्यवहार, स्वंय–विकास तथा नेतृत्व गुण विकसित करना। 3. औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विकासात्मक पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों में जागरूकता का निर्माण करना। 4. व्यक्ति में व्यक्तिगत सामाजिक / मनोवैज्ञानिक / व्यवहारात्मक इ. सभी पहलुओं से संबंधित विकास करना 5. श्रमिकों में जिम्मेदारी तथा उनके कर्त्तव्य के प्रति साथ ही क्षमता का निर्माण करना।	पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि, संगठनों में गृह–प्रशिक्षकों को विकसित करना ताकि वे अपने सह–श्रमिकों को प्रशिक्षण दे सकें। श्रमिकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कौशल को विकसित करने पर ज्यादा बल दिया गया। पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को समर्थ करने हेतु उनकी इकाइयों में इकाई स्तर की कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
2.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम / क्षमता निर्माण कार्यक्रम (21 दिवसीय)	औद्योगिक, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र इ. उद्योग श्रम संघ से आए हुए श्रमिक जिन्हें औद्योगिक प्रबंधन से मुक्त किया गया	1. प्रतिभागियों में नेतृत्व कौशल तथा समग्र व्यक्तित्व विकास करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 2. सकारात्मक व्यवहार, स्व–विकास एवं नेतृत्व विकास करने पर ध्यान दिया गया। 3. औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विकासात्मक पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों में जागरूकता का निर्माण करना। 4. व्यक्ति में व्यक्तिगत सामाजिक / मनोवैज्ञानिक / व्यवहारात्मक इ. सभी पहलुओं से संबंधित विकास करना। 5. श्रमिकों में जिम्मेदारी तथा उनके कर्त्तव्य के प्रति साथ ही क्षमता का निर्माण करना।	समग्र कर्मचारियों के सम्मिलित होने से तथा सहायक वातावरण होने से उत्पाद तथा सेवा में उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार होता है।

3.	श्रमिक प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (1 सप्ताह)	केवल ऐसे प्रशिक्षकों के लिए जो अपने इकाई में विगत 3 वर्ष पहले कम से कम 01 इकाई स्तर की कक्षाओं का आयोजन किया हो।	नवीन जानकारी एवं नई प्रशिक्षण तकनीक के साथ श्रमिक प्रशिक्षकों को सज्जित एवं तैयार करना।	इसे निरंतर प्रशिक्षण के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। बड़ी मात्रा में श्रमिकों की संख्या होने से इसे सहज से पाना मुश्किल है।
4.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	कोई भी उद्योग/संगठन/एजेंसी शुल्क के भुगतान पर बोर्ड की सेवाएं लेना चाहता है।	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. ने 1/2/3 दिवसीय अवधि के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए है जिसका शुल्क नाममात्र है। प्रबंधन व्यवहार, आदतें, सोच–विचार, अपेक्षाएँ तथा मूल्यों इ. के लिए प्रबंधकीय उत्कृष्टता की आवश्यकता है।	हमारी सोसायटी अगले दो दशकों में ज्ञान, सोसायटी, सामाजिक, मानवतावादी की तरफ उभरती नजर आ रही है। द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. ने 1/2/3 दिवसीय अवधि के विशेष कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है, जिसका शुल्क नाममात्र है बल्कि द.ठें.रा.श्र.शि. वि.बो. के अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, अन्य सभी कार्यक्रम निःशुल्क है।
5.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)/ आवश्यकता पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम (अंशकालीन– एक सप्ताह)	कोई भी उद्योग/संगठन/एजेंसी, बोर्ड की सेवा को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करता है।	प्रबंधनों/श्रम संघों इ. की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने श्रमिक संघों/प्रबंधनों इ. के महत्वपूर्ण विषयों पर गहन एवं अद्यतन ज्ञान प्रदान करने हेतु दो दिवसीय आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद का आयोजन किया गया है।	प्रबंधन/श्रम संघों के द्वारा की गई आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करना ही कार्यक्रम का उद्देश्य था। जिससे श्रमिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन में वे अपनी प्रभावी एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकें। सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन से उत्पादकता में सुधार तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में श्रमिक समर्थ रूप से निर्णय ले सकेंगे।
6.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम	इच्छुक कोई भी प्रबंधन और श्रम संघ बोर्ड की सेवाओं का लाभ पा सकते है।	प्रतिभागात्मक संस्कृति तथा सहायक कार्य–वातावरण प्रदान करना। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि श्रमिक एवं प्रबंधन, दोनों में भी एक–दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए और उन्हें, यह समझना चाहिए कि वे दोनों भी एक ही रथ के दो पहिये है। यदि उनके विचार एवं कार्य समकालिक है (संगठन का विकास एवं वृद्धि) तो प्रगति होना चाहिए। एक की वृद्धि दूसरे की वृद्धि पर निर्भर है।	कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि श्रमिकों को अपने कार्य एवं जिम्मेदारी को अपने कार्य एवं संगठन के प्रति जागरूक रहना चाहिए और प्रबंधन को श्रमिक के अधिकारों के प्रति प्रबंधन को मनवाना चाहिए। जिससे सहायक वातावरण होगा। समग्र कर्मचारियों के शामिल होने से तथा सहायक वातावरण होने से उत्पाद तथा सेवा में उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार होता है।

7.	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी		कार्यक्षेत्र, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की पद्धति और कार्य, प्रतिभागात्मक प्रबंधन को सशक्त करना, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, कार्य संस्कृति इ. विषयों को इन कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के औद्योगिक संबंध प्रभाग से इन कार्यक्रमों के लिए अलग से निधि आना है।	इन कार्यक्रमों को आयोजित करने से प्रबंधन और श्रमिकों में अच्छा वातावरण निर्मित होता है तथा एक–दूसरे से परिचित होते है ताकि संगठन का विकास हो सकें।
8.	अंशकालिन इकाई स्तर की कक्षाएं/ पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएँ	तीन स्तर प्रणाली के अंतर्गतः शिक्षा अधिकारियों का चयन करके तथा उन्हें 6 महिने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नियुक्त किया जाता है। उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के तत्पश्चात वे श्रमिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देते है। यहाँ पर दूसरा स्तर पूरा होता है। इकाई स्तर की कक्षाएँ, तिसरा स्तर है जहाँ पर प्रशिक्षित श्रमिक, प्रशिक्षक, संगठन के सह–श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करते है।	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. द्वारा तीन स्तरों पर प्रशिक्षण प्रणाली है। जिससे श्रमिक शिक्षा सभी श्रमिकों को प्राप्त हो सकें। परंतु बदलते युग की वजह से यह अनिवार्य है। आजकल प्रत्येक श्रमिक को इस बदलते परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे केवल निरंतर प्रशिक्षण के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रमिकों की अधिक संख्या होने से इसे सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।	श्रमिक प्रशिक्षण द्वारा पूर्णकालिक आधार पर या अंशकालिक आधार पर संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अंशकालिक कार्यक्रम में कक्षाओं की अवधि 45 दिवसीय है जिसे अपने– अपने संगठन में कक्षाएँ ली जाती है। इन कक्षाओं को प्रतिदिन 01 घंटा चलाया जाता है। उस इकाई स्तर की कक्षाओं को द. ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों के शिक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत चलाया जाता है। शिक्षा अधिकारी इन कक्षाओं की आवश्यकतानुसार जब चाहे निरीक्षण करते हैं और श्रमिक प्रशिक्षकों को सहायता करते है और गतिविधियों पर ध्यान भी देते हैं।
9.	संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (एक दिवसीय)	कोई भी उद्योग/ संगठन जहाँ पर श्रमिक प्रशिक्षक है।	लक्ष्य समूह और निर्धारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार/प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार, बोर्ड द्वारा 1–दिवसीय संयंत्र स्तर पर परिसंवाद का आयोजन, श्रमिकों /मध्यम वर्ग के प्रबंधकों/श्रम संघ कार्यकर्ता इ. के लिए किया जाना है। प्रबंधन के साथ परिचर्चा के बाद ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संगठन की एकल आवश्यकता –नुसार विषय, समूह परिचर्चा /वाद–विवाद, अभ्यास इ. यह एकल कार्यक्रम है।	बदलते सामाजिक– आर्थिक परिवर्तन में श्रमिकों की अपनी प्रभावी एवं सकारात्मक भूमिका निभाने में सहज है। इस कार्यक्रम से उत्पादकता में वृद्धि और श्रमिकों की अपनी निर्णय क्षमता प्रभावी रूप से रखने में सहायक है।

10.	एफएएलसी खनन बगान अन्य	कोई भी उद्योग/संगठन जहाँ पर श्रमिक प्रशिक्षक है।	लक्ष्य समूह और निर्धारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार/प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार।	
11.	विशेष कार्यक्रम श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता (2/4 दिवसीय संगठित क्षेत्र)	यह कार्यक्रम केवल दम्पत्तियों के लिए अर्थात् पति–पत्नी इस कार्यक्रम में दम्पत्ति शुरू से लेकर अंतिम तक उपस्थित रहते है।	प्रतिभागियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अपने कार्यक्षेत्र में समस्याएँ होती हैं और साथ ही उनके घरों में भी समस्याएँ निर्माण होती है। इन सभी घटकों को केश्रशिबो ने ध्यान में लेकर ही एक अनुपम कार्यक्रम तैयार किया है। अर्थात् जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों ने अपना ध्यान जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम की तरफ केन्द्रित नहीं किया है। शायद इसका कारण न्यूनतम शिक्षा, न्यूनतम कमाई, अनावश्यक खर्च, सामाजिक बुराइयाँ इ. है।	परिवार के प्रति अपने कर्त्तव्य और जिम्मेदारियों के लिए पत्नी को संवेदनशील बनाना। परिवार में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना। उनके द्वारा परिवार में माता, बहू साथ ही पत्नी की भूमिका निभाने हेतु उन्हें समझाना। परिवार के प्रति पति की आजिविका संभालने की भूमिका तथा पति के कर्त्तव्य और जिम्मेदारी निभाने हेतु संवेदनशील बनाना। उनके द्वारा पिता, दामाद तथा एक पति की भूमिका निभाने हेतु उन्हें समझाना। उनमें बेहतर समझदारी होनी चाहिए ताकि एक सुखी परिवार का जीवन बीता सकें।
ब.	**असंगठित क्षेत्र**			
1.	असंगठित/दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम	हथकरघा, बिजली करघा, खादी तथा ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, औद्योगिक संपदा, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, नारियल जटा उद्योग, बीडी उद्योग, नमक श्रमिक, स्वास्थ्य श्रमिक(नर्सेस,मेट्रन इ.) रैग पिकर्स		
2.	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4/2 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं उनकी पत्नियाँ	1. द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के उद्देश्य एवं कार्यक्रम 2. स्वतन्त्रता आंदोलन 3. हमारी सांस्कृतिक विरासत 4. जमीन एवं लोग 5. श्रमिक संघ की आवश्यकता एवं महत्व 6. श्रमिक संघ क्या है– इसे कैसे संगठित करें? 7. श्रमिक संघों के कार्य	1. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपने सामाजिक–आर्थिक वातावरण की समस्याओं और श्रमिकों, ग्राम समाज के सदस्यों तथा नागरिकों के रूप में अपने हक एवं दायित्वों के प्रति गंभीर जागरूकता हासिल करेंगे। 2. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और

3.	उत्तर–पूर्व क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	8. कुटीर उद्योगों का अर्थशास्त्र – इसके विकास में श्रमिकों की भूमिका 9. नियोक्ता – कर्मचारी संबंध एवं इसका महत्व 10. उद्योग के लिए लागू श्रम कानून 11. सामाजिक सुरक्षा 12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 13. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 14. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 15. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना 16. अटल पेंशन योजना 17. प्रधानमंत्री जनधन योजना 18. प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना 19. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 20. परम्परागत कृषि विकास योजना 21. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 22. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 23. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 24. कैसे गृह बजट तैयार करें। 25. परिवार कल्याण योजना, जनसंख्या शिक्षा एवं परिवार स्वास्थ्य 26. मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य 27. आर्थिक विकास में कुटीर उद्योग की भूमिका 28. कुटीर उद्योगों में उत्पादकता का महत्व – गुणवत्ता संचेतना – उपभोक्ता जागरूकता 29. राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द 30. प्रौद्योगीकीय परिवर्तन का प्रभाव 31. सामाजिक बुराइयाँ – शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग लेना, नाजायज खर्च आदि से बचना। 32. बचत का महत्व – जीवन की गुणवत्ता	वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए जानकारी हासिल करेंगे। 3. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी वैयक्तिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करेंगे। 4. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के जरिए अपने निजी संगठनों का विकास करेंगे और ग्रामीण समाज का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ढाँचा को सशक्त बनाएंगे। 5. वे स्वयं को केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित होंगे। 6. आशा की जाती है कि वे क. छोटा परिवार मानक अपनाएंगे। ख. कोविड–19 के सुधारात्मक उपायों का अनुसरण करेंगे। ग. स्वयं को एच.आई.वी. /तपेदिक से बचाएंगे। घ. शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग लेना, नाजायज खर्च आदि न करने जैसे विभिन्न सामाजिक बुराइयाँ छोड़ देंगें। ड. श्रमिकों से आशा की जाती है कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का अनुसरण्या करेंगे और स्वयं को विभिन्न स्वास्थ्यपरक जोखित से बचाएंगे।
4.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (2 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक		
5.	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक		
6.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक		
7.	महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम	असंगठित महिला श्रमिक		
8.	बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम	बाल श्रमिकों के अभिभावकों		
9.	बाल श्रमिकों के लिए कार्यक्रम	बाल श्रमिक		
10.	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिक		
11.	एससीएसपी/टीएसपी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	अ.जा. के श्रमिक		
12.	जनजातीय श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय) (टीएसपी)	जनजातिय श्रमिक		
13.	श्रम कल्याण एवं विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1. नमक श्रमिक, 2. सिनेमा श्रमिक, 3. खदान श्रमिक, 4. पत्थर खदान श्रमिक		
14.	पंचायतीराज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	पंचायतीराज कार्यकर्ता		
15.	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायतीराज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	पंचायतीराज कार्यकर्ता		
16.	निर्माण श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	निर्माण श्रमिक		

			33. पोस्ट ऑफिस / बैंक की वेतन पर्ची / वेतन निकासी पर्ची आदि भरना एवं रेलवे आरक्षण फार्म भरना 34. मानव अधिकार– बाल श्रम का मानव अधिकार 35. महिला सशक्तीकरण 36. बाल श्रमिकों की समस्याएं – कार्यक्रम एवं नीतियाँ 37. बाल श्रम उन्मूलन में सरकार, नियोक्ताओं, श्रमिक संघों एवं अन्य एजेन्सिओं की भूमिका 38. ठेका श्रमिकों का उन्मूलन 39. महिला–पुरुष विभेद एवं महिला–पुरुष बजट 40. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कोविड–19, एचआईवी / एड्स, तपेदिक जागरूकता	
क.	**ग्रामीण क्षेत्र**			
17.	ग्रामीण जागरूकता शिविर	भूमिहिन श्रमिक, कृषि श्रमिक और सीमांत कृषक, मत्स्य श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, वन श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार, जनजातीय श्रमिक, वृक्षारोपण श्रमिक	1. द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो. की ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य 2. स्वतन्त्रता संघर्ष 3. हमारी सांस्कृतिक विरासत 4. जमीन एवं लोग 5. ग्रामीण श्रमिक शिक्षा संगठन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य 6. ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका 7. ग्रामीण श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों / सदस्यों के उत्तरदायित्व 8. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य एजेन्सियों के कल्याणकारी कार्यक्रमः क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ग) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना घ) प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना ड) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	1. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपने सामाजिक–आर्थिक वातावरण की समस्याओं और श्रमिकों, ग्राम समाज के सदस्यों तथा नागरिकों के रूप में अपने हक एवं दायित्वों के प्रति गंभीर जागरूकता हासिल करेंगे। 2. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए जानकारी हासिल करेंगे। 3. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी वैयक्तिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करेंगे। 4. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक– आर्थिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के जरिए अपने निजी संगठनों का विकास करेंगे और ग्रामीण समाज का लोकतांत्रिक,
18.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)			
19.	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)			
20.	मनरेगा के गाँव स्तरीय कार्यक्रम			
21.	मनरेगा के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम			
22.	सहायता अनुदान कार्यक्रम	श्रमिक संघ के कार्यकर्ता		
23.	आत्मनिर्भरता शिविर (4 दिवसीय)			
	उत्तर–पूर्व विशेष कार्यक्रम			
24.	पंचायतीराज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	विशेष रूप से उत्तर–पूर्व के कार्यकर्ता		
25.	राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)			

26.	व्यक्तित्व विकास पर विशेष कार्यक्रम (5 दिवसीय)		च) अटल पेंशन योजना छ) प्रधानमंत्री जनधन योजना ज) प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना झ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च) परम्परागत कृषि विकास योजना ट) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ठ) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ड) जवाहर समृद्धि योजना ढ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना ण) ग्रामीण जनसंख्या संबंधी बीमा योजना त) वृद्धा पेंशन योजना थ) ग्राम सर्वोदय योजना एवं ग्रामीण श्रमिकों से संबंधित अन्य संगत योजनाएं द) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 9. कल्याणकारी कानूनः – कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी – बंधुआ श्रमिकों का उन्मूलन एवं उनका पुनर्वासन – समान कार्य के लिए समान वेतन – देश एवं विदेश में प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं 10. भूमि सुधार कानून – किराएदारी अधिनियम (जैसे जमीन जोतने का काम) – कृषि उत्पादकता – कृषि उपज के लिए उच्च वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने की आवश्यकता 11. सामाजिक कार्यः – शराब पीना – जुआ खेलना – एच.आई.वी. / एड्स / हिपेटाइटिस जागरूकता – नशा करना (ड्रग लेना) – फिजूल खर्च से बचना – दहेज – बाल विवाह – अस्पृश्यता आदि 12. सामाजिक प्रगतिः – परिवार कल्याण योजना – जच्चा बच्चा स्वास्थ्य, शिशु	धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ढाँचा को सशक्त बनाएंगे। वे स्वयं को केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित होंगे। 5. आशा की जाती है कि वे क. छोटा परिवार मानक अपनाएंगे। ख. कोविड–19 के सुधारात्मक उपायों का अनुसरण करेंगे। ग. स्वयं को एच.आई.वी. / तपेदिक से बचाएंगे। घ. शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग लेना, नाजायज खर्च आदि न करने जैसे विभिन्न सामाजिक बुराइयाँ छोड़ देंगें। ड. श्रमिकों से आशा की जाती है कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का अनुसरण्या करेंगे और स्वयं को विभिन्न स्वास्थ्यपरक जोखित से बचाएंगे
27.	ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)			

			की देखभाल एवं वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा सफाई – अल्प बचत – गृह बजट – जीवन की गुणवत्ता – बैंक/पोस्ट ऑफिस में विभिन्न फार्म जैसे वेतन पर्ची तथा बैंक से पैसा निकासी की पर्ची, मनी ऑर्डर फार्म भरना तथा रेलवे आरक्षण फार्म आदि भरना। 13. शिक्षा का महत्व 14. सहकारिता तंत्र 15. पंचायतीराज तंत्र 16. ग्रामीण महिला सशक्तीकरण 17. बाल श्रम उन्मूलन में विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेन्सिओं की भूमिका 18. मानव अधिकार – बाल श्रमिकों का मानव अधिकार 19. सामाजिक, आर्थिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता एवं महत्व 20. ग्रामीण रोजगार – समस्याएं एवं निदान 21. महिला–पुरुष विभेद एवं महिला पुरुष बजट 22. प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, कोविड–19, एचआईवी/एड्स, तपेदिक के प्रति जागरूकता	

शैक्षिक सामग्री की तैयारी, प्रकाशन एवं वितरण

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) एक शैक्षिक संस्थान होने के नाते संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये सरल एवं सुबोधगम्य पाठ्यपुस्तिकाएं प्रकाशित करता है। इसी प्रकार कक्षा में प्रतिभागियों की रुचि को बनाए रखने तथा शिक्षण को और अधिक रोचक एवं आशयपूर्ण बनाने के लिये सचित्र पुस्तिकाएं, पोस्टर्स, सी.डी., फिल्म्स आदि दृश्य–श्रव्य साधन के रूप में भी प्रकाशित किये जाते हैं।

शैक्षिक सामग्री एवं दृश्रय–श्रव्य साधनों को मुद्रित करने से पहले श्रमिकों, श्रमिक संघों एवं प्रबंधनों की आवश्यक्ताओं का निर्धारण करने के बाद समय–समय पर आयोजित कार्यशालाओं में बोर्ड के अधिकारियों से उसकी चर्चा की जाती है। ये पुस्तिकाएँ 5 रुपये प्रति पुस्तिका की किफायती दर पर बेची जाती है।

श्रमिक शिक्षा पत्रिका

बोर्ड द्वारा ''श्रमिक शिक्षा'' नामक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसमें श्रम संघवाद, औद्योगिक संबंध, श्रम अर्थशास्त्र, शिक्षा के उपकरण एवं तकनीक, उत्पादक्ता, भागीदारी प्रबंधन आदि विषयों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में उच्च कोटि के लेख होते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रमिक शिक्षा पत्रिका का कोई भी अंक प्रकाशित नहीं किया गया।

बोर्ड की मुख्य उपलब्धियां

श्रमिक शिक्षा पर शीर्ष न्यायालय

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 में बोर्ड को निर्देशित करते हुए निर्णय दिया कि बोर्ड, फरीदाबाद जिले में पत्थर खदान तथा पत्थर पीसने का काम करने वाले श्रमिकों को उनके अधिकार एवं हक के प्रति जागरूक करने के लिए समय–समय पर शिविर आयोजित करना है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशानुसार बोर्ड वर्ष 1984 से फरीदाबाद जिले में इन श्रमिकों के लिए दो दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन करता आ रहा है। ये शिविर खदानों में काम कर रहे श्रमिक संघों के सहयोग से श्रमिकों के अनुकूल स्थानों/कार्यस्थलों पर आयोजित किये जाते हैं।

इन शिविरों में बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम,1976, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, समान वेतन अधिनियम, 1976, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, खदान अधिनियम, 1952, फैक्टरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 जैसे विभिन्न कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को दिए गए हक, अधिकार, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करने पर जोर दिया गया।

वर्ष **2018–19** के दौरान, दो दिवसीय अवधि के **03** शिविर में 120 श्रमिकों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.स.	**स्थान**	**अवधि**	**प्रतिभागियों की संख्या**		**कुल**
			पुरुष	**महिला**	
1.	बाबू लाल डेरा, फरीदाबाद	30 एवं 31 मई, 2019	3	37	40
2.	जसवंत का डेरा, फरीदाबाद	22 एवं 23 अक्तूबर, 2018	5	35	40
3.	पल्ली क्रशर जोन, फरीदाबाद	28 एवं 29 दिसम्बर, 2018	21	19	40
कुल			**29**	**91**	**120**

***

अध्याय – IV

सहायता अनुदान

बोर्ड की सहायता अनुदान योजना 1960 में प्रारम्भ हुई है। सहायता अनुदान के नियमों एवं प्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल एवं संशोधित कर दिया गया है।

श्रमिक संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सहायता अनुदान निम्नानुसार चार प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये उपलब्ध होता है :

1	पूर्ण कालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
2	पूर्ण कालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
3	अंश कालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	2 से 4 दिवसीय
4	राज्य सतर पर पूर्ण कालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय

वर्ष 2018–19 के दौरान, श्रमिक संघ संगठनों को रु. 15930/- राशि सहायता अनुदान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु दी गई, जिनमें 80 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों/शिक्षा अधिकारियों ने सहायता अनुदान कार्यक्रमों का निरीक्षण किया तथा अनुदानग्राहियों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए।

वर्ष 2017–2018 एवं 2018–2019 के दौरान श्रम संगठनों को दी गई सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	संगठन	श्रमिक संघों /संस्थानों की संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया		प्रदत्त अनुदान राशि (रुपयों में)	
	केन्द्रीय संगठन / राष्ट्रीय परिसंघ	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (इंटक)	0	1	0	15,930.00
2	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (एटक)	0	0	0	0
3	हिन्द मजदूर सभा	0	0	0	0
4	सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू)	0	0	0	0
5	इन्डिपेंडेंट ट्रेड यूनियन्स	0	0	0	0
6	सोसाइटीज पंजीकृत अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	0	0	0	0
7.	ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलॉईज फेडरेशन	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**0**	**15,930.00**

मार्च, 2019 तक **1587** श्रमिक संघ संगठनों आदि ने बोर्ड से **रु. 28,196,701.62/-** सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करके **6,84,367** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया। प्रदत्त सहायता अनुदान और प्रशिक्षित श्रमिकों संबंधी विस्तृत विवरण **सारणी–XV** में दिया गया है।

अध्याय–V

अन्य गतिविधियाँ

पारदर्शी प्रशासन
लोक शिकायतः

लोक शिकायत	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटाये गये मामलें
	60	60

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम के मामलें	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटाये गये मामलें	शुल्क प्राप्त
	186	186	रु. 440.00

कर्मचारी कल्याण

वर्ष 2018–2019 के दौरान बोर्ड ने अपने पदाधिकारियों को संगणक एवं वाहन प्रदान करने के लिए रु.1.20 लाख संवितरित किया।

कर्मचारी की स्थिति

बोर्ड में दिनांक 31/03/2018 को वर्ग क,ख,ग एवं एम.टी.एस. के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार थी :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'	वर्ग 'ग'	एम टी एस	कुल
1	मुख्यालय, नागपुर	5	13	45	12	75
2	भा.श्र.शि.सं., मुम्बई	1	5	10	6	22
3	आँचलिक निदेशालय (6)	6	4	20	5	35
4	क्षेत्रीय निदेशालय (50)	0	265	197	121	583
	कुल	**12**	**287**	**272**	**144**	**715**

1. बोर्ड में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

अ) वर्ष 2018–2019 के दौरान भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 03 संख्यक 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 02 बैठक आयोजित की गईं और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई।

ब) हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा का आयोजन

मुख्यालय, नागपुर में हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के रूप में क्रमशः रु.1800/-, 1500/-, 1200/- एवं 500/- प्रदान किए गये।

क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अंशदान

वर्ष 2018–19 में छमाही बैठकों, प्रतियोगिताओं का आयोजन करने, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों, हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद, जमशेदपुर, जयपुर तथा भा.श्र.शि.सं., मुंबई को बोर्ड ने रु.12,500/- (बारह हजार पाँच सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

श्री पी.के. मून, क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी, राजकोट ने वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा में सराहनीय प्रयास करने हेतु दिनांक 12.2.18 को अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजकोट से प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। श्री पी.बी. निनावे, प्रभागीय रेल प्रबंधक, राजकोट के करकमलों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुरस्कार वितरण समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

ड़) हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन

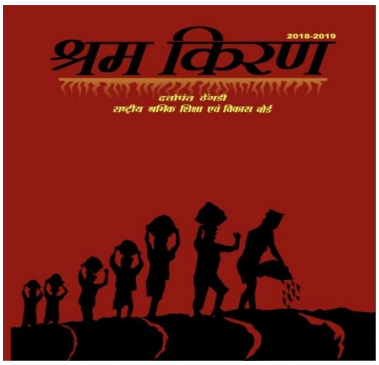

बोर्ड द्वारा 'श्रम किरण' हिन्दी पत्रिका प्रकाशित की गई।

बोर्ड में विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस — 01 मई, 2018
- स्वच्छता पखवाड़ा — 01 मई से 15 मई, 2018
- आतंकवाद विरोधी दिवस — 21 मई, 2018
- योगा दिवस — 21 जून, 2018
- स्वतंत्रता दिवस — 15 अगस्त, 2018
- सद्भावना दिवस — 20 अगस्त, 2018
- हिन्दी पखवाड़ा — 03 से 13 सितम्बर, 2018
- हिन्दी दिवस — 13 सितम्बर, 2018
- श्रमिक शिक्षा दिवस — 16 सितम्बर, 2018
- स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) — 15 सितम्बर से 02 अक्तूबर, 2018
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह — 28 अक्तूबर से 02 नवम्बर, 2018
- राष्ट्रीय एकता दिवस — 31 अक्तूबर, 2018
- कौमी एकता दिवस — 19 से 25 नवम्बर, 2018
- संविधान दिवस — 26 नवम्बर, 2018
- गणतंत्र दिवस — 26 जनवरी, 2019
- शहीद दिवस — 30 जनवरी, 2019

इस अवसर पर परिसंवाद, संगोष्ठियाँ, विशेष व्याख्यान, फिल्म शो, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही प्रशिक्षार्थियों शपथ दिलाई गई।

वर्ष 2018–19 में उच्च अधिकारियों द्वारा भेंट/निरीक्षण, अध्यक्ष ने निम्नलिखित स्थानों का निरीक्षण किया:

क्र. सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
1.	16.09.2018	भा.श्र.शि.सं., मुंबई	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. का 60वॉ स्थापना दिवस
2.	16.10.2018	भा.श्र.शि.सं., मुंबई	भा.श्र.शि.सं., मुंबई में 62वीं वित्त उप समिति एवं 173वीं शासी निकाय की बैठक
3.	3–22.10. 2018	मुख्यालय, नागपुर	लम्बित अनुशासनिक मामलें, क्षेत्रीय सलाहकार समिति के लम्बित प्रस्ताव, किराया प्रस्ताव एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट करना एवं समीक्षा करना
4.	30.10.2018	मुंबई	भा.श्र.शि.सं. मुंबई में श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए निर्माण उद्योग में बढ़ते हुए अनुपम कार्य विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सम्बोधित करना
5.	31.10.2018	नई दिल्ली	अध्यक्ष कार्यालय, दिल्ली में श्री सतोषी ससकी, उप निदेशक, अ.श्र.सं., प्रतिष्ठित कार्य टीम, दक्षिण एशिया एवं देशीय कार्यालय से मिलना
6.	12.11.2018	उदयपुर	उदयपुर में हितधारकों तथा क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
7.	15.11.2018	विशाखपट्टणम	प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता की और ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम में भेंट दी।
8.	13–14.12. 2018	इम्फाल	थाउबल जिला मणिपुर में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्तर–पूर्व में राज्य स्तर पर श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के 03 दिवसीय समापन समारोह में सम्मिलित हुए।
9.	20–21.12. 2018	ग्वालियर	हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता की और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की।
10.	28.12.2018	मुंबई	पर्यावरण जागरूकता पर 03 दिवसीय कार्यक्रम के प्रतिभागियों – भा.श्र.शि.सं., मुंबई में श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के मंच को सम्बोधित किया।
11.	28–29.01. 2019	राजकोट	महिला प्रतिभागियों के लिए 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।
12.	21.01.2019	मुंबई	श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघ के समक्ष चुनौतियाँ विषय पर भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई में आयोजित 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।
13.	26.02.2019	कोचीन	एच.एच.आई.एल., कोचीन में हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता की तथा संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।
14.	9–10.03. 2019	विजयवाड़ा	अनुसूचित जाति उप योजना के लिए कार्यक्रम में भेंट दी।

बोर्ड के महानिदेशक द्वारा प्रशासनिक निरीक्षण

क्र.सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
1.	09–10.08.2018	नई दिल्ली	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मंत्रालय में बैठक
2.	03.10.2018	नई दिल्ली	सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ बैठक
3.	16.10.2018	मुंबई	भा.श्र.शि.सं., मुंबई में 62वीं वित्त उप समिति एवं 173वीं शासी निकाय की बैठक
4.	11–13.12.2018	इटारसी	आयुध निर्माण कारखाना, इटारसी में सी.बी.आई. की पूछताछ में सम्मिलित होने हेतु
5.	21.12.2018	नई दिल्ली	समीक्षा बैठक एवं आंतरिक लेखा परीक्षा तथा सांविधिक लेखा परीक्षा के पैरा के संबंध में मंत्रालय की बैठक
6.	13.02.2018	नई दिल्ली	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में सुनवाई
7.	26.03.2019	नई दिल्ली	अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ डी.बी.टी. भारत पोर्टल पीएफएमएस/ यूआईडीएआई –सीआईडीआर की बैठक

***

अध्याय– VI

वर्ष 2018–19 में बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

नागपुर

अ) 16 सितम्बर, 2018 को श्रमिक शिक्षा दिवस का आयोजन

डॉ. एन.वी. कल्याणकर, माननीय कुलपति, गोंडवाना विश्वविद्यालय, गडचिरोली उपर्युक्त समारोह के प्रमुख अतिथि थे। उन्होंने आगे कहा कि, परिवर्तन अटल है और हमें परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए, साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि, बोर्ड को भारत सरकार के आदेश को श्रमिकों की वर्तमान परिदृश्य की समस्याओं का निराकरण करने हेतु अमल में लाना चाहिए।

श्रीमती नम्रता तिवारी, महाप्रबंधक, टेलिकॉम, नागपुर और भूतपूर्व निदेशक, द.ठें.रा.श्र.शि.वि. बो. सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। श्रीमती तिवारी ने कहा कि बोर्ड की सफलता में अनुभवपूर्ण नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा जमीनी स्तर पर विचार प्रकट किया है। जिससे बोर्ड एक अनुपम संगठन बन गया है।

श्री हर्ष वैद्य, महानिदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन तो अटल है परंतु हमें श्रमिकों के हितों के खातिर केवल सकारात्मक बदलाव ही अपनाना चाहिए, जोकि श्रमिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है।

ब) सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

29 अक्तूबर, 2018 से 03 नवम्बर, 2018 तक मुख्यालय, नागपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

क) "स्वच्छ भारत अभियान" का कायान्वयन

बोर्ड के मुख्यालय तथा अन्य क्षेत्रीय निदेशालय में दिनांक 01 मई, 2018 से 15 मई, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम

तिनसुकिया

बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रतिबंधित विषयों जैसे बाल श्रमिकों की समस्याएं एवं इसका निराकरण, आय में वृद्धि की गतिविधियाँ, महिला सशक्तीकरण, बाल श्रमिकों की बुराई एवं निषेध, सरकार योजनाएँ जैसे कि– प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या, समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना जैसी सरकारी कल्याण योजनाएं – मीड–डे मील तथा सर्व शिक्षा अभियान, बाल श्रमिकों के लिए श्रम विधान आदि की सराहना की।

निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

गुवाहाटी

निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया जिसमें असम बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, असम सरकार के सदस्यों ने स्वयं को पंजीकृत कराया।

महिला श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

राँची

क्षेत्रीय निदेशालय, राँची द्वारा महिला श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला प्रतिभागियों ने अपनी लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने का निश्चय किया, साथ ही अपने आधार कार्ड को स्टेट बैंक खाते से लिंक किया।

असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंगलूर

ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मंगलूर केन्द्र के द्वारा किया गया, जिसमें प्रतिभागी मनरेगा योजना के अंतर्गत बागवानी करने हेतु लाभ पा सकें।

चेन्नै

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै द्वारा तिरूवनमाली में विशेष परिसंवाद का आयोजन किया गया। जिसमें श्रमिकों की पहचान की गई और उन्हें श्रमिक कल्याण बोर्ड से पहचान पत्र भी प्रदान किया गया। साथ ही प्रतिभागियों को टेलरिंग, कृत्रिम आभूषण तैयार करना तथा ब्यूटिशियन कोर्स इ. का शिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे अपनी आजिविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें।

संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (जे.ई.पी.)

जमशेदपुर

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों के लिए जमशेदपुर केन्द्र द्वारा संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों ने महसूस किया कि, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बेहतर जीवनशैली पाने हेतु एवं तनाव को कम करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम

राऊरकेला

बंदीपहाड, झारसुगुडा में राऊरकेला केन्द्र द्वारा ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें "बचत करने की मदद", न्यूनतम मजदूरी, सूचना का अधिकार अधिनियम,

सामाजिक सुरक्षा योजना, विभिन्न केन्द्र/राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ इ. विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रत्येक घर में एक शौचालाय की व्यवस्था कराने हेतु भी प्रतिभागियों ने कार्य किया।

श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम

कोयम्बत्तूर

श्रम कल्याण एवं विकास विषय पर कोयम्बत्तूर केन्द्र द्वारा एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन पेरियाकन खण्ड में किया गया। जिसमें प्रतिभागियों ने नजदीक के डाकघर में रिकरिंग डिपॉजिट तथा बीमा पत्र भी निकाला। इस कार्यक्रम के तत्पश्चात कुल 20 संख्यक प्रतिभागियों को टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। 03 प्रतिभागियों ने आभूषण बनाना शुरू करके स्व–रोजगार शुरू किया।

नासिक

नासिक केन्द्र द्वारा श्रम कल्याण एवं विकास विषय पर दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन खण्ड– पिंपरी, जिला– जलगाँव में किया गया। जिसमें सरपंच श्रीमती मालती दिनेश पाटील ने पंचायत में प्रतिभागियों को कल्याणकारी योजनाओं से एकीकृत किया।

जन-जातीय (TSP) उप योजनांतर्गत श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

आसनसोल

खण्ड सलटोरा, बंकुरा में टी.एस.पी. कें अंतर्गत जन–जातीय श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन आसनसोल केन्द्र द्वारा किया गया। जिसमें प्रतिभागियों का भवन और निर्माण श्रमिकों की योजनाएँ एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन किया गया।

मनरेगा के अंतर्गत कार्यक्रम

इलाहाबाद

मनरेगा के ग्राम स्तर पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन खण्ड– कोरान, जिला– इलाहाबाद में इलाहाबाद केन्द्र द्वारा किया गया। जिसमें प्रतिभागियों को आजीविका कमाने में मदद की गई।

ग्वालियर

ग्राम स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यक्रम खण्ड– डाब्रा, जिला–ग्वालियर में ग्वालियर केन्द्र द्वारा आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभागियों ने बजरंगबली स्वयं सहायता समूह का गठन किया।

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (पीडीपी)

कानपुर

कानपुर केन्द्र द्वारा आयोजित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम में श्री वी. के. रॉय, अपर श्रम आयुक्त प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री आर. पी. मिश्रा, उप निदेशक, श्रम ब्यूरो, कानपुर के समापन भाषण के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। उद्योग में अनुशासन एवं कार्यालय प्रबंधन में नई तकनीकी पर कार्यक्रम में बल दिया गया।

चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम

मुंबई

परेल, मुंबई में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मुंबई केन्द्र द्वारा किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिभागियों के नाम पंजीकृत किये गये।

बोर्ड के हितधारकों की बैठक

विशाखपट्टणम

बोर्ड के माननीय अध्यक्ष द्वारा आय.टी.सी. फॉच्यूट होटल, विशाखपट्टणम में हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता की गई। जिसमें प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम' के उद्देश्य को पूरा करने हेतु कर्मचारियों के व्यवहार को बनाए रखने के संबंध में श्रमिक शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया गया। साथ ही, श्री एस.आर.के. प्रताप, अध्यक्ष, क्षेत्रीय सलाहकार समिति ने संबंधित कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

हितधारकों का पुनर्निवेशन (Feedback)

प्रबंधन

श्री प्रफुल्ल मोहन्ती, महाप्रबंधक (एल एण्ड डी), आईपीएपीपीएम लि., राजमुन्द्री ने जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (एसजीएफ के अंतर्गत) के प्रभाव पर प्रकाश डाला।

श्री सी.वी.एस. प्रभाकर वर्मा, सहायक महाप्रबंधक (प्रशि.), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., विशाखपट्टणम ने कहा कि यूएलसी और पीडीपी इन कार्यक्रमों का पहले आयोजन किया था, जिससे श्रमिकों के व्यवहार में कार्य तथा व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आये थे।

गैर–सरकारी संगठन

श्रीमती पी. प्रभावती, निदेशक, नवोदय महिला मंडल, विशाखपट्टणम ने कहा कि ग्रामीण युवकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जोकि समय की माँग है।

बोर्ड की गतिविधियों में श्री हिरन्मय जे. पण्डया, अध्यक्ष की भेंट

आईटीसी फार्चुन होटल, विशाखपट्टणम में दिनांक 15.11.2018 को बोर्ड के हितधारकों की बैठक में सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के निर्धारण में विशाखपट्टणम में आयोजित दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम के प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए अध्यक्ष।

30 जनवरी, 2019 को क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आयोजित एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए **श्री मोलोय घटक, माननीय श्रम मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार** तथा साथ में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए श्री बिमन बनर्जी, माननीय विधान सभा अध्यक्ष, विधान सभा, पश्चिम बंगाल

16 सितम्बर, 2018 को श्रमिक शिक्षा दिवस पर प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए श्री शोभनाथ चट्टोपाध्याय, **माननीय ऊर्जा मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार** (अनुभवी ट्रेड यूनियनिस्ट) तथा समारोह की शोभा बढ़ाते हुए श्री सुरेश कुमार, **भा.प्र.से., प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल, सरकार** एवं साथ में उपस्थित द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के भूतपूर्व निदेशक श्री एस. के. घोष

16 सितम्बर, 2018 को मुख्यालय, नागपुर में श्रमिक शिक्षा दिवस के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के हीरक जयंती समारोह में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए श्री एन.वी. कल्याणकर, **कुल सचिव, गोंडवाना यूनिवर्सिटी** एवं साथ में द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. की भूतपूर्व निदेशक श्रीमती नम्रता तिवारी

16 सितम्बर, 2018 को श्रमिक शिक्षा दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. पुणे द्वारा प्रशिक्षित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता संघ को सम्मनित करते हुए श्री. अनिल शिरोले, माननीय सांसद

क्षेत्रीय निदेशालय, राजकोट गुजरात में 16 सितम्बर, 2018 को 60वें श्रमिक शिक्षा दिवस एवं हिन्दी दिवस का उद्घाटन करते हुए
श्री हसुभाई दवे, भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए
श्री वी.के. रॉय, अपर श्रम आयुक्त एवं **श्री आर. पी. मिश्रा, उप निदेशक,** श्रम ब्यूरो, कानपुर

द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 15.09.2018 से 20.10.2018 तक स्वच्छ भारत मिशन **"श्रमिक शिक्षा स्वच्छता की दीक्षा"** हेतु स्वच्छता अभियान में सम्मिलित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी

अध्याय–VII

प्रतिभागियों एवं समाज पर प्रशिक्षण का प्रभाव

बरेली

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में बरेली में पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों से बातचीत करके जाना कि प्रशिक्षण और ज्ञान प्राप्ति कार्यक्रम से उनके कामकाजी जीवन में मदद मिलती है। वे प्रतिभागियों की संतुष्टि और उनके संज्ञात्मक विकास पर ध्यान देने से प्रसन्न थे।

माननीय मंत्री श्री गंगवार जी ने असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के कार्यक्रम किए जाने वाले अन्य व्यय एवं प्रतिदिन बढ़े हुए दैनिक भत्ता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भविष्य में बोर्ड के उत्थान के लिए बहुत कुछ करना है और उन्होंने यह भी कहा कि मैं बोर्ड के मामलें को व्यक्तिगत रूप से भी देखूंगा।

जमशेदपुर

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र (शहरी विकास मंत्रालय, झारखण्ड सरकार) में पहली बार 02 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रबंधकों/अभियंताओं/ निरीक्षकों सहित कुल 50 कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री सरयू राय, माननीय मंत्री, सिविल आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन, झारखण्ड सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में कार्यालयीन काम में परिणामोन्मुख निष्कर्ष के लिए कौशल प्रशिक्षण के महत्व को बताया और कहा कि आर्थिक वैश्वीकरण एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन के युग में यदि कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं होगा तो सरकार बेहतर परिणाम नहीं दे सकती है। उन्होंने अपने भाषण में उद्योग, समाज के साथ–साथ राष्ट्र के श्रमिक समाज के विभिन्न वर्गों को बहुत रूचिपूर्वक प्रशिक्षण देने के लिए द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. की सराहना की।

राँची

ब्लॉक–नामकुम, जिला–राँची में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सभा के सांसद श्री महेश पोद्दार एवं विधान सभा के सदस्य श्री रामकुमार पहान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं एंव ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र में कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों की सराहना की।

इम्फाल

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव यह था कि मोइडंगपोक ग्राम, इम्फाल पश्चिम जिला–मणिपुर में 04 दिनों तक आयोजित ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर के कार्यक्रम से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रारंभ कर दीं:

1) अंगोम बाला एवं थंगजाम द्वारा मणिपुर के काले चावल का प्रयोग करते हुए केक बनाने का कार्य औसतन 2000/- प्रतिदिन की दर से आय अर्जित किए।

2) के. मेमचा देवी एवं के. समासखी द्वारा मोमबत्ती बनाना प्रारंभ किया और अतिरिक्त आय अर्जित किया।

3) लैश्राम जिम करनी लेइमा द्वारा पंजाब एवं सिंध बैंक, इम्फाल में प्रतिमाह रुपये 600/- का आवर्ती जमा का खाता खोला गया।

यह आजिविका कमाने की एक केस स्टडी है :

खोनघम्पाट खुनाउ, इम्फाल पश्चिम जिला– मणिपुर–24 में 2 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 24 सदस्य मणिपुर काबोक (खाद्य संसाधन एकक) बनाना प्रारंभ कर दिया और आज की तिथि तक 07 बड़े पैमाने पर आपूर्ति की माँग किए और आपूर्ति भी किए, इस प्रकार उनकी आय जैसे आजीविका में वृद्धि हुई।

विशाखपट्टणम

गंजुवाका मण्डल, विशाखपट्टणम जिला में दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री एम. एस. शेख, समन्वयक, सीड, एनजीओ, विशाखपट्टणम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

श्री हिरण्मय पंडया जी माननीय अध्यक्ष ने शिविर में भेंट दी और "महिला शक्ति" के प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। उन्होंने श्रीमती सुनिता विलियम, श्रीमती मैरी कोम आदि का उद्धरण देते हुए बताया कि वे किस प्रकार से दूर–दराज गाँवों में भारत राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने राष्ट्र विकास के लिए महिला के महत्व पर बल दिया। बाद में, उन्होंने महिलाओं को सलाह दिया कि आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री की मुद्रा योजनाओं को उपयोग में लाने के लिए कहा। श्री एस.आर.के. प्रताप, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, अध्यक्ष, विशाखपट्टणम भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए अपील किया कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें उन्होंने उनके स्वरोजगार गतिविधियों हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के बारे में विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान किया।

माननीय अध्यक्ष ने बातचीत के माध्यम से फीडबैक लिया और कहा कि उन प्रतिभागियों के ज्ञान और जानकारी में वृद्धि पर ध्यान दें, जो दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रक्रिया के तहत आये थे।

बरेली

डॉ. प्रेम सिंह राणा, विधायक, नानकमट्टा ने सितारगंज, उधम सिंह नगर में आदिवासी उप–योजना प्रकोष्ठ श्रमिकों के लिए आयोजित 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम में भेंट दीं। अपने सम्बोधन में उन्होंने आग्रह किया कि आदिवासी महिलाओं को विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए। महिलाओं को ऐसे स्वरोजगार के लिए तैयार होना चाहिए जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें। डॉ. प्रेम सिंह राणा ने पददलित समाज के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बोर्ड की सराहना भी की। उन्होंने भाग लेने वाली महिलाओं के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा, जो शायद ही कभी अपने घरों से बाहर आने को मौका पाती हैं।

धनबाद

ब्लॉक– बलियापुर, जिला–धनबाद में महिला श्रमिकों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं का समूह जनसंख्या नियंत्रण की सोच से सहमत हुआ। 40 महिलाएं जिनको मात्र एक बालक थे उन लोगों ने निश्चय किया क वे जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी करवाएगी, इस उद्देश्य से उन्होंने "नारी सुरक्षा समाज" का गठन किया और जनसंख्या नियंत्रण के आंदोलन के लिए निश्चय किया।

ब्लॉक– बेंगाबाद, जि.– गिरिडीह में पंचायतीराज पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मिलित पंचायतीराज पदाधिकारियों का समूह गरीब ग्रामीणों को कंबल दान देने का निश्चय किया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने बूढ़े एवं गरीब ग्रामीणों को 12 संख्यक कंबल दान किए।

वेदांता– ई.एस.एल., सियलजोरा, जिला– बोकारो में एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी "मानव अधिकार" विषय के विचारों से बहुत ही प्रेरित हुए तथा उद्योग में मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए संयंत्र स्तर पर "मानवाधिकार संरक्षण बल" को गठित करने का निश्चय किया।

धनबाद

नदिया जिला ने श्रमिक शिक्षा की और कूपर्स विश्वसूख कल्याण सोसाइटी नामक गैर–सरकारी संगठन की उपलब्धियों के बारे में प्रतिभागियों को सूचित किया– 1) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, 2) केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों को प्रेरणा।

कोचीन

कोचीन में संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम का प्रभाव।

अ) हर्रिसन मलयालम लि., वल्लारडे एस्टेट, वांडिपेरियार, इडुक्की ने प्रमाणित किया है कि बोर्ड के निममित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने कार्य एवं संगठन के प्रति कर्मचारियों के बीच समप्रण प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी की भावना को विकसित किया है परिणामस्वरूप उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आया है और अनुपस्थिति में गिरावट आई है।

ब) नैवल शिप रिपेयर यार्ड (एन.एस.आर.वाय.), कोचीन में बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित आयोजित किए जाते हैं और प्रमाणित किया है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच देशभक्ति, वातावरण की चेतना एवं अच्छी आदतों के विकास के लिए बेहद योगदान दिए हैं।

ग) कोचीन शिपयार्ड लि. ने प्रमाणित किया है कि बोर्ड द्वारा आयोजित पूर्व–सेवानिवृत्त प्रशिक्षण ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्त जीवन को अधिक प्रभावी और सृजनात्मक बनाने के लिए बहुत मदद किया है।

कोरीपुजहा, कोल्लम जिला, कोचीन में ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के प्रभाव से कार्यक्रम आयोजित किए गये, जिसमें 02 प्रतिभागी प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के लिए पंजीकृति किए गये।

उरूकुन्नु, अंचल ब्लॉक, कोल्लम में कोचीन केन्द्र के अंतर्गत 02 दिवसीय आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों के प्रति प्रतिभागी अभिन्मुख थी तब एक अवैध रूप से तलाकशुदा महिला प्रतिभागी अपने पति से निर्वाह निधि/रखरखाव प्राप्त करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण की सहायता माँगी।

वड़ोदरा

क्षेत्रीय निदेशालय, वड़ोदरा ने पुरस्कार के संबंध में आदित्य बिड़ला इंसुलेटर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. से पत्र प्राप्त किया है। **18 फरवरी, 2019 को वैश्विक कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी दिवस पर सामुदायिक विकास के लिए वैश्विक कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी उत्कृष्टता नेतृत्व पुरस्कार।**

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय निदेशालय, वड़ोदरा द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये, कर्मचारियों से उत्पादक परिणाम प्राप्त हुए। बोर्ड ने कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए 'जीवन की गुणवत्ता' कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतिभागियों ने कहा कि "यह कार्यक्रम उनके जीवन को बदल दिया"। संघ के नेतागण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी था जिसने न केवल प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच बल्कि स्थानीय क्षेत्र में भी बहुत अच्छा औद्योगिक संबंध स्थापित कर दिया है।

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की गतिविधियों के जरिए नजदीकी गाँवों को लक्ष्य बनाया गया और प्रतिभागियों से उत्साहजनक फीडबैक प्राप्त हुआ है, और उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय

निदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को न केवल उनके जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रेरित किया है बल्कि उनकी बुरी आदतों को भी समाप्त कर दिया है साथ ही सरकार की विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना आदि) भी प्रचलन में है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिभागियों को स्व–रोजगार एवं आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किया और उन्होंने गोधरा के बैंक ऑफ बड़ौदा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रशिक्षण प्रोगामरों को विभिन्न दीर्घ एवं संक्षिप्त अवधि (10 दिन एवं 01 माह) के जरिए स्वरोजगार संस्थान ने प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाने में मदद किया।

आज यह समय सही समय है, उन्होंने द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के महानिदेशक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वड़ोदरा को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग समाज के हित में ऐसे सहयोगी दृष्टिकोण को अमल में लाएंगे।

मंगलूर

हुंसुर तालुका, मैसूरु जिला में आदिवासी उप योजना के अंतर्गत आदिवासी श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें लोगों में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से "स्वच्छता ही सेवा, 2018" अभियान को चलाया गया। जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बेहतर सफाई के प्रति जागरूक बने, शौचालयों का निर्माण कराने, हाथ की साफ–सफाई रखने, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बनाए रखने के बारे में जागरूक बन गये और सूखा एवं गीला वर्ज्य पदार्थों को रखना भी सीख गये।

रमनाहल्ली गाँव के प्रतिभागियों ने द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के कार्यक्रमों के बाद प्रतिभागियों ने निश्चय किया कि वे (घरों, दुकानों एवं संस्थानों) के वर्ज्य पदार्थों को दो कूड़े दानों में अर्थात् भीगे या गीले वर्ज्य पदार्थों को हरे कूड़ादान में तथा सूखे वर्ज्य पदार्थों को नीले कुडादान में अलग–अलग करके रखेंगे तथा गलियों को साफ–सुथरा रखेंगे, कूड़ा करकट को साफ करेंगे और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए स्वच्छ भारत मिशन में अपना पूरा योगदान देंगे और पर्यावरण की स्वच्छता के लिए कार्य करेंगे।

कानपुर

कृपा क्षेत्रीय समिति, लखनऊ के प्रशिक्षण कक्ष में श्रीमती मंजू शर्मा, अध्यक्ष, साई कृपा क्षेत्रीय समिति ने स्वच्छता अभियान जागरुकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री अवनीश वर्मा, कारपोरेटर ने स्वच्छता एवं इसके लाभों के बारें में बताया। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों ने अपने पास–पड़ोस के क्षेत्रों को साफ–सुथरा रखने की शपथ लीं।

रायपुर

सामुदायिक हॉल, ग्राम कोडेवा, ब्लॉक– गुण्डेरधी, जिला बालोड़ में अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुछ प्रतिभागियों ने जन जागरण स्व–सहायता समूह नामक स्वावलम्बन समूह का गठन किया और मौसमी व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिए। प्रतिभागियों ने रक्षा बंधन त्यौहार पर राखी की दुकान खोल लीं। अनेक स्वावलम्बन समूहों को (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के साथ जोड़ दिया और समूहों का गठन किया तथा समूह में ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरु कर दिया।

चेन्नै

खीझाचिमंगलम, तिरूवन्नामलाई जिला में आदिवासी उप योजना के अंतर्गत अ.ज.जा. श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 12 श्रमिकों को चिन्हित किया गया और उन्हें श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया। कार्यक्रम की प्रतिभागी श्रीमती प्रेमा की वाणिज्य स्नातक पुत्री को रुपये 1500ध. आर्थिक सहायता दी गई थी। महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 40 महिलाओं को सिलाई, कृत्रिम गहने बनाने एवं ब्यूटिशियन कोर्स के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

नल्लामुर कांचीपुरम में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। 13 श्रमिकों को चिन्हित करके श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया। 40 महिलाओं को उनमें आत्मविश्वास एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधान लाने के लिए सिलाई, कृत्रिम गहने बनाने एवं ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया।

कोषिकोड

पुल्लावूर चटामंगलम्, कोषिकोड में अनुसूचित जन जाति उपयोजना के अंतर्गत 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें प्रतिभागियों ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए "पेपर बैग यूनिट" बनाने हेतु योजना बनाए थे।

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव में स्वावलम्बन समूह का गठन

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वावलम्बन समूह के महत्व एवं आवश्यकता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सम्मिलित श्रमिक प्रेरित होकर स्वावलम्बन समूह का गठन करके अपने सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का निश्चय किया। बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालयों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान प्रतिभागियों द्वारा 266 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया गया।

***

अध्याय- VIII

सांख्यिकी सारणियाँ

शि.अधि.	शिक्षा अधिकारी
क्षे.निदे.	क्षेत्रीय निदेशक
प्र.प्र.पा.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
व्य.वि.का.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
प्र.पु.पा.	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
सं.शै.का.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम
आ.आ.प.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद
इ.स्त.क.	इकाई स्तर की कक्षाएं
का.प्रौ.सा.क.	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
आ.आ.वि.का.	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम
अ.सं./दु.व.	असंगठित / दुर्बल वर्ग
ग्रा.जा.शि.	ग्रामीण जागरूकता शिविर
बा.श्र. / बा.श्र.अ.	बाल श्रमिक/ बाल श्रमिकों के अभिभावक
स्व.को.नि.का.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम
श्र.क.वि.का.	श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम
ग्रा.श्र.स.शि.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर
आं.निदे.	आँचलिक निदेशक
शा.नि.	शासी निकाय

वर्ष 2019–2020 हेतु प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य (क्षेत्रीय निदेशालयवार)

			संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम																	असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम																							मनरेगा			
क्रं.	क्षेत्रीय निदेशालय का नाम	शि.अ. की संख्या	प्र.प्र. (45 दिवसीय)	व्य.वि.का. (21 दिवसीय)	पु.पा. (5 दिवसीय)	स्व.को.नि. (3 दिवसीय)	ज.नि.वि.का.	आ.आ.परि.. (2 दिवसीय)	आ.आ.परि. (1 दिवसीय)	सं. शै. का. (1 दिन)	इ स्त क पु का /अं.का.	सं. शै. का. (2 दिवसीय)	स्व.को.नि. (2 दिवसीय)	स्व.को.नि. (1 दिवसीय)	प्र.श्र.भा. (3 दिवसीय)	का.प्रो.सा.क.	जी गु (सं) (4 दिवसीय)	जी गु (सं) (2 दिवसीय)	सं स्त. (1 दिवसीय)	स शि असं (4 दिवसीय)	स शि दु (4 दिवसीय)	जी गु (असं) (4 दिवसीय)	जी गु (असं) (2 दिवसीय)	पु प्र असं (1दिवसीय)	वि का असं (2 दिवसीय)	वि का म श्र (2 दिवसीय)	वि का बा श्र अ (2 दिवसीय)	वि का बा श्र (2 दिवसीय)	वि का जा/अजजा (2 दिवसीय) एससीएसपी	वि काअजा/अजजा (2 दिवसीय) एससीएसपी	वि काअजा/अजजा (2 दिवसीय) टीएसपी	वि का श्र क व वि (2 दिवसीय)	वि का पं रा (2 दिवसीय)	वि का प ख (2 दिवसीय)	आत्मनिर्भरता के का.(4 दिव.)	ग्रा जा का (2 दिवसीय)	स शि ग्रा क्षे (4 दिवसीय)	पु प्र ग्रा क्षे (1 दिवसीय)	रा स्त का (3 दिवसीय)	पं रां (3 दिवसीय)	ग्रा ने वि का (10		ग्रा स्त. का (2 दिवसीय)	खं.स्त.का. (2 दिवसीय)	जि. स्त. का. (2 दिवसीय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	इलाहाबाद	3	0	2	0	2	0	10	0	10	0	4	10	20	2	0	0	4	4	8	4	8	8	4	20	16	16	0	8	80	0	16	4	0	4	36	4	8	0	0	0	0	16	0	0	328
2	बरेली	2						2		8	1	2	4	10	1			2	2	2	2	2	2	2	8	8	4		4	34	20	8	2		4	16	2	4					8	0		164
3	चण्डीगढ़	2						2		6	0	2	4	10	1			1	2	2	2	0	2	0	10	10	4		4	60	0	8	2		2	20	2	0					8	0		164
4	दिल्ली	3		1				9		9	0	9	6	15	2			3	6	3	3	3	3	3	15	15	6	6	6	60	0	15	3		3	27	3	3					9	0		246
5	फरीदाबाद	3	0					6		21	0	6	9	15	1			3	9	3	3	3	3	3	12	12	5		6	60	0	12	3	9	3	24	3	1					12	0		247
6	गाज़ियाबाद	3	1					3		9	1	3	6	15	1			0	3	3	3	3	3	3	15	15	9		9	85	0	12	0		3	24	3	3					12	0		247
7	गोरखपुर	3	0	0				3		9	0	5	9	15	1			1	3	3	3	3	3	3	15	15	6		3	81	0	15	3		3	27	3	3					12	0		247
8	जम्मू	1		0				5		3	0	2	3	5	1			0	1	2	2	0	2	0	10	2	2		3	12	10	3	1		0	8	1	1					3	0		82
9	कानपुर	3		1				3		9	3	3	6	15	3			3	3	3	3	3	3	3	10	10	9		6	90	0	9	3		3	24	3	4					12	0		247
10	परवाणु	1						2		5	0	3	3	5	1			1	2	2	1	2	2	1	5	3	0		3	20	0	3	1		1	9	1	1					5	0		82
11	आसनसोल	2						2		6	1	5	6	10	0			1	1	2	2	1	1	2	10	5	6		6	35	20	10	2		2	16	2	2					8	0		164
12	बेरकपुर	2		1		2		4		6	1	2	4	8	2			0	4	2	2	2	2	4	10	10	6		6	34	10	8	2		0	18	2	4					6	2		164
13	बेरहामपुर	2		0				2		6	0	2	0	10	0			2	1	2	2	0	2	1	10	10	0		8	30	40	8	2		2	16	2	2					4	0		164
14	भुवनेश्वर	4		0				8		20	0	8	8	20	0			4	8	4	4	4	4	4	16	12	0		4	60	60	12	4		4	36	4	4					16	0		328
15	धनबाद	2		0				4		6	0	4	4	10	1	0		0	2	2	2	2	2	0	10	8	6		4	36	20	10	2		1	16	2	2					8	0		164
16	जमशेदपुर	3		1				6		15	0	6	6	15	1			0	6	3	3	0	3	6	12	12	0		3	30	60	8	4		3	27	3	3			1		9	0		246
17	कोलकाता	4		1				4		44	0	8	8	20	2			0	12	4	4	2	2	4	20	20	0		8	60	20	16	4		4	36	4	4			1		16	0		328
18	मुजफ्फरपुर	2						2		4	2	4	0	0	0			0	2	2	2	2	4	4	12	8	6		4	60	0	12	2		2	16	2	4					8	0		164
19	राँची	1				2		2		2	0	2	2	4	0			1	1	2	2	0	0	1	5	3	3		5	10	20	4	0		0	5	1	1					4	0		82
20	राऊरकेला	2	0					4		10	0	6	2	14	0			2	2	2	2	0	4	2	8	10	2		6	4	40	10	2		2	20	2	2					6	0		164

21	अहमदाबाद	3		1				3		12	0	3	6	15	1			0	2	3	3	0	3	1	21	18	0		12	51	30	12	3		1	30	3	1					12	0		247
22	गोवा	2						4		12	0	4	2	10	1			2	0	2	2	0	2	2	20	20	0		4	0	40	10	2		1	16	2	2					4	0		164
23	मुम्बई	2	1	1				4		6	2	2	4	10	0			0	1	2	2	0	2	2	10	8	6	2	6	30	20	8	2		2	20	2	2					8	0		165
24	पुणे	3		1				3		9	3	3	6	9	2			3	3	3	3	3	3	3	15	10	9		6	50	30	12	3		3	30	3	6					12	0		246
25	राजकोट	1						2		4	1	2	2	4	1			0	1	1	1	0	1	2	5	5	0		5	20	0	5	1		1	10	1	2					5	0		82
26	नाशिक	2		1				6		6	2	4	6	10	1			0	2	2	2	0	2	2	10	10	0		4	30	20	8	2		2	20	2	2					8	0		164
27	वडोदरा	2		1				2		6	2	4	4	10	0			2	2	2	2	2	2	2	10	8	4		4	34	20	8	2		1	16	2	4					8	0		164
28	बैंगलूरू	4	0	2				4		16	4	4	12	20	2			0	4	4	4	4	4	4	20	32	0		20	80	0	16	4		4	40	4	4					16	0		328
29	चैन्नै	5	0	2				10		15	10	15	10	20	2		1	5	5	5	5	5	5	5	25	25	5		15	75	40	25	5		5	40	5	5					20	0		410
30	कोचीन	3		0				6		12	1	6	6	15	2			3	3	3	3	0	3	3	24	24	0		12	24	15	12	3		4	32	3	3					24	0		246
31	कोयम्बत्तूर	4		2				4		16	4	4	12	20	2			0	4	4	4	4	4	4	20	20	12		20	76	16	4	4		4	40	4	4					16	0		328
32	हुबली	1						2		3	1	1	2	5	0			1	1	1	1	1	1	2	5	5	5		4	20	0	4	1		1	8	1	2					4	0		82
33	हैदराबाद	3	1	2				3		9	2	3	6	15	2			0	3	3	3	3	3	6	18	18	0		15	45	24	18	3		1	24	3	4					9	0		246
34	कोषीकोड	2		1				2		6	0	2	4	10	2			1	2	2	2	2	2	4	18	8	0		8	32	20	8	2		0	14	2	4					6	0		164
35	मदुरै	4	1	2				4		20	0	4	8	15	2			4	0	4	4	0	4	2	20	20	12		10	100	0	20	4		2	40	4	2					20	0		328
36	मैंगलुरू	2						2		8	0	2	4	10	1			1	0	2	2	0	2	0	16	14	0		10	30	10	14	2		1	24	2	0					8	0		165
37	विजयवाड़	2		0				2		8	0	2	4	10	1			2	4	2	2	2	2	0	10	10	4		4	34	20	10	2		1	16	2	2					8	0		164
38	विशाखपट्णम्	1		1				1		3	1	1	2	5	0			1	1	1	1	1	1	2	4	4	4		4	15	10	3	1			8	1	2					4	0		82
39	गुवाहाटी	1						2		2		2	2	5	0			0	0	2	2	1	1	2	5	5	0		0	5	5	2	0		1	5	2	2	5	3	1	1	2	0		65
40	इम्फाल	3						6		6		6	6	15	0			0	0	3	3	3	6	6	15	15	0		0	9	24	9	0		3	21	3	3	12	9	3	3	6	0		195
41	सिलीगुड़ी	2						2		4		4	4	10	0			0	0	2	2	2	4	4	8	4	2		4	10	6	6	0		2	10	2	4	22	6	0	2	4	0		130
42	तिनसुकिया	2						2		6		2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	4	4	4		2	10	14	6	0		2	10	2	2	12	6	4	4	4	0		130
43	भोपाल	4		2				8		20	4	8	8	20	2			4	8	4	4	0	4	0	20	12	8		12	60	40	16	4		2	40	4	0					14	0		328
44	ग्वालियर	1						2		2	0	1	2	5	0			1	1	1	1	1	1	1	5	5	2		2	18	10	4	1		1	8	1	1					5	0		82
45	इन्दौर	2		1				4		8	0	2	6	10	1			12	1	2	2	2	2	1	10	10	4		6	30	20	4	2		1	16	2	0					4	1		164
46	जबलपुर	3		1				6		9	1	6	9	15	2			3	3	3	3	3	3	0	15	15	9		9	50	30	9	3		3	21	3	0					12	0		246
47	जयपुर	2		1				4		6	0	2	4	10	1			0	2	2	2	2	2	2	8	8	6		8	30	24	8	2		2	16	2	2					8	0		164
48	नागपुर	3		1				9		12	0	9	9	15	2			3	3	3	3	3	3	3	15	12	0		12	54	30	9	3		3	15	3	3					9	0		246
49	रायपुर	2		1				4		6	1	2	6	10	1			2	2	2	2	2	2	2	10	10	0		10	30	20	8	2		2	16	2	1					8	0		164
50	उदयपुर	2						4		6	0	2	6	10	1			12	2	2	2	2	2	1	12	12	4		14	6	30	4	2		1	20	2	0					4	1		164
	कुल	122	4	31	0	6	0	200	0	466	48	198	266	584	53	0	1	91	136	130	125	90	133	122	631	575	190	8	348	1999	888	481	111	9	103	1047	123	125	51	24	10	10	454	4	0	9875

सारणी–I

ग्रामीण जागरूकता शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

	ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी	*पाँच दिवसीय शिविर		**सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)				@			प्रतिभागियों की संख्या		
				2003-2018		2018-2019		1977-2018	2018-2019	कुल	1977-2018	2018-2019	कुल
			प्रतिभागी		प्रतिभागी		प्रतिभागी						
1	भूमिहीन श्रमिक	328	12846	1269	49580	10	400	21180	492	21672	826633	18767	845400
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त कृषक	969	38520	593	23329	7	269	33970	84	34054	1335867	3298	1339165
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	36	1479	30	1169	2	77	860	8	868	33667	302	33969
4	आदिवासी श्रमिक	91	3595	23	889	1	40	1216	9	1225	47313	349	47662
5	ग्रामीण कारीगर	57	2299	72	2788	3	120	1728	19	1747	66154	730	66884
6	वन श्रमिक	17	683	41	1576	4	157	440	15	455	16641	585	17226
7	शिक्षित बेरोजगार	163	6291	83	3254	3	119	2509	21	2530	97847	810	98657
8	बागान श्रमिक	0	0	44	1779	4	154	233	16	249	9332	634	9966
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	290	11656	213	8981	6	237	10754	25	10779	423572	975	424547
	कुल	**1951**	**77369**	**2368**	**93345**	**40**	**1573**	**72890**	**689**	**73579**	**2857026**	**26450**	**2883476**

सारणी–II

2018–2019 के दौरान ग्रामीण श्रमिक शिक्षा प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

			पुरूष				महिला				
					अन्य	योग			अन्य	योग	
1	भूमिहीन श्रमिक	492	515	106	1290	1911	4726	1258	10872	16856	18767
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त श्रमिक	84	104	14	246	364	605	118	2211	2934	3298
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	8	3	0	25	28	91	5	178	274	302
4	आदिवासी श्रमिक	9	0	75	0	75	0	274	0	274	349
5	ग्रामीण कारीगर	19	35	18	34	87	248	29	366	643	730
6	वन श्रमिक	15	6	4	38	48	188	32	317	537	585
7	शिक्षित बेरोजगार	21	25	0	87	112	187	16	495	698	810
8	बागान श्रमिक	16	9	0	78	87	145	26	376	547	634
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	25	28	6	69	103	298	9	565	872	975
	कुल	**689**	**725**	**223**	**1867**	**2815**	**6488**	**1767**	**15380**	**23635**	**26450**

सारणी – III

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (ग्रामीण क्षेत्र)का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा

क्रं सं	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरूष				महिला				कुल योग
			अ. जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य		
1	इलाहाबाद	23	86	0	243	329	201	0	387	588	917
2	बरेली	14	6	0	24	30	153	94	281	528	558
3	चण्डीगढ़	6	9	0	4	13	164	0	57	221	234
4	दिल्ली	8	31	0	9	40	176	0	94	270	310
5	फरीदाबाद	17	21	0	33	54	263	0	359	622	676
6	गाज़ियाबाद	19	7	0	114	121	122	0	478	600	721
7	गोरखपुर	14	7	0	66	73	30	0	428	458	531
8	जम्मू	13	0	0	14	14	131	0	367	498	512
9	कानपुर	24	101	0	248	349	152	0	455	607	956
10	परवाणू	2	0	0	16	16	40	0	24	64	80
	कुल उ.अं.	140	268	0	771	1039	1432	94	2930	4456	5495
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	13	7	0	0	7	304	122	76	502	509
12	बैरकपुर	12	13	0	51	64	184	18	212	414	478
13	बेरहामपुर	14	19	0	46	65	154	54	274	482	547
14	भुवनेश्वर	16	36	0	86	122	119	0	345	464	586
15	धनबाद	12	63	0	101	164	96	0	208	304	468
16	जमशेदपुर	18	1	41	81	123	18	171	406	595	718
17	कोलकाता	19	0	0	0	0	367	0	385	752	752
18	मुजफ्फरपुर	12	7	0	45	52	149	45	232	426	478
19	राँची	5	0	47	11	58	6	85	46	137	195
20	राऊरकेला	12	7	48	47	102	2	256	119	377	479
	कुल पू.अं.	133	153	136	468	757	1399	751	2303	4453	5210
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	10	40	0	12	52	175	0	149	324	376
22	वडोदरा	8	15	0	7	22	174	8	92	274	296
23	गोवा	20	1	3	102	106	0	22	556	578	684
24	मुम्बई	8	2	0	40	42	2	0	223	225	267
25	पुणे	15	0	0	2	2	149	14	424	587	589
26	राजकोट	16	8	0	5	13	193	0	374	567	580
27	नाशिक	25	59	27	49	135	161	92	529	782	917
	कुल प.अं.	102	125	30	217	372	854	136	2347	3337	3709
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरू	14	0	0	0	0	107	9	417	533	533
29	चेन्नै	12	7	0	0	7	424	5	44	473	480
30	कोचीन	10	6	1	36	43	32	0	297	329	372
31	कोयम्बत्तूर	14	4	0	113	117	20	0	403	423	540
32	हुबली	12	6	0	12	18	29	1	431	461	479
33	हैदराबाद	11	0	0	20	20	75	0	345	420	440
34	कोषिकोड	9	0	0	9	9	20	1	312	333	342
35	मदुरै	18	0	0	0	0	306	0	397	703	703
36	मंगलूरू	6	0	0	0	0	36	20	174	230	230
37	विजयवाड़	21	114	2	84	200	282	0	358	640	840
38	विशाखपट्णम	13	0	0	0	0	9	0	506	515	515
	कुल द.अं.	140	137	3	274	414	1340	36	3684	5060	5474
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	10	5	21	26	52	19	44	268	331	383
40	इम्फाल	11	0	0	34	34	0	0	398	398	432
41	सिलीगुडी	16	7	11	24	42	327	25	243	595	637
42	तिनसुकिया	14	0	0	0	0	0	41	506	547	547
	कुल उ.पू.अं.	51	12	32	84	128	346	110	1415	1871	1999
	मध्य अंचल										
43	भोपाल	3	0	0	0	0	15	0	105	120	120
44	ग्वालियर	21	20	0	10	30	443	38	305	786	816
45	इन्दौर	21	0	0	0	0	140	55	592	787	787
46	जबलपुर	10	1	0	14	15	162	109	107	378	393
47	जयपुर	10	2	2	5	9	76	55	253	384	393
48	नागपुर	20	1	0	7	8	114	36	520	670	678
49	रायपुर	24	0	1	1	2	132	51	631	814	816
50	उदयपुर	14	6	19	16	41	35	296	188	519	560
	कुल म.अं.	123	30	22	53	105	1117	640	2701	4458	4563
	कुल योग	689	725	223	1867	2815	6488	1767	15380	23635	26450

सारणी – IV

वर्ष 2018–2019 के दौरान असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक

	श्रमिकों की श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या			प्रतिभागियों की संख्या		
				योग			योग
1	हथकरघा	2136	10	2146	75577	396	75973
2	पावरलूम	210	8	218	7632	316	7948
3	खादी एवं ग्रामोद्योग	401	6	407	15462	231	15693
4	लघु उद्योग	1171	9	1180	44787	359	45146
5	औद्योगिक क्षेत्र	183	2	185	6918	79	6997
6	हस्तशिल्प	414	5	419	15819	200	16019
7	रेशम उत्पादन	77	2	79	3006	73	3079
8	नारियल जटा उद्योग	169	5	174	6506	200	6706
9	बीड़ी उद्योग	733	3	736	40839	112	40951
10	नमक बनाने वाले श्रमिक	25	0	25	1016	0	1016
11	स्वास्थ्य श्रमिक	18	0	18	706	0	706
12	रैग पिकर्स	44	1	45	1709	37	1746
13	सिनेमा श्रमिक	1	0	1	40	0	40
14	शिप ब्रेकिंग श्रमिक	3	0	3	115	0	115
15	अन्य – चार दिवसीय	3840	9	3849	150143	350	150493
	– दो दिवसीय	8512	587	9099	331210	22303	353513
	– एक दिवसीय	1318	103	1421	75199	5557	80756
	कुल	**19255**	**750**	**20005**	**776684**	**30213**	**806897**

सारणी – V

2018–2019 के दौरान असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक

(प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा)

असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम (4 दिवसीय)

	श्रेणी		पुरूष				महिला				
						योग			अन्य	योग	
1	हथकरघा	10	16	7	50	73	91	36	196	323	396
2	पावरलूम	8	7	12	36	55	50	16	195	261	316
3	खादी एवं ग्रामोद्योग	6	11	0	34	45	46	0	140	186	231
4	लघु उद्योग	9	16	0	40	56	95	15	193	303	359
5	औद्योगिक क्षेत्र	2	0	0	0	0	5	0	74	79	79
6	हस्तशिल्प	5	4	0	26	30	38	0	132	170	200
7	रेशम उत्पादन	2	5	0	3	8	17	0	48	65	73
8	नारियल जटा उद्योग	5	0	0	8	8	12	4	176	192	200
9	बीड़ी उद्योग	3	0	0	0	0	35	32	45	112	112
10	नमक बनाने वाले श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	स्वास्थ्य श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	रैग पिकर्स	1	0	0	0	0	2	1	34	37	37
13	सिनेमा श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	शिप ब्रेकिंग श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	अन्य – 4 दिवसीय	9	5	0	24	29	83	16	222	321	350
16	– 2 दिवसीय	587	447	207	2178	2832	4559	1175	13737	19471	22303
17	असंगठित क्षेत्र के लिए एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम	103	140	28	423	591	1985	232	2749	4966	5557
	कुल योग	**750**	**651**	**4**	**2822**	**3727**	**7018**	**1527**	**17941**	**26486**	**30213**

सारणी – VI

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)

क्रं सं	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरूष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	2	9	0	28	37	7	0	36	43	80
2	बरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	चण्डीगढ़	2	0	0	0	0	60	0	19	79	79
4	दिल्ली	1	1	0	1	2	29	0	9	38	40
5	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गाज़ियाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोरखपुर	1	4	0	22	26	3	0	11	14	40
8	जम्मू	2	5	0	3	8	17	0	48	65	73
9	कानपुर	2	14	0	19	33	22	0	25	47	80
10	परवाणू	2	0	0	16	16	0	0	64	64	80
	कुल उ.अं.	12	33	0	89	122	138	0	212	350	472
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	1	0	0	0	0	16	0	24	40	40
12	बैरकपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	बेरहामपुर	1	0	0	0	0	12	24	0	36	36
14	भुवनेश्वर	1	0	0	0	0	7	0	33	40	40
15	धनबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जमशेदपुर	1	2	8	10	20	0	6	14	20	40
17	कोलकाता	1	0	0	0	0	0	0	40	40	40
18	मुज़फ्फरपुर	1	11	0	7	18	10	0	8	18	36
19	रॉंची	2	1	4	14	19	10	24	27	61	80
20	राऊरकेला	1	0	0	0	0	2	4	34	40	40
	कुल पू.अं.	9	14	12	31	57	57	58	180	295	352
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
22	वडोदरा	1	0	0	0	0	0	10	5	31	31
23	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	30	40	40
24	मुम्बई	1	0	0	0	0	0	0	40	40	40
25	पुणे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राजकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	नाशिक	1	0	0	0	0	2	1	34	37	37
	कुल पं.अं.	4	0	0	0	0	28	11	109	148	148
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	चेन्नै	2	0	0	3	3	17	0	60	77	80
30	कोचीन	2	0	0	1	1	1	0	78	79	80
31	कोयम्बत्तूर	2	0	0	5	5	40	0	35	75	80
32	हुबली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	हैदराबाद	1	0	0	0	0	21	0	0	40	40
34	कोषिकोड	1	0	0	2	2	2	0	19	38	40
35	मदुरै	4	0	0	0	0	11	0	36	157	157
36	मंगलूरू	1	0	0	0	0	0	0	146	40	40
37	विजयवाड़	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
38	विशाखपट्णम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल द.अं.	13	0	0	11	11	92	0	414	506	517
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	2	0	0	0	0	0	0	80	80	80
40	इम्फाल	2	0	0	7	7	0	0	72	72	79
41	तिनसुकिया	2	1	0	4	5	16	0	59	75	80
42	सिलीगुड़ी	5	12	0	43	55	50	0	95	145	200
	कुल उ.पू.अं.	11	13	0	54	67	66	0	306	372	439
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	इन्दौर	2	0	0	0	0	14	4	61	79	79
46	जबलपुर	2	0	7	35	42	0	14	24	38	80
47	ग्वालियर	1	0	0	0	0	7	0	33	40	40
48	जयपुर	2	0	0	0	0	14	0	65	79	79
49	उदयपुर	2	0	0	1	1	15	25	39	79	80
50	नागपुर	2	4	0	0	4	43	8	12	63	67
	कुल म.अं.	11	4	7	36	47	93	51	234	378	425
	कुल योग	60	64	19	221	304	474	120	1455	2049	2353

सारणी – VII

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (विशेष परिसंवाद) का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा

क्रं सं	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरूष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	51	281	0	429	710	588	0	736	1324	2034
2	बरेली	32	34	0	67	101	218	46	897	1161	1262
3	चण्डीगढ़	26	50	0	17	67	699	0	235	934	1001
4	दिल्ली	21	14	0	38	52	248	0	449	697	749
5	फरीदाबाद	51	138	0	195	333	820	0	851	1671	2004
6	गाज़ियाबाद	42	13	1	269	283	276	39	1017	1332	1615
7	गोरखपुर	42	71	0	230	301	576	0	749	1325	1626
8	जम्मू	45	33	63	107	203	345	115	1102	1562	1765
9	कानपुर	57	137	0	93	230	770	0	1277	2047	2277
10	परवाणू	26	9	1	148	158	121	56	614	791	949
	कुल उ.अं.	**393**	**780**	**65**	**1593**	**2438**	**4661**	**256**	**7927**	**12844**	**15282**
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	22	10	32	6	48	237	76	500	813	861
12	बैरकपुर	31	22	0	105	127	560	28	518	1106	1233
13	बेरहामपुर	27	18	39	91	148	165	84	642	891	1039
14	भुवनेश्वर	26	61	8	101	170	237	13	547	797	967
15	धनबाद	42	19	20	77	116	453	179	918	1550	1666
16	जमशेदपुर	42	20	44	169	233	98	329	976	1403	1636
17	कोलकाता	38	1	0	17	18	569	15	896	1480	1498
18	मुजफ्फरपुर	35	77	4	167	248	402	84	653	1139	1387
19	राँची	32	39	110	50	199	147	709	212	1068	1267
20	राऊरकेला	49	70	126	100	296	265	591	776	1632	1928
	कुल पू.अं.	**344**	**337**	**383**	**883**	**1603**	**3133**	**2108**	**6638**	**11879**	**13482**
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	39	70	2	7	79	735	26	602	1363	1442
22	वडोदरा	18	17	24	0	41	304	43	246	593	634
23	गोवा	48	1	12	232	245	22	106	918	1046	1291
24	मुम्बई	45	0	0	73	73	181	156	1113	1450	1523
25	पुणे	26	2	0	18	20	336	19	563	918	938
26	राजकोट	33	20	3	6	29	346	148	691	1185	1214
27	नाशिक	56	108	34	97	239	549	162	1103	1814	2053
	कुल पं.अं.	**265**	**218**	**75**	**433**	**726**	**2473**	**660**	**5236**	**8369**	**9095**
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरू	29	0	0	0	0	298	21	785	1104	1104
29	चेन्नै	45	21	0	7	28	949	40	764	1753	1781
30	कोचीन	45	1	41	19	61	159	464	1103	1726	1787
31	कोयम्बत्तूर	70	102	0	245	347	915	2	1462	2379	2726
32	हुबली	23	4	8	31	43	126	132	594	852	895
33	हैदराबाद	44	1	1	18	20	601	144	951	1696	1716
34	कोषिकोड	31	12	2	57	71	136	1	960	1097	1168
35	मदुरै	52	0	0	8	8	835	48	1156	2039	2047
36	मंगलूरू	26	0	3	46	49	167	22	640	829	878
37	विजयवाड़	43	100	32	102	234	536	151	799	1486	1720
38	विशाखपट्णम	52	0	0	0	0	404	23	1640	2067	2067
	कुल द.अं.	**460**	**241**	**87**	**533**	**861**	**5126**	**1048**	**10854**	**17028**	**17889**
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	20	1	8	56	65	82	61	588	731	796
40	इम्फाल	18	26	0	116	142	93	24	477	594	736
41	तिनसुकिया	31	17	1	43	61	427	8	738	1173	1234
42	सिलीगुड़ी	25	0	0	20	20	0	35	918	953	973
	कुल उ.पू.अं.	**94**	**44**	**9**	**235**	**288**	**602**	**128**	**2721**	**3451**	**3739**
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	37	1	0	1	2	337	181	668	1186	1188
44	भोपाल	44	28	26	117	171	289	180	1030	1499	1670
45	इन्दौर	38	0	3	35	38	569	323	674	1566	1604
46	जबलपुर	44	76	52	249	377	367	287	558	1212	1589
47	ग्वालियर	55	4	2	14	20	857	194	1000	2051	2071
48	जयपुर	37	22	8	60	90	446	100	802	1348	1438
49	उदयपुर	31	15	66	3	84	139	685	328	1152	1236
50	नागपुर	40	3	1	5	9	393	205	661	1259	1268
	कुल म.अं.	**326**	**149**	**158**	**484**	**791**	**3397**	**2155**	**5721**	**11273**	**12064**
	कुल योग	**1882**	**1769**	**777**	**4161**	**6707**	**19392**	**6355**	**39097**	**64844**	**71551**

सारणी – VIII
अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों का अंचलवार विवरण

				योग			योग			
1	इलाहाबाद	0	24	24	0	0	0	0	0	0
2	बरेली							0	30	30
3	चण्डीगढ़									
4	दिल्ली									
5	फरीदाबाद									
6	गाज़ियाबाद									
7	गोरखपुर									
8	जम्मू									
9	कानपुर				18	0	18	25	0	25
10	परवाणू									
11	आसनसोल									
12	बैरकपुर				19	0	19			
13	बेरहामपुर									
14	भुवनेश्वर									
15	धनबाद									
16	जमशेदपुर				28	8	28	0	0	0
17	कोलकाता									
18	मुजफ्फरपुर									
19	राँची									
20	राऊरकेला									
21	अहमदाबाद							0	20	20
22	वडोदरा							28	0	28
23	गोवा									0
24	मुम्बई							30		30
25	पुणे							39	30	69
26	राजकोट							0	43	43
27	नाशिक							0	0	0
28	बैंगलूरू							52	20	72
29	चेन्नै									
30	कोचीन							40	0	40
31	कोयम्बत्तूर				25	0	25			
32	हुबली							64	0	64
33	हैदराबाद				30	0	30	89	0	89
34	कोषिकोड									
35	मदुरै				35	0	35			0
36	मंगलूरू									
37	विजयवाड़									
38	विशाखपटणम									
	उत्तर पूर्व अंचल									
39	गुवाहाटी									
40	इम्फाल				0	60	60			
41	तिनसुकिया				0	60	60			
42	सिलीगुड़ी									
	मध्य अंचल									
43	रायपुर							25		25
44	भोपाल				27	0	27			
45	इन्दौर								27	27
46	जबलपुर									
47	ग्वालियर									
48	जयपुर				36	0	36	0	0	0
49	उदयपुर									
50	नागपुर				15	0	15			
	कुल योग	0	24	24	233	120	353	392	170	562

सारणी –IX

	उद्योग का नाम	प्रशिक्षक			श्रमिक (इकाई स्तर की कक्षाऐं)		
				योग			योग
1	कृषि	0	0	0	0	20	20
2	चीनी	0	0	0	11	1	12
3	खाद्य एवं पेय	0	0	0	5	2	7
4	खनन (मेटालिक)	0	0	0	0	34	34
5	खनन (नॉन मेटालिक)	0	0	0	13	0	13
6	कपड़ा तथा होजरी	0	0	0	5	0	5
7	जूट	0	0	0	2	0	2
8	अभियांत्रिकी	0	0	0	52	27	79
9	रसायन एवं उर्वरक	0	0	0	58	0	58
10	कागज एवं कागज उत्पाद	0	0	0	4	2	6
11	मुद्रण तथा प्रकाशन	0	0	0	9	1	10
12	सीमेंट	0	0	0	0	30	30
13	ग्लास और मिट्टी के बर्तन	0	0	0	3	1	4
14	चमड़ा उद्योग	0	0	0	6	0	6
15	रबर तथा रबर उत्पादन	0	0	0	1	3	4
16	परिवहन	0	0	0	5	1	6
17	बन्दरगाह एवं गोदी	0	0	0	6	3	9
18	वाणिज्य सेवा	0	0	0	8	1	9
19	सरकारी तथा स्थानीय निकाय	14	0	14	10	1	11
20	विद्युत तथा ऊर्जा	0	0	0	4	3	7
21	पेट्रोलियम	0	0	0	10	0	10
22	इलेक्ट्रॉनिक्स	0	0	0	20	0	20
23	रक्षा	0	0	0	30	0	30
24	रेलवे	0	0	0	25	0	25
25	विविध	10	0	10	103	42	145
	कुल योग	**24**	**0**	**24**	**390**	**172**	**562**

सारणी -X

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान दुर्बल वर्ग के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)

क्रं सं	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरूष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	1	0	0	16	16	0	0	24	24	40
2	बरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	चण्डीगढ़	2	0	0	0	0	65	0	15	80	80
4	दिल्ली	1	0	0	0	0	18	0	21	39	39
5	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गाज़ियाबाद	2	0	0	0	0	10	0	70	80	80
7	गोरखपुर	3	3	0	12	15	46	0	59	105	120
8	जम्मू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कानपुर	2	0	0	24	24	14	0	42	56	80
10	परवाणू	2	0	0	0	0	16	0	64	80	80
	कुल उ.अं.	13	3	0	52	55	169	0	295	464	519
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	1	0	0	0	0	2	0	38	40	40
12	बैरकपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	बेरहामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	भुवनेश्वर	1	0	0	0	0	19	0	21	40	40
15	धनबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जमशेदपुर	1	0	0	9	9	0	0	31	31	40
17	कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राँची	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	राऊरकेला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल पू.अं.	3	0	0	9	9	21	0	90	111	120
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	1	0	0	0	0	0	0	35	35	35
22	वडोदरा	1	0	0	0	0	36	0	0	36	36
23	गोवा	2	0	0	0	0	0	30	29	59	59
24	मुम्बई	1	0	0	0	0	0	0	40	40	40
25	पुणे	2	0	0	0	0	1	6	67	74	74
26	राजकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	नाशिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल पं.अं.	7	0	0	0	0	37	36	171	244	244
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरू	1	0	0	0	0	3	5	32	40	40
29	चेन्नै	1	0	0	0	0	26	0	14	40	40
30	कोचीन	2	0	0	0	0	033	0	47	80	80
31	कोयम्बत्तूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	हुबली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	हैदराबाद	1	0	0	0	0	13	0	27	40	40
34	कोषिकोड	1	0	0	0	0	1	0	39	40	40
35	मदुरै	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	मंगलूरू	1	0	0	0	0	3	1	31	35	35
37	विजयवाड़	1	0	0	0	0	40	0	0	40	40
38	विशाखपट्णम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल द.अं.	8	0	0	0	0	119	6	190	315	315
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	2	0	0	0	0	0	0	79	79	79
40	इम्फाल	2	0	0	0	0	0	40	40	80	80
41	तिनसुकिया	1	0	0	0	0	0	0	40	40	40
42	सिलीगुड़ी	2	0	0	0	0	37	0	43	80	80
	कुल द.अं.	7	0	0	0	0	37	40	202	279	279
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	इन्दौर	3	0	0	0	0	0	0	120	120	120
46	जबलपुर	3	0	0	4	4	15	25	70	110	114
47	ग्वालियर	2	0	0	0	0	15	4	61	80	80
48	जयपुर	2	26	0	0	26	42	0	12	54	80
49	उदयपुर	2	0	0	0	0	37	17	26	80	80
50	नागपुर	3	0	0	0	0	49	3	59	111	111
	कुल म.अं.	15	26	0	4	30	158	49	348	555	585
	कुल योग	53	29	0	65	94	541	131	1296	1968	2062

सारणी – XI

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरूष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गाज़ियाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोरखपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कानपुर	1	0	0	16	16	0	0	2	2	18
10	परवाणू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल उ.अं.	1	0	0	16	16	0	0	2	2	18
	पूर्व अंचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	आसनसोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	बैरकपुर	1	4	0	14	18	0	0	1	1	19
13	बेरहामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	भुवनेश्वर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	धनबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जमशेदपुर	1	1	3	24	28	0	0	0	0	28
17	कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मुज़फ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राँची	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	राऊरकेला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल उ.अं.	2	5	3	38	46	0	0	1	1	47
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	वडोदरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मुम्बई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पुणे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राजकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	नाशिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल उ.अं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	चेन्नै	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	कोचीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कोयम्बत्तूर	1	0	25	25	0	0	0	0	0	25
32	हुबली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	हैदराबाद	1	0	30	30	0	0	0	0	0	30
34	कोषिकोड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	मदुरे	1	0	35	35	0	0	0	0	0	35
36	मंगलूरू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	विजयवाड़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	विशाखपट्णम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल द.अं.	3	0	90	90	0	0	0	0	0	90
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	इम्फाल	2	0	0	20	20	7	0	33	40	60
41	तिनसुकिया	2	0	2	0	2	4	10	44	58	60
42	सिलीगुडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल उ.पू.अं.	4	0	2	20	22	11	10	77	98	120
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	भोपाल	1	0	0	27	27	0	0	0	0	27
45	इन्दौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	जबलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	जयपुर	1	0	0	36	36	0	0	0	0	36
49	उदयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	नागपुर	1	0	0	15	15	0	0	0	0	15
	कुल म.अं.	3	0	0	78	78	0	0	0	0	78
	कुल योग	13	5	5	242	252	11	10	80	101	353

सारणी & XII										
अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट										
गतिविधि	कार्यक्रम सं.	पुरूष				महिला				कुल योग
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
राष्ट्रीय स्तर										
उत्तर–पूर्व राष्ट्रीय स्तर (5 दिवसीय)	5	2	14	68	84	7	14	45	66	150
क्षेत्रीय स्तर					0				0	0
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	1	5	0	19	24	0	0	0	0	24
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	9	5	3	222	230	0	0	3	3	233
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	2	2	7	22	31	0	3	1	4	35
आवश्कता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	146	263	124	2356	2743	55	39	688	782	3525
सीटीपीजी सहित स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (3 दिवसीय)	10	31	10	140	181	0	4	9	13	194
प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (3 दिवसीय)	17	30	27	331	388	2	1	24	27	415
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	716	1467	459	13624	15550	306	124	2281	2711	18261
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	4	0	2	20	22	11	10	77	98	120
आवश्कता पर आधारित परिसंवाद (1 दिवसीय)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इकाई स्तर					0				0	0
इकाई स्तर की कक्षाएं (अंशकालीन) (45 दिवसीय)	21	46	12	408	466	1	2	41	44	510
इकाई स्तर की कक्षाएं (पूर्णकालीन) (21 दिवसीय)	1	0	0	52	52		0	0	0	52
इकाई स्तर की कक्षाएं (पूर्णकालीन) (30 दिवसीय)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इकाई स्तर की कक्षाएं (साप्ताहिक) (90 दिवसीय)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	132	314	186	2272	2772	52	60	378	490	3262
स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (2 दिवसीय)	123	168	122	1804	2094	20	55	255	330	2424
स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	383	549	286	6065	6900	25	20	444	489	7389
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	11	10	65	118	193	10	65	98	173	366
संयंत्र स्तर पर कक्षाएं (1 दिवसीय)	110	133	74	1911	2118	78	50	371	499	2617
कुल	**1691**	**3025**	**1391**	**29432**	**33848**	**567**	**447**	**4715**	**5729**	**39577**
असंगठित क्षेत्र										
असंगठित क्षेत्र के लिए सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	60	64	19	221	304	474	120	1455	2049	2353
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)	29	198	53	299	550	197	53	300	550	1100
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	45	205	67	560	832	233	75	602	910	1742
पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (1 दिवसीय)	103	140	28	423	591	1985	232	2749	4966	5557
उत्तर–पूर्व राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	45	44	83	450	577	46	213	514	773	1350
एससीएसपी के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)	3	6	0	0	6	114	0	0	114	120
विशेष अनु.जा. श्रमिकों के लिए एससीएसपी (2 दिवसीय)	1495	5346	0	0	5346	51301	0	0	51301	56647
विशेष अनु.ज.जा. श्रमिकों के लिए टीएसपी (2 दिवसीय)	675	0	3472	0	3472	0	21118	0	21118	24590
दर्बल क्षेत्र										
दुर्बल वर्ग के लिये सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	53	29	0	65	94	541	131	1296	1968	2062
पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिये कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2	3	0	5	8	60	0	12	72	80
विशेष परिसंवाद										
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	587	447	207	2178	2832	4559	1175	13737	19471	22303
महिला श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	403	0	0	0	0	3285	1148	10911	15344	15344
बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	198	244	115	682	1041	1725	607	4373	6705	7746
बाल श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अ.जा./अ.ज.जा. श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	256	583	317	0	900	6098	2573	0	8671	9571
श्रम कल्याण एवं विकास पर विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	424	453	124	1214	1791	3592	798	9881	14271	16062
पंचायती राज (2 दिवसीय)	14	42	14	87	143	133	54	195	382	525
परिवर्तनात्मक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	21	0	0	798	798	0	0	1389	1389	2187
पंचायती राज (3 दिवसीय)	18	7	7	205	219	14	27	263	304	523
कुल	**4431**	**7811**	**4506**	**7187**	**19504**	**74357**	**28324**	**47677**	**150358**	**169862**
ग्रामीण क्षेत्र										
ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	689	725	223	1867	2815	6488	1767	15380	23635	26450
ग्रामीण क्षेत्र हेतु सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)	40	56	4	30	90	471	120	892	1483	1573
पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (ग्रामीण क्षेत्र) (1 दिवसीय)	91	131	9	373	513	1617	134	2608	4359	4872
मनरेगा ग्राम स्तर पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	238	324	65	785	1174	2298	643	5073	8014	9188
स्वयं जागरूकता शिविर (4 दिवसीय)	4	0	0	2	2	33	4	121	158	160
कुल	**1062**	**1236**	**301**	**3057**	**4594**	**10907**	**2668**	**24074**	**37649**	**42243**
कुल योग	**7184**	**12072**	**6198**	**39676**	**57946**	**85831**	**31439**	**76466**	**193736**	**251682**

सारणी – XIII

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान मनरेगा के कार्यक्रम का क्षेत्रीय निदेशालय के अनुसार ब्यौरा

क्र सं	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरूष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	7	27	0	114	141	50	0	87	137	278
2	बरेली	4	19	0	76	95	15	0	50	65	160
3	चण्डीगढ़	5	21	0	9	30	127	0	35	162	192
4	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फरीदाबाद	8	29	0	30	59	162	0	92	254	313
6	गाज़ियाबाद	3	3	0	31	34	20	0	61	81	115
7	गोरखपुर	7	13	0	12	25	33	0	211	244	269
8	जम्मू	5	4	0	10	14	23	0	157	180	194
9	कानपुर	7	31	0	90	121	54	0	105	159	280
10	परवाणू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल उ.अं.	**46**	**147**	**0**	**372**	**519**	**484**	**0**	**798**	**1282**	**1801**
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	6	0	0	0	0	14	0	224	238	238
12	बैरकपुर	1	0	0	0	0	9	0	31	40	40
13	बेरहामपुर	5	0	0	28	28	36	0	136	172	200
14	भुवनेश्वर	8	11	0	46	57	87	0	166	253	310
15	धनबाद	8	3	0	17	20	29	15	256	300	320
16	जमशेदपुर	4	0	4	6	10	0	43	107	150	160
17	कोलकाता	4	0	0	35	0	109	0	48	157	157
18	मुज़फ्फरपुर	8	33	0	0	68	102	0	147	249	317
19	राँची	3	0	11	1	11	3	92	8	103	114
20	राऊरकेला	1	0	4	0	5	1	30	4	35	40
	कुल पू.अं.	**48**	**47**	**19**	**133**	**199**	**390**	**180**	**1127**	**1697**	**1896**
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	1	0	0	0	0	36	0	0	36	36
22	वडोदरा	1	26	2	5	33	0	0	0	0	33
23	गोवा	7	0	0	31	31	5	11	213	229	260
24	मुम्बई	4	0	0	59	59	0	0	88	88	147
25	पुणे	5	0	0	2	2	13	36	138	187	189
26	राजकोट	1	0	0	0	0	0	0	40	40	40
27	नाशिक	9	19	12	40	71	43	39	178	260	331
	कुल पं.अं.	**28**	**45**	**14**	**137**	**196**	**97**	**86**	**657**	**840**	**1036**
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरू	8	0	0	0	0	27	0	277	304	304
29	चेन्नै	8	0	0	0	0	104	47	169	320	320
30	कोचीन	1	0	0	0	0	0	0	40	40	40
31	कोयम्बत्तूर	15	54	0	7	61	430	0	97	527	588
32	हुबली	6	14	1	4	18	65	7	144	216	234
33	हैदराबाद	5	5	0	11	16	85	6	81	172	188
34	कोषिकोड	6	0	0	23	24	0	21	195	216	240
35	मदुरै	6	0	0	0	0	54	0	186	240	240
36	मंगलूरू	4	0	0	0	0	102	1	33	136	136
37	विजयवाड़	4	1	0	25	26	13	2	119	134	160
38	विशाखपट्णम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल द.अं.	**63**	**74**	**1**	**70**	**145**	**880**	**84**	**1341**	**2305**	**2450**
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	1	0	0	0	0	0	39	1	40	40
40	इम्फाल	4	0	0	18	18	0	0	137	137	155
41	तिनसुकिया	5	0	0	0	0	2	31	165	198	198
42	सिलीगुड़ी	6	6	13	7	26	120	39	55	214	240
	कुल उ.पू.अं.	**16**	**6**	**13**	**25**	**44**	**122**	**109**	**358**	**589**	**633**
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	9	0	0	0	0	5	20	297	322	322
44	भोपाल	3	0	0	0	0	7	71	42	120	120
45	इन्दौर	5	0	0	0	0	117	0	82	199	199
46	जबलपुर	4	5	18	45	68	6	20	28	54	122
47	ग्वालियर	4	0	0	0	0	107	8	31	146	146
48	जयपुर	7	0	0	3	3	43	47	185	275	278
49	उदयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	नागपुर	5	0	0	0	0	40	18	127	185	185
	कुल म.अं.	**37**	**5**	**18**	**48**	**71**	**325**	**184**	**792**	**1301**	**1372**
	कुल योग	**238**	**324**	**65**	**785**	**1174**	**2298**	**643**	**5073**	**8014**	**9188**

सारणी – XIV
प्रशिक्षित शिक्षा अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों की संख्या (1958–2019)

योजना/वर्ष	शिक्षा अधिकारी	प्रशिक्षक	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	श्रमिक			श्रमिक			
				इकाई स्तर कक्षाएं	अल्प कालीन कार्यक्रम	ग्रामीण स्वयं सेवक	ग्रामीण जागरूकता शिविर	असंगठित क्षेत्र शिविर	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	अनुदान ग्राहियों द्वारा
दूसरी योजना (1958-61)	100	1070		9070						0
तीसरी योजना (1961-66)	217	6340		309470						2371
वार्षिक योजना (1966-69)	59	9055		419823	105975					9187
चौथी योजना (1969-74)	36	14856		802394	307591					72987
पाँचवी योजना (1974-78)	44	15166		720458	485594		6214			110393
वार्षिक योजना (1978-79)	46	3955		213677	91306		7386			25417
(1979-80)		3927		185891	38563		17671	5241	4149	25911
छठवीं योजना 1980-85	56	15984	3087	667160	32970	589	268556	86691	116551	124106
सातवीं योजना 1985-90	78	6588	19677	279194	170485	236	451936	60027	64749	123121
वार्षिक योजना 1990-91		1209	3957	52385	46041	169	139798	17138	13607	15056
1991-92	24	1305	3904	52424	47504	124	136861	18321	9972	15544
आठवीं योजना 1992-97	75	5721	17397	230281	240562	1054	494239	84909	40258	59424
नौवीं योजना 1997-2002		2737	16495	112171	706939	149	403588	187672	9310	36926
दसवीं योजना 2002-2007	81	1470	10606	28071	336173	0	516765	623111	1698	30369
ग्यारहवीं योजना 2007-2012		1134	7275	15361	279644	0	500276	700630	343	24922
वार्षिक योजना 2012-2013		204	1158	2318	46542		90442	281710	366	2322
वार्षिक योजना 2013-2014		195	988	1757	47169	0	91742	285992	185	2847
वार्षिक योजना 2014-2015		185	1075	2306	43437	0	66564	237208	51	3134
वार्षिक योजना 2015-2016		83	417	1726	43607	0	83696	337099	0	240
वार्षिक योजना 2016-2017	0	16	468	1199	54578	0	58736	216560	0	0
वार्षिक योजना 2017-2018	0	0	302	563	50303	0	51109	209435	0	0
वार्षिक योजना 2018-2019	0	24	353	562	40825	0	42243	167675	0	0
कुल योग	**816**	**91224**	**87159**	**4108261**	**3215808**	**2321**	**3427822**	**3519419**	**261239**	**684277**

सारणी – XV

31 मार्च, 2019 तक श्रम संघ संगठनों और अन्य निकायों/संस्थानों को प्रदत्त सहायता अनुदान

क्र. सं.	संगठन	संघों की संख्या	31 मार्च, 2018 तक प्रदत्त राशि	अप्रैल, 2018 से मार्च,2019 तक प्रदत्त राशि	मार्च, 2019 तक प्रदत्त कुल राशि	अभी तक प्रशिक्षित श्रमिक
	निम्न केन्द्रीय श्रमिक संघों से सम्बद्ध श्रम संघ केन्द्रोय संगठन					
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस)	179	3,550,392.43	-	3,566,322.43	50185
2	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (इंटक)	363	5,702,939.00	-	5,702,939.00	165577
3	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (एटक)	162	3,479,053.03	-	3,479,053.03	86831
4	हिन्द मजूदर सभा (एचएमएस)	111	3,103,274.82	-	3,103,274.82	89625
5	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	16	91,564.04	-	91,564.04	2699
6	युनाईटेड ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस	8	30,071.05	-	30,071.05	2522
7	नेशनल फ्रंट ऑफ इण्डिया ट्रेड यूनियन	15	166,405.67	-	166,405.67	10743
8	राष्ट्रीय श्रम संगठन	27	1,130,237.76	-	1,130,237.76	32848
9	हिन्द मजदूर पंचायत	15	44,062.25	-	44,062.25	2555
10	हिन्द खेत मजदूर पंचायत	1	118,976.00	-	118,976.00	1960
11	नेशनल फेडरेशन्स	0	0	-	0	0
	क) ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन	3	71,159.95	-	71,159.95	1458
	ख) ऑल इण्डिया डिफेन्स एम्प्लाईज फेडरेशन	28	459,934.64	-	459,934.64	20763
	ग) ऑल इण्डिया केमिकल एण्ड फार्मासुटिकल एम्प्लाईज एसोसिएशन	1	2,109.75	-	2,109.75	83
	घ) ऑल इण्डिया पी एण्ड टी एम्प्लाईज फेडरेशन	1	3,177.00	-	3,177.00	225
	ड़) ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन	1	17,106.15	-	17,106.15	519
	च) ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाईज फेडरेशन	2	121,184.23	-	121,184.23	3402
	छ) इण्डियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन	1	26,781.90	-	26,781.90	454
	ज) नेशनल फेडरेशन ऑफ इम्प्लाईज ऑफ द गर्वमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग एण्ड स्टेश्नरी	1	4,574.70	-	4,574.70	262
	झ) ऑल इण्डिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन	3	8,331.60	-	8,331.60	159
	ञ) ऑल इण्डिया मेडीकल एण्ड हैल्थ एम्प्लाईज फेडरेशन, कोलकाता	1	693.00	-	693.00	40
	ट) ऑल इण्डिया इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन फेडरेशन	6	48,774.95	-	48,774.95	784
	ठ) ऑल इण्डिया कॉन्फेडरेशन ऑफ सी.जी.ओ. एसोसिएशन	1	1,444.50	-	1,444.50	40
	ड) ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लाईज फेडरेशन	4	11,894.00	-	11,894.00	1256
	ढ) ऑल इण्डिया कन्टोनमेंट इम्प्लाईज फेडरेशन	1	3,082.50	-	3,082.50	82
	ण) ऑल इण्डिया न्यूजपेपर इम्प्लाईज फेडरेशन	1	17,755.90	-	17,755.90	400
	त) एल.पी.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	3	78,345.65	-	78,345.65	2231
12	एस.एल.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	60	4,06,313.70	-	406,313.70	26600
13	स्वतंत्र श्रमिक संघ	309	44,53,860.10	-	4,453,860.10	116261
14	शैक्षणिक संस्थाएँ	15	74,089.41	-	74,089.41	7196
15	सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	248	49,53,181.94	-	4,953,181.94	56607
	कुल	**1587**	**2,81,80,771.62**	**-**	**2,81,96,701.62**	**684367**

वार्षिक लेखा
वित्तीय वर्ष
2018-2019

श्रम एव जयते

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा
एवंम विकास बोर्ड

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)
सी–25, लेखा परीक्षा भवन, आयकर भवन के पीछे,
बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई– 400 051
दूरभाषः(022) 2657 2578, फैक्सः 2657 2451
इपीएबीएक्सः 2657 1750 / 41 / 42 / 36, फैक्सः 657 2951 / 657 2451

सं.म.नि.ले.प.(के.) / ना.एवं.स्वा.नि. / एस.ए.आर. / 18–19 / डीटीएनबीडब्ल्यूईडी नागपुर / दि.23.06.2020

सेवा में,
सचिव,
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली– 110 001

विषयः वर्ष 2018–19 के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन...

महोदय,

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संसद के दोनों सदनों की पटल पर प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

1) वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक लेखा

2) अनुबंधक सहित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन–सह–लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र।

कृपया संसद में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियाँ एवं सदनों में उनकी प्रस्तुति की तिथि के संबंध में सूचना इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

हस्ता/-

संलग्नकः यथोपरि। उप निदेशक / ना.एवं.स्वा.नि.

सं.म.नि.ले.प.(के.) / ना.एवं.स्वा.नि. / एस.ए.आर. / 18–19 / डीटीएनबीडब्ल्यूईडी नागपुर / 02 दि.23.06.2020

सेवा में,
निदेशक
दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर – 440 033

अनुबंधक के साथ पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है। संसद में दस्तावेंजो की प्रस्तुति की तिथि एवं उनकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

हस्ता/-

उप निदेशक / ना.एवं.स्वा.नि.

संलग्नकः उपर्युक्त।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखा पर भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

1. हमने 31 मार्च, 2019 को दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2018–19 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनिमयों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता–सह–निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतो का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगिण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः

i.) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के पैरा डी–13 में उल्लिखितनुसार जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

ii.) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।

iii.) हमारी राय में बोर्ड द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बोर्ड के नियम एवं विनियम के नियम 20(i) के अधीन यथा अपेक्षित बनाये रखे गये हैं जैसा कि हमने अचल आस्ति रजिस्टर के अलावा ऐसी पुस्तकों को देखा है।

iv.) हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

क. तुलन पत्र

क1. आस्तियाँ

क1.1. चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) रुपये 42.22 करोड़

बोर्ड को आयकर से मुक्त रखा गया है, फिर भी इसके आय के ब्याज एवं अन्य आय पर कर की कटौती की जाती है। आयकर विभाग से प्राप्त होने वाली स्रोत पर कर कटौती के लिए बोर्ड लेखांकन नहीं कर रहा है। चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची–11) रुपये 1.20 करोड़ को नहीं बताया गया है और समग्र निधि (अनुसूची–1) की उपर्युक्त राशि को नहीं बताया गया है। इस गलत प्रथा को पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी लेखा परीक्षा द्वारा उजागर किया गया है, परंतु बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सामान्य टिप्पणी

1. बोर्ड ने पिछले लेखाकरण मानक में की गई टिप्पणी के जरिए लेखाकरण मानक–15 की शर्तों में यथा अपेक्षित पेंशन, ग्रेच्यूटि एवं छुट्टी के नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्त लाभ के लिए वास्तविक आधार पर पहले से प्रावधान नहीं किया है।

2. बैंक शेष एवं जमा विवरणों में दर्शाए गये अनुसार कुल रुपये 26.03 करोड़ को अंशदान, गृह निर्माण, सीटीपी लेखा एवं वापस की गई स्रोत पर कर कटौती के अधीन जिससे अनुसूची 3 से 3(ग) के अनुसार इन निधियों के अधीन सकल जमा शेष को 29.03 करोड़ दर्शाया गया है, इसलिए 03 करोड़ का अन्तर दिखाई दे रहा है। बोर्ड ने स्वयंकोष निर्माण निधि में जमा राशि में से रुपये 3.44 करोड़ जिला न्यायालय, नागपुर में विनियोजित किया है। तथापि बैंक जमा शेष एवं उदिद्ष्टित निधि के बीच अन्तर राशि को समाधानकरने की आवश्यकता है।

3. अनुसूची 13 के अनुसार अव्ययित अनुदान को रुपये 61.47 दर्शाया गया है जो कि यथार्थ नहीं है, क्योंकि रुपये 4.97 करोड़ अनुदान के प्रारम्भिक अथ शेष पर विचार नहीं किया गया। वर्ष के लिए वास्तविक अव्ययित जमा अनुदान रुपये 3.45 करोड़ (अथ शेष रुपये 4.97. प्राप्त अनुदान रुपये 74.58 – 76.10 व्यय) को उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है।

4. चालू देयता एवं अन्य प्रावधान (अनुसूची 7) के अधीन अन्य जमा राशि रुपये 64.40 लाख में ठेकेदारों से प्राप्त जमा बयाना राशि रुपये 28.00 लाख को समाविष्ट किया गया है जो कि बही में लम्बे समय से बकाया है। बोर्ड ने उपर्युक्त मदवार एवं तिथिवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके आगे बोर्ड में उपलब्ध अन्य जमा समाविष्ट रुपये 31.38 लाख का विवरण नहीं दिखाया गया है।

5. बोर्ड ने भविष्य निधि अग्रिम लेखा में रोकड़ जमा करने के बजाए चालू देयताएं एवं प्रावधान के अधीन संचित गृह निर्माण अग्रिम वसूली एवं ब्याज रुपये 10.89/- लाख को गणना में लिया है।

6. बोर्ड ने मार्च, 2019 में पेंशन संवितरण के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक खाता सं. 10983996109 में जमा किए गये अंतशेष रुपये 1.37 करोड़ को वार्षिक लेखा में नहीं दर्शाया है,

जिसे वेतन के अधीन समाविष्ट किया गया है और उपयोग में लाया गया दर्शाया गया है। पिछले मानक रिपोर्ट में की गई तथ्यपरक टिप्पणी को प्रकट नहीं किया गया है।

7. स्वायत्त निकाय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाकरण के फार्मेट के अनुसार मार्च माह हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), यात्रा भत्ता, विद्युत, पानी एवं वेतन के लिए प्राक्कलन आधार पर प्रावधान बोर्ड द्वारा किया जाना है।

8. भारतीय स्टेट बैंक के 02 (खाता सं. 10983996096 एवं 10984000370) के सम्बन्ध में दिनांक 31.03.2019 को बैंक समाधान विवरण में रुपये 8103 का अन्तर दिखाई देता है, बैंक में जमा की गई राशि (नवम्बर 2016 से पूर्व) को बैंक ने स्वीकार नहीं किया है। यह प्रतीत होता है कि इन अन्तरों को सही कराने के लिए बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं किया है।

9. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान राशि रुपये 1.00 करोड़ उपयोग में नहीं लाया गया, इसलिए विभिन्न कारणों से अनुदान के उपयोग का प्रस्ताव मंजूरी नहीं प्राप्त कर सका। तथापि बोर्ड ने दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग में नहीं लायी गई राशि के साथ–साथ ब्याज राशि मंत्रालय को नहीं लौटाया था।

10. बोर्ड के कर्मचारी के संबंध में सा.भ.नि. बही खाता (ब्रोड शीट) सा.भ.नि. खाता के अथ शेष रुपये 30.63 करोड़ को प्रदर्शित करता है, जबकि तुलनपत्र के अनुसार खाता में रुपये 6.31 लाख की कमी को इंगित करते हुए निधि अथ शेष रु. 30.57 करोड़ प्रदर्शित करता है।

11. सा.भ.नि. तुलन पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को आयकर प्राधिकारी से प्राप्त होने वाली स्रोत पर कर कटौती राशि रुपये 29.08 लाख थी। जबकि स्रोत पर कर कटौती सारांश बही (टी डी एस समरी लेजर) के अनुसार दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2019 तक रुपये 29.08 लाख सहित उपर्युक्त राशि रुपये 1.14 करोड़ दर्शाया गया है। इसलिए शेष 84.98 लाख रुपये को सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत जमा किया जाना है।

12. बोर्ड के विरूद्ध 59 न्यायालय मामले लम्बित हैं। बोर्ड ने न तो इन लम्बित मामलों के विरूद्ध जबाबदारी दिखाई है न ही तो इस तथ्य को लेखा पर टिप्पणी में प्रकट किया है।

13. वर्ष 2018–19 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कम्प्यूटर उपकरणों, पुस्तकालयीन पुस्तकों, कार्यालय उपकरणों, दृश्य–श्रव्य साधनों जैसी आस्तियों पर मूल्यह्रास दर अधिरोपित किया गया है तथा यथानिर्धारित नहीं है।

14. पूंजीगत व्यय में रुपये 6.82 लाख (अनुसूची 13 एवं 1) सम्मिलित किया गया है। कर्मचारियों को दिए गये रुपये 1.20 लाख वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम यथार्थ नहीं है।

ग) सहायता अनुदान

सहायता अनुदान की कुल राशि रुपये 79.55 करोड़ (पिछले वर्ष अग्रेनित अव्ययित राशि रुपये 4.97 करोड़ सहित) में से बोर्ड ने रुपये 76.05 करोड़ राशि उपयोग में लाया है और 31 मार्च, 2019 तक रुपये 3.49 करोड़ अनुदान को उपयोग में नहीं लाया है।

फिर भी अनुसूची–13 अनुदान/सबसिडी में राशि रुपये 61.47 लाख को उपर्युक्त जैसा दिखाया गया है।

घ) प्रबंधन पत्र

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है।

v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय–व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखा की टिप्पणी के साथ संलग्न उपर्युक्त वित्तीय विवरण तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामलें भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के साथ अनुपालन की दृष्टि से सत्य एवं सही विचार प्रकट करते है। उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलें साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों की दृष्टि में सत्य एवं सही विचार देने के लिए उपर्युक्त लेन–देन एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखा परीक्षा के साथ संलग्न अनुलग्नक की यथार्थता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

क. जहाँ तक यह द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बोर्ड, नागपुर के मामलों की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2019 तक की तुलनपत्र से संबंधित है और

ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति तक अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है ।

कृते एवं की ओर से
भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
हस्ता/-
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय),
मुंबई

स्थानः मुंबई

दिनांकः 23.06.2020

संलग्नक
1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तताः बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में है। इसके अधीन 50 क्षेत्रीय निदेशालय, 09 उप–क्षेत्रीय निदेशालय, 06 आँचलिक निदेशालय तथा शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान (आई.आई.डब्ल्यू.ई.) मुंबई में कार्यरत हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है, फिर भी वर्ष 2018–19 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा होना शेष है। बोर्ड के पास अपना अलग से आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है। इसलिए, दिर्घावधी से अधिकांश, 50 क्षेत्रीय निदेशालय, 09 उप–क्षेत्रीय निदेशालय, 06 आँचलिक निदेशालयों तथा प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। दठेंराश्रशिविबो, क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै का वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। तद्नुसार, दठेंराश्रशिविबो, कोची की भी वर्ष अप्रैल, 2013 से आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तताः बोर्ड की समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और निम्नलिखित कारणों के लिए बोर्ड के आकार एवं प्रकृति उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती हैः प) बोर्ड आयकर भुगतान से मुक्त है फिर भी, सामान्य भविष्य निधि में निवेश सहित अन्य निवेशों से आय पर स्रोत पर कर कटौती की जा रही है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती के संबध में अपनायी गयी लेखाकरण नीति गलत है। पप) बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2018–19 की अवधि के लिए निर्धारित समय में आयकर विवरणी दाखिल नहीं गई है। इसलिए वर्ष 2014–15 तथा 2016–17 की अवधि के लिए आयकर विभाग द्वारा विवरणी स्वीकृत नहीं की गई है, ऐसा संदेह होता है। निर्धारित समय पर आयकर विवरणी दाखिल न करने से आयकर प्राधिकारियों से स्रोत पर कर कटौती वापस न मिलने की जोखिम होती है। पपप) लेखाकरण लेन–देन के मानकीकृत अभिलेख के लिए कूटबद्ध लेखा शीर्ष सहित अनुमोदित लेखाकरण मैनुअल बोर्ड के पास अलग से नहीं है। पअ) मुख्यालय से ही संबंधित लेन–देन के मामलें में शीर्षवार खाता–बही उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार, मुख्यालय में समूह अनुसूची भी लेन–देन के मामलें में उपलब्ध नहीं थी, जबकिं समूहीकरण का कार्य समय–समय पर की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै ने मुख्यालय, नागपुर द्वारा प्रेषित राशि की रसीद के अनुसार रु.13.26 लाख (वेतन व्यय के लिए) का हिसाब नहीं रखा हैं, जबकि एसबीआई खाता में 29.03.2019 तक जमा करना था। उसी तरह, दठेंराश्रशिविबो, इन्दौर ने भी मुख्यालय, नागपुर द्वारा वेतन व्यय के संबंध में दी गई राशि रु.3.79 लाख को खाता में नहीं लिया है। अ) जबकि, तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखा में समायोजन को दर्शाया गया था, इसके समर्थन में जर्नल वाउचर्स को तैयार नहीं किया गया था और सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था जबकि ऐसे समायोजन प्रविष्टि का अनुपालन आवश्यक है। अप) निम्नलिखित निरीक्षण, कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाते हैः– चंदा, गृह निर्माण अग्रिम, निधि, स्वयंकोष निर्माण, सीटीपी लेखा एवं स्रोत पर कर कटौती के अंतर्गत बैंक जमा शेष एवं जमा विवरण रुपये 26.03 करोड़ दर्शाया गया हैं। जबकि इन कोष के अंतर्गत कुल जमा शेष तुलन पत्र की अनुसूची 3 से 3(ग) में रुपये 29.03 करोड़ दशायी गई है। बैंक जमा शेष एवं उद्दिष्टित निधि के बीच रुपये 03.00 करोड़ के अंतर की राशि का समाधान नहीं किया गया था। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में का सा.भ.नि. बही खाता (बोर्ड शीट) सा.भ.नि. खाता की आरंभिक जमा शेष रुपये 30.63 करोड़ प्रदर्शित करता है जबकि तुलनपत्र के अनुसार आरंभिक जमा निधि रुपये

रु.6.31 लाख का अंतर दिखाते हुए रुपये 30.57 करोड़ दर्शाया है, अंतर को समाधान करने की आवश्यकता है। बोर्ड ने 2006–07 से 2018–19 की अवधि के लिए के.लो.नि.वि. को दिए गए अग्रिम के अभिलेख का रखरखाव नहीं किया है, जोकि अग्रिम लेने के उद्देश्य एवं कार्य पूरा होने की स्थिति को नहीं दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा निरंतर अनियमितताएं की गई है जिसे बोर्ड द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, जोकि मुख्यतः निम्न प्रकार से हैः सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना तदर्थ बोनस प्रदान करना, प्रारूप में निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभ का प्रावधान नहीं है। स्रोत पर कर कटौती वापसी का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। पेंशन खाता का अप्रकटीकरण क्षेत्रीय निदेशालयों को भेजी गई सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की राशि असंवितरित है। फॉर्म 12क में उपयोगिता प्रमाणपत्र तैयार नहीं किया गया है। निवेश एवं बैंक जमा के साथ ईएमएफ जमा शेष अनुरूप नहीं है।
3. स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणालीः बोर्ड ने स्थिर आस्तियों का रजिस्टर तथा प्रत्यक्ष सत्यापन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत किए गये पुस्तकालय रजिस्टर में यह पाया गया कि दिनांक 21.08.2013 को की गई अंतिम प्रविष्टि में पुस्तकों की कुल संख्या 4192 प्रकट किया गया है। वर्ष 2017–18 तक रजिस्टर में किए गये प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि अभिलेख और मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी किताबों की खरीद नहीं की गई है। इससे यह साबित होता है कि वर्तमान पुस्तकों के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था और पायी गयी विसंगतियों को रिपोर्ट किया गया था। वर्ष 2018– 19 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में अचल आस्तियाँ एवं वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया था।
4. स्थिर वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणालीः बोर्ड में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।
5. सांविधिक देय का भुगतान नियमित रूप से करना। बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है। फिर भी, रुपये 5.02 लाख व्यवसाय कर को दिनांक 31.03.2019 तक सरकार के खाते में भुगतान नहीं किया गया है।

हस्ता/–

प्रधान लेखा परीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय)

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)
सी–25, लेखा परीक्षा भवन, आयकर भवन के पीछे,
बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई– 400 051
दूरभाषः(022) 26571752 / 41 / 42 / 36, फैक्सः 2657 2451

डी.ओ.सं. डीजीए(सी) / मु. / सी एण्ड एबी / प्रबंधन पत्र / डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, नागपुर / 18–19 / 04,

दिनांक : 23 जून, 2020

प्रिय महोदय,

मैंने वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर की वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की है तथा दिनांक 23.06.2020 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ, जोकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश नहीं की गई थीं, को आपके सुधारक तथा उपचारी कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया जा रहा हैः–

1. "अनुदान, स्वयंकोष निर्माण, गृह निर्माण अग्रिम एवं सीटीपी लेखा" शीर्ष के अंतर्गत चालू आस्तियों में सा.भ.नि. की राशि रु.90.98 लाख तथा प्राप्त होने वाली एन.पी.एस. की राशि रुपये 5.22 लाख को समाविष्ट किया गया है। तथापि, सामान्य भविष्य निधि लेखा तुलनपत्र के अनुसार बोर्ड के खाते में देय देयता रुपये 78.32 लाख तथा एनपीएस के खाते में देयता शून्य प्रदर्शित हो रही है। जिसके परिणामस्वरूप, चालू आस्तियों को रु. 17.88 लाख (रु.12.66 लाख + रु.5.22 लाख) अधिक करके बताया गया है तथा देयता (समग्र) को अधिक करके दर्शाया गया है।

2. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम के संवितरण के लिए विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को प्रेषित रुपये 2.99 लाख राशि को चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची–7) में समाविष्ट किया गया है। यह राशि वर्ष 2012–13 से दर्शायी जा रही है और बोर्ड को इसे समाधान करने की आवश्यकता है।

3. बोर्ड ने रुपये 1.03 करोड़ राशि को चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची–7) के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह राशि खाता संख्या एवं नामों के बेमेल होने के कारण क्षेत्रीय निदेशालयों की अवितरित प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डीबीटी) की राशि से संबंधित है। बोर्ड द्वारा प्राप्तकर्ता की पहचान की जा रही है तथा आगामी लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा करने हेतु राशि को दर्शाया जा सकता है।

4. रुपये 2.39 करोड़ के ब्याज भुगतान के स्थान पर निवेश पर प्राप्त सा.भ.नि. ब्याज रुपये 1.93 करोड़ बताया गया है। स्रोत जिसके अंतर्गत अंतर आया है उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. फॉर्म 12–ए में उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। पुराने जीएफआर 19–ए प्रपत्र में उपयुक्तता प्रमाणपत्र में अनुदान एवं अग्रिम भुगतान पर ब्याज को भी नहीं दर्शाया गया है।

आपका,

हस्ता/–

(के. पी. यादव)

श्री हर्ष वैद्य,
महानिदेशक,
दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक
शिक्षा एवं विकास बोर्ड,
उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपुर– 440033

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखा पर भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जवाब
(1)	(2)
हमने 31 मार्च, 2019 को दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2018–19 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है। 2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनिमयों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता–सह–निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है। 3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतो का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगिण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना	

भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है। 4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः i.) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के पैरा डी–13 में उल्लिखितनुसार जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। ii.) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है। iii.) हमारी राय में बोर्ड द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बोर्ड के नियम एवं विनियम के नियम 20(प) के अधीन यथा अपेक्षित बनाये रखे गये हैं जैसा कि हमने अचल आस्ति रजिस्टर के अलावा ऐसी पुस्तकों को देखा है। iv.) हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः	
क. तुलन पत्र **क1. आस्तियाँ** **क1.1. चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) रुपये 42.22 करोड़** बोर्ड को आयकर से मुक्त रखा गया है, फिर भी इसके आय के ब्याज एवं अन्य आय पर कर की कटौती की जाती है। आयकर विभाग से प्राप्त होने वाली स्रोत पर कर कटौती के लिए बोर्ड लेखांकन नहीं कर रहा है। चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची–11) रुपये 1.20 करोड़ को नहीं बताया गया है और समग्र निधि (अनुसूची–1) की उपर्युक्त राशि को नहीं बताया गया है। इस गलत प्रथा को पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी लेखा परीक्षा द्वारा उजागर किया गया है, परंतु बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	वर्ष 2019–20 के लिए लेखा तैयार करते समय आवश्यक सुधार कर लिया गया है। वर्ष 2013–14 से 2019–20 तक प्राप्त होने वाली स्रोत पर कर कटौती राशि को अनुसूची–11 में दर्शाया गया है।
ख. सामान्य टिप्पणी 1. बोर्ड ने पिछले लेखाकरण मानक में की गई टिप्पणी के जरिए लेखाकरण मानक–15 की शर्तों में यथा अपेक्षित पेंशन, ग्रेच्यूटि एवं छुट्टी के नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्तलाभ के लिए वास्तविक आधार पर पहले से प्रावधान नहीं किया है।	वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखा में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।

2. बैंक शेष एवं जमा विवरणों में दर्शाए गये अनुसार कुल रुपये 26.03 करोड़ को अंशदान, गृह निर्माण, सीटीपी लेखा एवं वापस की गई स्रोत पर कर कटौती के अधीन जिससे अनुसूची 3 से 3 (ग) के अनुसार इन निधियों के अधीन सकल जमा शेष को 29.03 करोड़ दर्शाया गया है, इसलिए 03 करोड़ का अन्तर दिखाई दे रहा है। बोर्ड ने स्वयंकोष निर्माण निधि में जमा राशि में से रुपये 3.44 करोड़ जिला न्यायालय, नागपुर में विनियोजित किया है। तथापि बैंक जमा शेष एवं उदिद्ष्टित निधि के बीच अन्तर राशि को समाधान करने की आवश्यकता है।	इन खातों की शुरुआत से सभी लेन–देन का सत्यापन अपेक्षित है। इसलिए इसे आगामी वर्षों में कर लिया जाएगा।
3. अनुसूची 13 के अनुसार अव्ययित अनुदान को रुपये 61.47 दर्शाया गया है जो कि यथार्थ नहीं है, क्योंकि रुपये 4.97 करोड़ अनुदान के प्रारम्भिक अथ शेष पर विचार नहीं किया गया। वर्ष के लिए वास्तविक अव्ययित जमा अनुदान रुपये 3.45 करोड़ (अथ शेष रुपये 4.97 प्राप्त अनुदान रुपये 74.58 – 76.10 व्यय) को उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है।	वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय अनुसूची–13 में पिछले वर्ष के लिए आवश्यक सुधार कर लिया गया है।
4. चालू देयता एवं अन्य प्रावधान (अनुसूची 7) के अधीन अन्य जमा राशि रुपये 64.40 लाख में ठेकेदारों से प्राप्त जमा बयाना राशि रुपये 28.00 लाख को समाविष्ट किया गया है जो कि बही में लम्बे समय से बकाया है। बोर्ड ने उपर्युक्त मदवार एवं तिथिवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके आगे बोर्ड में उपलब्ध अन्य जमा समाविष्ट रुपये 31.38 लाख का विवरण नहीं दिखाया गया है।	टैली के बही खाता के विवरण की लेखा परीक्षा करने के लिए तथा इससे पूर्व भी लेखा परीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। कुछ मामले में जमा बयाना राशि (ई.एम.डी.) के धन वापसी मामले विवादित है और न्यायालय के अधीन तथा कुछ मामले में लेखा शाखा से दावे/कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए है। मामले/कार्य का समझौता होने के बाद ये जमा बयाना राशि(ई.एम.डी.) वापस हो जाएगी अथवा इसे आय समझा जाएगा।
5. बोर्ड ने भविष्य निधि अग्रिम लेखा में रोकड़ जमा करने के बजाए चालू देयताएं एवं प्रावधान के अधीन संचित गृह निर्माण अग्रिम वसूली एवं ब्याज रुपये 10.89/- लाख को गणना में लिया है।	वर्ष 2019–20 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम खाता में रुपये 10.89/- लाख की राशि जमा की गई थी।
6. बोर्ड ने मार्च, 2019 में पेंशन संवितरण के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक खाता सं.10983996109 में जमा किए गये अंतशेष रु.1.37 करोड़ को वार्षिक लेखा में नहीं दर्शाया है, जिसे वेतन के अधीन समाविष्ट किया गया है और उपयोग में लाया गया दर्शाया गया है। पिछले मानक रिपोर्ट में की गई तथ्यपरक टिप्पणी को प्रकट नहीं किया गया है।	वर्ष 2019–20 के दौरान लेखा टिप्पणी में भारतीय स्टेट बैंक खाता सं.10983996109 (अनुसूची 25) में पेंशन खाता की जमा राशि को दिखाया गया है।

7. स्वायत्त निकाय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाकरण के फार्मेट के अनुसार मार्च माह हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), यात्रा भत्ता, विद्युत, पानी एवं वेतन के लिए प्राक्कलन आधार पर प्रावधान बोर्ड द्वारा किया जाना है।	आगामी वर्षों में लेखा तैयार करते समय अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। जैसा कि पिछले वर्षों में मार्च का वेतन अगले वर्ष में प्राप्त अनुदान से किया गया है। यदि ऐसा प्रावधान किया जाता है तो 01 वर्ष में 13 माह के वेतन का भुगतान होगा। यदि हम नकद आधार से विशेष रूप से भुगतान की श्रेणी में जाते हैं तो मार्च माह का वेतन समझा जाएगा।
8. भारतीय स्टेट बैंक के 02 (खाता सं. 10983996096 एवं 10984000370) केसम्बन्ध में दि.31.03.2019 को बैंक समाधान विवरण में रु.8103 का अन्तर दिखाई देता है, बैंक में जमा की गई राशि (नवम्बर, 2016 से पूर्व) को बैंक ने स्वीकार नहीं किया है। यह प्रतीत होता है कि इन अन्तरों को सही कराने के लिए बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं किया है।	खाता सं. 10983996096 में रुपये 2343/- के अंतर का समाधान कर लिया गया है। इस खाता के लिए बैंक समाधान विवरण में अंतर नहीं है। रुपये 5560/- का अंतर बहुत ही पुराना है। तथापि आगामी वर्षों में बैंक के साथ मामले का समाधान कर लिया जाएगा।
9. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान राशि रुपये 1.00 करोड़ उपयोग में नहीं लाया गया, इसलिए विभिन्न कारणों से अनुदान के उपयोग का प्रस्ताव मंजूरी नहीं प्राप्त कर सका। तथापि बोर्ड ने दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग में नहीं लायी गई राशि के साथ–साथ ब्याज राशि मंत्रालय को नहीं लौटाया था।	वर्ष 2019–20 के दौरान अव्ययित अनुदान मंत्रालय को वापस लौटा दिया गया।
10. बोर्ड के कर्मचारी के संबंध में सा.भ.नि. बही खाता (ब्रोड शीट) सा.भ.नि. खाता के अथ शेष रुपये 30. 63 करोड़ को प्रदर्शित करता है, जबकि तुलनपत्र के अनुसार खाता में रुपये 6.31 लाख की कमी को इंगित करते हुए निधि अथ शेष रु. 30.57 करोड़ प्रदर्शित करता है।	सभी वित्तीय विवरण एवं सा.भ.नि. खाता बही जमा के साथ–साथ इस खाता के आरंभ से लेकर बैंक के लेन–देन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इसलिए उपर्युक्त का समाधान आगामी वर्षों में कर लिया जाएगा।
11. सा.भ.नि. तुलन पत्र के अनुसार दि. 31.03.2019 को आयकर प्राधिकारी से प्राप्त होने वाली स्रोत पर कर कटौती राशि रुपये 29.08 लाख थी। जबकि स्रोत पर कर कटौती सारांश बही (टी डी एस समरी लेजर) के अनुसार दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2019 तक रुपये 29.08 लाख सहित उपर्युक्त राशि रुपये 1.14 करोड़ दर्शाया गया है। इसलिए शेष 84.98 लाख रुपये को सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत जमा किया जाना है।	वर्ष 2013–14 से 2019–20 तक वापस की जाने वाली स्रोत पर कर कटौती राशि को वर्ष 2019–20 के लिए सा.भ.नि. तुलन पत्र में प्राप्त होने वाली राशि के रुप में वार्षिक लेखा में दिखाया गया था।
12. बोर्ड के विरूद्ध 59 न्यायालय मामले लम्बित हैं। बोर्ड ने न तो इन लम्बित मामलों के विरूद्ध	आगामी वर्षों में उपर्युक्त प्रावधान किया जाएगा।

जबाबदारी दिखाई है न ही तो इस तथ्य को लेखा पर टिप्पणी में प्रकट किया है।	
13. वर्ष 2018–19 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कम्प्यूटर उपकरणों, पुस्तकालयीन पुस्तकों, कार्यालय उपकरणों, दृश्य–श्रव्य साधनों जैसी आस्तियों पर मूल्यह्रास दर अधिरोपित किया गया है तथा यथानिर्धारित नहीं है।	आगामी वर्षों के लिए लेखा में संशोधन किया जाएगा।
14. पूंजीगत व्यय में रुपये 6.82 लाख (अनुसूची 13 एवं 1) सम्मिलित किया गया है। कर्मचारियों को दिए गये रुपये 1.20 लाख वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम यथार्थ नहीं है।	बोर्ड को वाहन, कम्प्यूटर अग्रिम प्रदान करने के लिए अलग से अनुदान प्राप्त नहीं होता है। जिससे इन राशि का भुगतान भारत सरकार से दिए गये अनुदान से किया गया था। बोर्ड उपर्युक्त राशि को भारत सरकार को वापस लौटाने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए इसे पूंजीगत व्यय समझा गया है और इसे तुलनपत्र में दिखाया गया है तथा अनुसूची 13 में कुल व्यय से घटा दिया गया है, जोकि केवल राजस्व व्यय के लिए अनुदान को प्रदर्शित करता है। ऐसी ही स्थिति को पिछले वर्षों में लेखा परीक्षा द्वारा पहले ही प्रमाणित किया गया था, इसलिए पैरा को बंद किया जा सकता है।
ग) सहायता अनुदान	
सहायता अनुदान की कुल राशि रुपये 79.55 करोड़ (पिछले वर्ष अग्रेनित अव्ययित राशि रुपये 4.97 करोड़ सहित) में से बोर्ड ने रुपये 76.05 करोड़ राशि उपयोग में लाया है और 31 मार्च, 2019 तक रुपये 3.49 करोड़ अनुदान को उपयोग में नहीं लाया है। फिर भी अनुसूची–13 अनुदान/सबसिडी में राशि रुपये 61.47 लाख को उपर्युक्त जैसा दिखाया गया है।	वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखा को तैयार करते समय अनुसूची 13 में पिछले वर्ष के लिए आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

घ) प्रबंधन पत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है। v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय–व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप हैं। vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखा की टिप्पणी के साथ संलग्न उपर्युक्त वित्तीय विवरण तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामलें भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के साथ अनुपालन की दृष्टि से सत्य एवं सही विचार प्रकट करते है। उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलें साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों की दृष्टि में सत्य एवं सही विचार देने के लिए उपर्युक्त लेन–देन एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखा परीक्षा के साथ संलग्न अनुलग्नक की यथार्थता को सत्यापित नहीं किया जा सका। क. जहाँ तक यह द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बोर्ड, नागपुर के मामलों की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2019 तक की तुलनपत्र से संबंधित है और ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति तक अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है ।	

संलग्नक

1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तताः** बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में है। इसके अधीन 06 आँचलिक, 50 क्षेत्रीय निदेशालय एवं 09 उप–क्षेत्रीय निदेशालय तथा शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भा.श्र.शि.सं. , मुंबई में हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यदि वर्ष 2017–18 तक की अवधि के लिए (जुलै, 2018) में बोर्ड के मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा होना शेष है। बोर्ड के पास अपना अलग से आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है, इसलिए, दिर्घावधी से अधिकांश, 50 क्षेत्रीय निदेशालय, 09 उप–क्षेत्रीय निदेशालय, 06 आँचलिक निदेशालयों तथा प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै का वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। तद्नुसार, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., कोच्ची की भी अप्रैल, 2013 वर्ष से आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।	वित्तीय सलाहकार, लेखा अधिकारी, लेखापाल, कर्मचारीगण इ. नियमित रिक्त पदो ंके कारण तथा रिक्त पदों की भर्ती न करने से, आंतरिक लेखा परीक्षा अपर्याप्त है तथा बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। फिर भी, सीएजी तथा मंत्रालय के आंतरिक लेखा विंग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही हैं। उनके द्वारा बोर्ड के सभी इकाई तथा सूची को अद्यतन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी बजट विंग तथा आंतरिक लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता है। इस विंग के सृजन के लिए, लेखा नियंत्रक का एक पद, लेखा अधिकारी के एक अतिरिक्त पद के साथ, लेखापाल के दो पद, उच्च श्रेणी लिपिके के दो पद तथा एक पद आशुलिपिक तथा एक पद एमटीएस इ. पदो ंके सृजन की आवश्यकता है। इस संबंध में, प्रशासन अनुभाग द्वारा प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाएगा। लेखाकरण इकाइयों के लिए पुनर्गठन हेतु प्रयास जारी है।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तताः** बोर्ड की समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और निम्नलिखित कारणों के लिए बोर्ड के आकार एवं प्रकृति उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती हैः i) बोर्ड आयकर भुगतान से मुक्त है फिर भी, सामान्य भविष्य निधि में निवेश सहित अन्य निवेशों से आय पर स्रोत पर कर	आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के सृजन से ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ होगी। हमने, सामान्य भविष्य निधि में निवेश राशि से स्रोत पर कर कटौती नहीं किए जाने के संबंध में, दि.30.8.2019 को पत्र संख्याः डीटीएनबीडब्ल्यूईडी/लेखा/पीडीए/एसएआर/2017–18/530 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक को अनुरोध किया कि, सामान्य भविष्य निधि के निवेश पर स्रोत पर कर कटौती न

	कटौती की जा रही है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती के संबध में अपनायी गयी लेखाकरण नीति गलत है।	करें। बैंक ने सूचित किया है कि नये वित्तीय वर्ष जैसे 2019–20 में स्रोत पर कर कटौती नहीं की गई है (प्रति संलग्न)। वर्ष 2019–20 के दौरान स्रोत पर कर कटौती के संबंध में की गई प्रविष्टि को संशोधित कर लिया गया था।
	ii) बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2018–19 की अवधि के लिए निर्धारित समय में आयकर विवरणी दाखिल नहीं गई है। इसलिए वर्ष 2014–15 तथा 2016–17 की अवधि के लिए आयकर विभाग द्वारा विवरणी स्वीकृत नहीं की गई है, ऐसा संदेह होता है। निर्धारित समय पर आयकर विवरणी दाखिल न करने से आयकर प्राधिकारियों से स्रोत पर कर कटौती वापस न मिलने की जोखिम होती है।	बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 के साथ वर्ष 2018–19 के लिए आय कर विवरणी फाइल कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 अर्थात निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान रुपये 32,10,980 की धन वापसी प्राप्त हो गई थी।
	iii) लेखाकरण लेन–देन के मानकीकृत अभिलेख के लिए कूटबद्ध लेखा शीर्ष सहित अनुमोदित लेखाकरण मैनुअल बोर्ड के पास अलग से नहीं है।	लेखा अभिलेख के प्रशासनिक मैनुअल की प्रति लेखा परीक्षा के लिए दिखाई गई है। तथापि लेखांकन लेन–देन के मानकीकृत अभिलेख के लिए कूटबद्ध लेखा शीर्ष के साथ लेखांकन मैनुअल को मुख्यालय में नियमित वित्तीय सलाहकार की तैनाती पर तैयार किया जाएगा।
	iv) मुख्यालय से ही संबंधित लेन–देन के मामलें में शीर्षवार खाता–बही उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार, मुख्यालय में समूह अनुसूची भी लेन–देन के मामलें में उपलब्ध नहीं थी, जबकिं समूहीकरण का कार्य समय–समय पर की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै ने मुख्यालय, नागपुर द्वारा प्रेषित राशि की रसीद के अनुसार रु.13.26 लाख (वेतन व्यय के लिए) का हिसाब नहीं रखा हैं, जबकि एसबीआई खाता में 29.03.2019 तक जमा करना था। उसी तरह, दठेंराश्रशिविबो, इन्दौर ने भी मुख्यालय, नागपुर द्वारा वेतन व्यय के संबंध में दी गई राशि रु.3.79 लाख को खाता में नहीं लिया है।	सम्पूर्ण बोर्ड एवं लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत विवरण के सम्बन्ध में समेकित आवतियाँ एवं भुगतान बही से बोर्ड का पूरा लेखा जैसे सभी कार्यालयों से संबंधित समूह अनुसूची मैनुअली तैयार किए गये थे। चेन्नै के लिए रुपये 13.26 लाख और इंदौर के लिए रुपये 3.79 लाख की राशि बोर्ड की अंत शेष का हिस्सा ट्रांजिट में है, इसलिए पैरा को बंद किया जा सकता है।

	v) जबकि, तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखा में समायोजन को दर्शाया गया था, इसके समर्थन में जर्नल वाउचर्स को तैयार नहीं किया गया था और सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था जबकि ऐसे समायोजन प्रविष्टि का अनुपालन आवश्यक है।	आगामी वर्षों में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
	vi) निम्नलिखित निरीक्षण, कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाते हैः–	
	v) चंदा, गृह निर्माण अग्रिम, निधि, स्वयंकोष निर्माण, सीटीपी लेखा एवं स्रोत पर कर कटौती के अंतर्गत बैंक जमा शेष एवं जमा विवरण रुपये 26.03 करोड़ दर्शाया गया हैं। जबकि इन कोष के अंतर्गत कुल जमा शेष तुलन पत्र की अनुसूची 3 से 3(ग) में रुपये 29.03 करोड़ दशायी गई है। बैंक जमा शेष एवं उद्दिष्टित निधि के बीच रु. 3.00 करोड़ के अंतर की राशि का समाधान नहीं किया गया था।	इन लेखा के शुरू होने से लेकर अब तक सभी लेन–देन के विवरण का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। फिर भी इन स्वयंकोष निर्माण, गृह निर्माण अग्रिम, सीटीपी–जी, चन्दा लेखा के सभी लेन–देन एवं वार्षिक लेखा परीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया गया था और लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष सत्यापित किया गया। इसलिए उपर्युक्त को आगामी वर्षों में कर लिया जाएगा।
	vi) बोर्ड कर्मचारी वर्ग का सा.भ.नि. बही खाता (बोर्ड शीट) सा.भ.नि. खाता रुपये 30.63 करोड़ रोकड़ जमा दर्शाता है जबकि पहले निधि रोकड़ जमा है तो तुलनपत्र के अनुसार उसी समय में रुपये 30.57 करोड़ दर्शाता है, जबकि रु.6.31 करोड़ का अंतर दिखता है, इस अंतर को समाधन करने की आवश्यकता है।	सामान्य भविष्य निधि खाता के शुरूआत से लेकर अब तक सभी वित्तीय विवरण एवं सामान्य भविष्य निधि बही जमा के साथ–साथ लेन–देन का विवरण सत्यापित किया जाना आवश्यक है। अतः इसे आगामी वर्षों में कर लिया जाएगा।
	vii) बोर्ड ने 2006–07 से 2018–19 की अवधि के लिए के.लो.नि.वि. को दिए गए अग्रिम के अभिलेख का रखरखाव नहीं किया है, जोकि अग्रिम लेने के उद्देश्य एवं कार्य पूरा होने की स्थिति को नहीं दिखाया गया है।	वर्ष 2006–07 से 2018–19 की अवधि के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दी गई अग्रिम का पूरा अभिलेख बोर्ड द्वारा बनाए रखा गया है। फिर भी बोर्ड ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सिविल), नागपुर एवं वर्तमान वर्ष में के.लो.नि.वि. (इलेक्ट्रिकल), मुंबई एवं नागपुर में फार्म सं.65 में जमा एवं व्यय का वर्षवार एवं कार्यवार विवरण प्राप्त नहीं किया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा/अग्रिम को पूंजीगत करने के लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2020 के अर्धशासकीय पत्र सं. डी–11017/13/95/सिविल/2122 महानिदेशक, के.लो.नि.वि, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजा गया था।(अनुलग्नक–X)
	viii) बोर्ड द्वारा निरंतर अनियमितताएं की गई है जिसे बोर्ड द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, जोकि मुख्यतः निम्न प्रकार से हैः • सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना तदर्थ बोनस प्रदान करना,	• वर्तमान में मंत्रालय द्वारा मँहगाई भत्ता एवं बोनस के लिए अलग से परिपत्र नहीं जारी किया जा रहा

	• प्रारूप में निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभ का प्रावधान नहीं है। • स्रोत पर कर कटौती वापसी का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। • पेंशन खाता का अप्रकटीकरण • क्षेत्रीय निदेशालयों को भेजी गई सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की राशि असंवितरित है। • फॉर्म 12क में उपयोगिता प्रमाणपत्र तैयार नहीं किया गया है। निवेश एवं बैंक जमा के साथ ईएमएफ जमा शेष अनुरूप नहीं है।	है। फिर भी दिनांक 23.10.2019 को पत्र सं. द.ठे. रा.श्र.शि.वि.बो. /लेखा/डीए–बोनस(2018–19)/617 मंत्रालय को भेजा गया था (पृष्ठ सं. 99), मंत्रालय से जवाब प्रतिक्षित है। • वर्ष 2019–20 के दौरान इस लेखा में प्रावधान किया गया था। • वर्ष 2013–14 से वापस की गई स्रोत पर कर कटौती राशि वर्ष 2019–20 में जमा में ले ली गई है। • उपर्युक्त को वर्ष 2019–20 के दौरान लेखा टिप्पणी में प्रकट किया गया है। • आगामी वर्षों में अनुपालन के लिए नोट किया गया। • इन लेखा के आरंभ से लेकर सभी लेन–देन के सत्यापन का विवरण आवश्यक है। इसलिए इसे आगामी वर्षों में कर लिया जाएगा।
3.	**स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली:** बोर्ड ने स्थिर आस्तियों का रजिस्टर तथा प्रत्यक्ष सत्यापन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत किए गये पुस्तकालय रजिस्टर में यह पाया गया कि दिनांक 21.08.2013 को की गई अंतिम प्रविष्टि में पुस्तकों की कुल संख्या 4192 प्रकट किया गया है। वर्ष 2017–18 तक रजिस्टर में किए गये प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि अभिलेख और मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी किताबों की खरीद नहीं की गई है। इससे यह साबित होता है कि वर्तमान पुस्तकों के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था और पायी गयी विसंगतियों को रिपोर्ट किया गया था। वर्ष 2018– 19 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में अचल आस्तियाँ एवं वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया था।	सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार मुख्यालय में सम्पत्ति रजिस्टर तैयार होने के अधीन है। अस्तियों पर प्रत्यक्ष सत्यापलन रिपोर्ट के साथ–साथ पुस्तकालय की पुस्तकें आगामी लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

4.	**स्थिर वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणालीः** बोर्ड में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।	—
5.	**सांविधिक देय का भुगतान नियमित रूप से करना।** बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है। फिर भी, रुपये 5.02 लाख व्यवसाय कर को दिनांक 31.03.2019 तक सरकार के खाते में भुगतान नहीं किया गया है।	वर्ष 2019–20 के दौरान व्यवसाय कर विभाग के साथ ऑनलाइन भुगतान पंजीकरण का मामला प्रक्रियाधीन था और वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्यालय में रुपये 2.80 लाख के सभी देय भुगतान को जमा कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित शेष राशि को उनके द्वारा व्यवसाय कर विभाग में जमा कर दिया गया है। फिर भी मुख्यालय द्वारा दिसम्बर, 2011 से फरवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान मुख्यालय में पूरे भारत के कार्यालयों का 03 माह का वेतन का भुगतान मुख्यालय द्वारा प्रयोग में लाई जा रही टैली बही में यह देयता परिलक्षित होती है। जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस देयता का अभिलेख में समाधान कर लिया गया है।

कमियाँ

1.	"अनुदान, स्वयंकोष निर्माण, गृह निर्माण अग्रिम एवं सीटीपी खाता" के अंतर्गत चालू आस्तियाँ रु.90.98 लाख सा.भ.नि. के कारण समाविष्ट किया गया है और एनपीएस खातों के कारण रु. 5.22 लाख प्राप्य है। तथापि, सामान्य भविष्य निधि खाता तुलनपत्र के अनुसार बोर्ड के खाते में देय देयता रुपये 78.32 लाख मात्र प्रदर्शित है, और एनपीएस के कारण देयता शून्य है। परिणामस्वरूप चालू आस्तियों को रु.17.88 लाख (रु.12.66 लाख + रु.5.22 लाख) अधिक बताया गया है, देयता (समग्र) की अधिकता परिलक्षित होती है।	सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतिम प्रमाणित तुलनपत्र के अनुसार अनुदान लेखा से रुपये 51.54 लाख प्राप्त होने वाली राशि थी। वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड ने सा.भ.नि. खाता में रुपये 129.86 लाख अंतरित किया, जैसा कि अनुदान खाता में अंतरित करने के लिए सा.भ.नि. खाता की देयता रुपये 78.32 लाख थी। एन.पी.एस. की देयता रुपये 5.22 लाख को सामान्य भविष्य निधि की तुलनपत्र में समाविष्ट नहीं किया गया है। इसलिए सा. भ.नि. खाता के आरम्भ होने से लेकर अब तक इन खातों के लेन–देन को सत्यापित कराने की आवश्यकता है। इसलिए आगामी वर्षों में रुपये 12.66 लाख के अंतर का समाधान कर लिया जाएगा।
2.	विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को सामान्य भविष्य निधि की अग्रिम राशि वितरित करने के लिए प्रेषित की गई राशि रुपये 2.99 लाख को चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची–7) में समाविष्ट किया गया है। यह राशि वर्ष 2012–13 से प्रकट हो रही है, बोर्ड को इसे समाधान कराने की आवश्यकता है।	वर्ष 2011–12 से 2013 की अवधि के लिए इस खाते पर लेन–देन के अंतर का समाधान किया जाना है तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए खाता को सत्यापित कराने की आवश्यकता है। फिर भी इसे आगामी वर्षों में समाधान कर लिया जाएगा।
3.	बोर्ड ने चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची–7) के अंतर्गत रुपये 1.03 करोड़ दर्शाया है। ये राशि खाता संख्या एवं नाम में पाई गई विसंगतियों के कारण क्षेत्रीय निदेशालयों की अवितरित प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डी.बी.टी.) की राशि से संबंधित है। प्राप्तकर्ताओं को चिन्हित करके राशि वितरित करने के लिए बोर्ड द्वारा कदम उठाए गये हैं जोकि आगामी लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा के दौरान प्रकट हो सकता है।	क्षेत्रीय निदेशालय अवितरित राशि के बारे में बैंक से कई बार विवरण नहीं प्राप्त कर पाता है, इसके लिए बैंक से विवरण प्राप्त करके अवितरित राशि क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा वितरित की गई थी। इसलिए तीन वित्तीय वर्ष के पहले की अवितरित दावा रहित राशि को आगामी वर्षों में आय समझा जाए।

4.	रुपये 2.39 करोड़ के ब्याज भुगतान के स्थान पर प्राप्त सा.भ.नि. ब्याज रुपये 1.93 करोड़ दिखाया गया है। जिस कारण से यह अंतर दिख रहा है उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।	पिछले वर्षों में सामान्य भविष्य निधि खाता में व्यय से अधिक आय की अधिकता के कारण अन्तर प्रकट हुआ था।
5.	फॉर्म 12–क में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जीएफआर 19–क के पुराने प्रपत्र में प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र अनुदान एवं अग्रिम भुगतान पर ब्याज नहीं दिखाया गया है।	कुछ क्षेत्रीय निदेशालयों के बचत खाता में प्राप्त ब्याज को व्यय से अधिक आय की अधिकता को बताया गया है। फिर भी की गई टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन करने के लिए नोट कर लिया गया है।

Annexure-X

हर्ष वैद्य, भा.र.ले.से.
महानिदेशक
HARSH VAIDYA, I.D.A.S.
Director General

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Govt. of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
Dattopant Thengadi National Board for Workers Education & Development
उत्तरी अंबाझरी मार्ग, नागपुर 440033
North Ambazari Road, Nagpur - 440033

D.O. No.:D-11017/13/95/Civil/ 2122
Date : 20th November, 2020

Dear Shri Vinit Kumar ji,

Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (erstwhile Central Board for Workers Education) is an Autonomous organization under Ministry of Labour & Employment, Govt. of India having Head Office at Nagpur. There are 50 Regional Directorates at different locations in different states. We receive services from your esteemed organization to maintain our own buildings. I bring to your kind notice that since my joining as DG in 2018 at Nagpur, this office has been encountering certain problems like – (i) inadequate services in maintenance, (ii) non submission of Expenditure Statement of deposit fund timely, to comply CAG Audit Objections.

Statement of expenditure of deposit funds from CPWD (especially from Civil Section) from your Office at Nagpur Division, NCD-I, Civil Wing, Nagpur has not been forthcoming, despite of several reminders and personal visits for obtaining the relevant Statement of Deposit / Maintenance Works by CPWD (on format-65), with all the details such as **year-wise, work-wise, expenditure-wise w.e.f. 2006-07** to **2019-20**, which are essential for submission before the Audit (action taken report) for preparation of Annual Accounts of the Board. These are preconditions for getting Grants from the Ministry. The earlier statement (as provided by your good-office) was not as per Audit requirements, which has been informed to your Nagpur office on several occassions. Similarly, many maintenance related works are pending for long inspite of repeated requests.

May I request you, to pay your personal attention in the matter to help us to accelerate the ongoing work and to carryout the future renovations of the Building.

With warm regards,

Yours Sincerely

Harsh Vaidya

HARSH VAIDYA

Shri Vinit Kumar Jayaswal,
Director General, CPWD
A-Wing, Room No.- 101 Nirman Bhawan,
New Delhi – 110011.
cpwd_dgw@nic.in

Tel. (Off) : 0712 - 2233313, Fax : 0712 - 2232275 Mob. No. : 9425156766 E-mail : echvee@yahoo.com

Copy to :

2123
1. The Director General (Planning),
Special Director General (WR), CPWD, 15th Floor, Old CGO Annexe,
101 M K Road, Mumbai, Maharashtra – 400020
Email: spldgwr@gmail.com

2124
2. The Executive Engineer (Civil), Central Public Works Department,
NCD-I, CPWD, Katol Road, Nagpur – 440013. Email: cpwdncd1@yahoo.com

20/11/2020
(H.G. Purohit)
Assistant Director (Admn)

Tel . (Off):- 0712-2233313 FAX : 0712-2232275 E-mail: echvee@yahoo.com
Mobile : 9425156766

DATTOPANT THENGADI NATIONAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION AND DEVELOPMENT
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
North Ambazari Road, Nagpur – 440033
Phone : 0712-2233313, Fax : 0712-2232275
Email : ddhq@cbwe.nic.in web site : www.cbwe.gov.in

No. DTNBWED/Acctts/DA-Bonus(2018-19)/ 617

23.10.2019

To,

The Section Officer (ESA)
Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India,
New Delhi.

Sub : Grant of Ad-hoc Bonus 2018-19 to be paid during 2019-20.

Sir,

The circular for payment of adhoc bonus 2018-19 to be paid during 2019-20 issued by Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi already received (Copy enclosed). The pay structure as per 7th CPC at par with Central Govt. is applicable to the Board. Also the Board employees are covered under Pension Scheme at par with Central Govt. Employees.

The Ministry is, therefore, requested to kindly grant permission to the Board to disburse adhoc Bonus for 2018-19 to the employees of the Board. The same will be paid from existing budget for 2019-20 or may be permitted to disburse from interest earned on self generated fund.

This issues with the approval of the Director General.

Yours faithfully,

Encl : as above.

(L. R. Somkuwar)
Dy.Director (HQ)I/c.

No.7/24/2007/E III (A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(E III-A Branch)
*****

North Block,New Delhi
04th October, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2018-19.

*****

The undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) equivalent to 30 days emoluments for the accounting year 2018-19 to the Central Government employees in Group 'C' and all non-gazetted employees in Group 'B', who are not covered by any Productivity Linked Bonus Scheme. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of Rs. 7000/-, as revised w.e.f 01/04/2014 vide OM No.7/4/2014-E.III(A), dated 29th August, 2016. The payment of ad-hoc Bonus under these orders will also be admissible to the eligible employees of Central Para Military Forces and Armed Forces. The orders will be deemed to be extended to the employees of Union Territory Administration which follow the Central Government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex-gratia scheme.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

(i) Only those employees who were in service as on 31.3.2019 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2018-19 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months);

(ii) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (Ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a month will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will, thereafter, be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of monthly emoluments of Rs. 7000 (where actual average emoluments exceed Rs. 7000), Non-PLB (Ad-hoc Bonus) for thirty days would work out to Rs. 7000x30/30.4=Rs.6907.89 (rounded off to Rs.6908/-).

(iii) The casual labour who have worked in offices following a 6 day week for at least 240 days for each year for 3 years or more (206 days in each year for 3 years or more in the case of offices observing 5 day week), will be eligible for this Non-PLB

(Ad-hoc Bonus) Payment. The amount of Non-PLB (ad-hoc bonus) payable will be (Rs.1200x30/30.4 i.e.Rs.1184.21 (rounded off to Rs.1184/-). In cases where the actual emoluments fall below Rs.1200/- p.m., the amount will be calculated on actual monthly emoluments.

(iv) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

(v) Various points regarding regulation of Ad-hoc / Non- PLB Bonus are given in the Annexure.

3. The expenditure on this account will be debitable to the respective Heads to which the pay and allowances of these employees are debited.

4. The expenditure to be incurred on account of Non-PLB (Ad-hoc Bonus) is to be met from within the sanctioned budget provision of concerned Ministries/Departments for the current year.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(B K Manthan)
Deputy Secretary.

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list etc.

Copy (with usual no. of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

FORM ITR-V	INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-2A, ITR-3, ITR-4S (SUGAM), ITR-4, ITR-5, ITR-7 transmitted electronically without digital signature] . (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year 2015.- 16.

PERSONAL INFORMATION AND THE DATE OF ELECTRONIC TRANSMISSION

Name			PAN
CENTRAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION			AAAJC0032G
Flat/Door/Block No	Name Of Premises/Building/Village		Form No. which has been electronically transmitted: ITR-5
CBWE,			
Road/Street/Post Office	Area/Locality		Status: Artificial Juridical Person
NORTH AMBAZARI ROAD,	NEAR VNIT GATE,		
Town/City/District	State	Pin	Aadhaar Number
NAGPUR	MAHARASHTRA	440033	
Designation of AO (Ward / Circle): WARD 1(1),NAGPUR			Original or Revised: ORIGINAL
E-filing Acknowledgement Number: 927807680110116			Date(DD-MM-YYYY): 11-01-2016

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross Total Income		1	0
2	Deductions under Chapter-VI-A		2	0
3	Total Income		3	0
a	Current Year loss, if any		3a	0
4	Net Tax Payable		4	0
5	Interest Payable		5	0
6	Total Tax and Interest Payable		6	0
7	Taxes Paid			
a	Advance Tax	7a 0		
b	TDS	7b 3210429		
c	TCS	7c 0		
d	Self Assessment Tax	7d 0		
e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c +7d)		7e	3210429
8	Tax Payable (6-7e)		8	0
9	Refund (7e-6)		9	3210430
10	Exempt Income	Agriculture Others	10	

VERIFICATION

I, BIMAL SARKAR son/ daughter of NARENDRA SARKAR, holding Permanent Account Number AKUPS2878Q solemnly declare to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto which have been transmitted electronically by me vide acknowledgement number mentioned above is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to income-tax for the previous year relevant to the assessment year 2015-16. I further declare that I am making this return in my capacity as Account Officer and I am also competent to make this return and verify it.

Sign here | Date 11-01-2016 | Place NAGPUR

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

For Office Use Only
Receipt No
Filed from IP address 117.198.83.225

Date

Seal and signature of receiving official

AAAJC0032G05927807680110116 66DA3907CF5D92E67DE99248B19E42288736B083

Please send the duly signed Form ITR-V to **"Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500"**, by **ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY, within 120 days** from date of transmitting the data electronically. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail address sushilchandwani.2015@rediffmail.com

FORM ITR-V	INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-2A, ITR-3, ITR-4S (SUGAM), ITR-4, ITR-5, ITR-7 transmitted electronically without digital signature] . (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year 2016.-17.

PERSONAL INFORMATION AND THE DATE OF ELECTRONIC TRANSMISSION

Name			PAN
CENTRAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION			AAAJC0032G
Flat/Door/Block No	Name Of Premises/Building/Village		Form No. which has been electronically transmitted: ITR-5
CBWE,			
Road/Street/Post Office	Area/Locality		
NORTH AMBAZARI ROAD,	NEAR VNIT GATE,		Status: Artificial Juridical Person
Town/City/District	State	Pin	Aadhaar Number
NAGPUR	MAHARASHTRA	440033	
Designation of AO (Ward / Circle): WARD 1(1),NAGPUR			Original or Revised: ORIGINAL
E-filing Acknowledgement Number: 535076150171116			Date(DD-MM-YYYY): 17-11-2016

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross Total Income			1	0
2	Deductions under Chapter-VI-A			2	0
3	Total Income			3	0
	a	Current Year loss, if any		3a	0
4	Net Tax Payable			4	0
5	Interest Payable			5	0
6	Total Tax and Interest Payable			6	0
7	Taxes Paid				
	a	Advance Tax	7a 0		
	b	TDS	7b 3208980		
	c	TCS	7c 0		
	d	Self Assessment Tax	7d 0		
	e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c+7d)		7e	3208980
8	Tax Payable (6-7e)			8	0
9	Refund (7e-6)			9	3208980
10	Exempt Income	Agriculture		10	
		Others			

VERIFICATION

I, Sanjukta Behera son/ daughter of KUMAR BATAKRUSHNA BI, holding Permanent Account Number ABOPB4271F solemnly declare to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto which have been transmitted electronically by me vide acknowledgement number mentioned above is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to income-tax for the previous year relevant to the assessment year 2016-17. I further declare that I am making this return in my capacity as Account Officer Incharge and I am also competent to make this return and verify it.

Sign here | Date 17-11-2016 | Place NAGPUR

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

For Office Use Only
Receipt No
Filed from IP address 182.74.191.190

Date

Seal and signature of receiving official

AAAJC0032G055350761501711169 79AD1B163B03715EEB6B52C45A1190FF49E0995

Please send the duly signed Form ITR-V to **"Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500"**, by **ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY, within 120 days** from date of transmitting the data electronically. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail address sushilchandwani.2015@rediffmail.com

FORM ITR-V	INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 transmitted electronically without digital signature] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year **2018-19**

PERSONAL INFORMATION AND THE DATE OF ELECTRONIC TRANSMISSION

Name			PAN
CENTRAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION			AAAJC0032G
Flat/Door/Block No	Name Of Premises/Building/Village		Form No. which has been electronically transmitted: ITR-5
CBWE,			
Road/Street/Post Office	Area/Locality		
NORTH AMBAZARI ROAD,	NEAR VNIT GATE,		Status: Artificial Juridical Person
Town/City/District	State	Pin/ZipCode	Aadhaar Number/ Enrollment ID
NAGPUR	MAHARASHTRA	440033	
Designation of AO (Ward / Circle): CIR EXEMP, NAGPUR			Original or Revised: ORIGINAL
E-filing Acknowledgement Number: 383790600011218			Date(DD-MM-YYYY): 01-12-2018

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross Total Income		1	0
2	Deductions under Chapter-VI-A		2	0
3	Total Income		3	0
a	Current Year loss, if any		3a	0
4	Net Tax Payable		4	0
5	Interest and Fee Payable		5	0
6	Total Tax, Interest and Fee Payable		6	0
7	Taxes Paid			
a	Advance Tax	7a 0		
b	TDS	7b 2986575		
c	TCS	7c 0		
d	Self Assessment Tax	7d 0		
e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c +7d)		7e	2986575
8	Tax Payable (6-7e)		8	0
9	Refund (7e-6)		9	2986580
10	Exempt Income	Agriculture / Others	10	

VERIFICATION

I, Sanjukta Behera son/ daughter of KUMAR BATAKRUSHNA BI, holding Permanent Account Number ABOPB4271F solemnly declare to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto which have been transmitted electronically by me vide acknowledgement number mentioned above is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to income-tax for the previous year relevant to the assessment year 2018-19. I further declare that I am making this return in my capacity as Account Officer Incharge and I am also competent to make this return and verify it.

Sign here: Date 01-12-2018 Place NAGPUR

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

For Office Use Only
Receipt No
Filed from IP address: 45.116.150.150
Date
Seal and signature of receiving official

AAAJC0032G05383790600011218047B7E30A3ED3F404A23DA7ACBC891A0E7D6FF5F

Please send the duly signed Form ITR-V to **"Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500"**, by **ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY, within 120 days** from date of transmitting the data electronically. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail address aohqcbwe@gmail.com

Received
18-11-20

O/c

FORM ITR-V	INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year 2019-20

PERSONAL INFORMATION AND THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

Name			PAN
CENTRAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION			AAAJC0032G
Flat/Door/Block No	Name Of Premises/Building/Village		Form Number: ITR-5
CBWE,			
Road/Street/Post Office	Area/Locality		
NORTH AMBAZARI ROAD,	NEAR VNIT GATE,		Status: Artificial Juridical Person
Town/City/District	State	Pin/ZipCode	Filed u/s
NAGPUR	MAHARASHTRA	440033	139(5)-Revised

Assessing Officer Details (Ward/Circle): DCIT/ACIT CIR-EXEMP, NAGP

e-Filing Acknowledgement Number: 323972350170320

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross Total Income		1	0
2	Total Deductions under Chapter-VI-A		2	0
3	Total Income		3	0
3a	Deemed Total Income under AMT/MAT		3a	0
3b	Current Year loss, if any		3b	0
4	Net Tax Payable		4	0
5	Interest and Fee Payable		5	0
6	Total Tax, Interest and Fee Payable		6	0
7	Taxes Paid			
a	Advance Tax	7a 0		
b	TDS	7b 339257		
c	TCS	7c 0		
d	Self Assessment Tax	7d 0		
e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c+7d)		7e	339257
8	Tax Payable (6-7e)		8	0
9	Refund (7e-6)		9	339260
10	Exempt Income	Agriculture Others	10	

VERIFICATION

I, Rajesh Vishnupant Banubakode son/ daughter of Vishnupant Banubakode, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number 323972350170320 is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as Authorised signatory and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number ABOPB4272G.

Sign here

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

For Office Use Only
Receipt No

Date of submission: 17-03-2020 14:39:42

Source IP address: 45.116.149.173

Seal and signature of receiving official

AAAJC0032G0532397235017032 0F1B112A348305FBEBABDC72E5D94C5CB765E21C5

Please send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITR-V to **"Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500"**, by **ORDINARY POST** / **SPEED POST ONLY**, so as to reach **within 120 days** from date of submission of ITR. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id aohyderec@gmail.com

On successful verification, the acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of filing the return.

THIS IS NOT A PROOF FOR HAVING FILED THE RETURN

Office copy
Please by
CA Chandrawanti
I/Tax Return
file
20/3/2020

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
31.03.2019 को तुलन पत्र

(राशि रु. में)

समग्र / पूँजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
समग्र / पूँजी निधि	1	120,272,357.19	118,226,285.21
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
उद्दिष्टत / स्थायी निधि	3, 3(क), 3(ख)& 3(ग)	290,311,032.48	321,043,174.44
प्राप्त ऋण एवं उधार	4		
अप्राप्त ऋण एवं उधार	5		
आस्थगित उधार देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	86,119,580.09	66,331,173.49
कुल		**496,702,969.76**	**505,600,633.14**
आस्तियाँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
अचल आस्तियाँ	8	57,823,507.36	64,054,806.36
निवेश–उद्दिष्टित / स्थाई निधि से	9	16,676,881.00	15,214,295.00
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	422,202,581.40	426,331,531.78
विविध व्यय (बट्टे में नहीं डाली गयी अथवा समायोजित नहीं की गयी)			
कुल		**496,702,969.76**	**505,600,633.14**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	25		

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़े)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान / सहायिकी	13	760251474.73	684015180.57
शुल्क / अंशदान	14	0	-
निवेशों से आय (निधि में हस्तांतरित उद्दिष्टित/स्थायी निधि से निवेश पर आय)	15	0	-
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	4773.00	2513.00
अर्जित ब्याज	17	1,267,608.00	1,169,673.00
अन्य आय	18	2,216,022.50	2,380,206.02
समायोजित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जमा	19	1146891.00	9879.00
मूल्यह्रास		6,509,468.00	7,359,514.00
पिछले वर्षों के लिए मूल्य-ह्रास		0.00	0.00
कुल (क)		**771396237.23**	**694936965.59**
व्यय			
राजस्व व्यय	20	760251474.73	684171989.32
योजना व्यय	21	0.00	0.00
आई.एल.ओ. व्यय	22	-	-
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं अन्य राजस्व व्यय	23	-	-
मूल्यह्रास (अनुसूची–8 के अनुरूप वर्ष की समाप्ति पर निवल योग)		6,509,468.00	7,359,514.00
पिछले वर्षों के लिए मूल्य-ह्रास		0.00	0.00
कुल (ख)		**766760942.73**	**691531503.32**
व्यय से आय अधिक होने से शेष (क–ख)			
विशेष आरक्षित में हस्तांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित से/को हस्तांतरण		-	-
अधिशेष/(घाटा) होने से समग्र/ पूँजी निधि में रखा गया शेष		4635294.50	3405462.27
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24	-	-
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणी	25	-	-

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़े)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनाँक 31/03/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 1–समग्र/पूँजी निधिः	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	118226285.21		147108247.42	
जोड़ें : समग्र / पूँजी निधि में अंशदान				
1. भवन	-		-	
2. मोटर एवं अन्य वाहन	-		-	
3. फर्नीचर्स	5,700.00			
4. कार्यालय उपकरण	231,400.00			
5. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स	38,069.00		3,500.00	
6. पुस्तकालय पुस्तकें				
7. दृश्य–श्रव्य–साधन				
8. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा	284,112.00			
9. वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम	120,000.00			
10. भवन निर्माण कार्य के लिए जमा				
11. आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित निवल आय शेष	4,635,294.50		3,405,462.27	
12. मंत्रालय को लौटाई गई पिछले वर्ष की समायोजित राशि	27,544.48			
13. वर्ष 2017–18 की बकाया भुगतान से के.लो.नि.वि. में जमा	2,359,717.00	127,928,716.19		145,190,129.78
14. पिछले वर्षों के लिए आय	1,997,594.00			
कुल	**127,928,716.19**	**127,928,716.19**	**150,517,209.60**	**145,190,129.78**
घटाएं :				
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा समायोजित/वापसी	1,146,891.00		9,879.00	
2. पिछले वर्ष के लिए मूल्यह्रास				
3. बट्टे खाते में डाली गई आस्तियाँ				
4. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	6,509,468.00		7,359,514.00	
5. पिछले वर्ष के लिए सहायता अनुदान समायोजन	-		-	
6. मंत्रालय को लौटाई गई	-		24,921,531.48	
कुल	**7,656,359.00**	**7,656,359.00**	**32,290,924.48**	**32,290,924.48**
वर्ष के अन्त में शेष	**120,272,357.19**	**120,272,357.19**	**118,226,285.21**	**112,899,205.30**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनाँक 31/03/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 2 – आरक्षिति एवं अधिशेष	चालू वर्ष की राशि		पिछले वर्ष की राशि	
1. आरक्षिति पूँजी : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ 2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियाँ 3. विशेष आरक्षिति : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ 4. सामान्य आरक्षिति : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3– उद्दिष्टत/स्थायी निधि	निधिवार ब्यौरा– चंदा		निधिवार ब्यौरा–स्वयंकोष निर्माण		कुल	कुल
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष	2165608.88	2029726.88	163464805.22	1556346362.22	165630414.10	149612317.10
ख) निधि में जोड़ः						
i) चंदा/अनुदान/निधि						
ii) ब्याज	129075.00	129963.00	7405453.00	8412819.00	7534528.00	8215541.00
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज	10456.00	94748.00	3461755.00	3891828.00	3472211.00	4563307.00
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
vi) घटाएंः प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	94748.00	88829.00	3891828.00	4474478.00	3986576.00	4726802.00
vii) घटाएंः प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)						
कुल (क+ख)	**2210391.88**	**2165608.88**	**170440185.22**	**163464805.22**	**172650577.10**	**165630414.10**
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– स्थिर आस्तियाँ						
– अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-		-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ ख+ग)	**2210391.88**	**2165608.88**	**170440185.22**	**163464805.22**	**172650577.10**	**165630414.10**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(क) – उद्दिष्टत/स्थायी निधि	गृह निर्माण अग्रिम लेखा		अन्य– सीटीपी लेखा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष	16457902.38	15201635.38	84274222.50	72379657.00	100732124.88	87581292.38
ख) निधि में जोड़ः						
i) चंदा/अनुदान/निधि			7541723.00	6999441.00	7541723.00	6999441.00
ii) ब्याज	1,273,621.00	1,270,735.00	5333436.50	4871915.50	6607057.50	6142650.50
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv)बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज	444,584.00	954,053.00	2842355.00	2750993.00	3286939.00	3705046.00
vi) प्रोद्भूत आय			705720.00	1007909.00	705720.00	1007909.00
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएंःपिछले वर्षो हेतु संशोधन प्रविष्टि						
vi) घटाएंः प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	954,053.00	968,521.00	2,750,993.00	2,997,093.00	3705046.00	3965614.00
vii) घटाएंः प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)			1007,909.00	738,600.00	1007909.00	738600.00
कुल (क+ख)	**17222054.38**	**16457902.38**	**96938555.00**	**84274222.50**	**114160609.38**	**100732124.88**
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– स्थिर आस्तियाँ						
– अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
–वेतन,मजदूरी एवं भत्ता इ.						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-		-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ ख+ग)	**17222054.38**	**16457902.38**	**96938555.00**	**84274222.50**	**114160609.38**	**100732124.88**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(ख) – उद्दिष्टत/ स्थायी निधि	सहायता अनुदान		मनरेगा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष	49700420.46	18707240.03	725077.00	725077.00	50425497.46	19432317.03
ख) निधि में जोड़ः						
i) चंदा/अनुदान/निधि	6143739.00	733700000.00			6146739.00	733700000.00
ii) ब्याज						
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv)बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज						
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएंःपिछले वर्षो हेतु संशोधन प्रविष्टि	21280494.73				21280494.73	
vi)घटाएंःप्रोद्भूत ब्याज(पिछले वर्ष)						
vii) घटाएं : समग्र पूंजी अनुसूची–1 में अंतरित राशि			725077.00		725077.00	
viii) घटाएं : चालू देतया अनुसूची–7 में अंतरित राशि	34566664.73	18688139.29			3456666.4.73	18688139.00
कुल (क+ख)	**0.00**	**733719101.03**	**0.00**	**725077.00**	**0.00**	**734444178.03**
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय						
1. पूँजी व्यय						
– स्थिर आस्तियाँ		3,500.00			-	3,500.00
– अन्य		0.00			-	0.00
कुल						
2. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.		563356808.75			-	563356808.75
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय		120658371.82			-	120658371.82
कुल (ग)	**0.00**	**684018680.57**	**-**	**-**	**0.00**	**684018680.57**
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	**0.00**	**49700420.46**	**0.00**	**725077.00**	**0.00**	**50425497.46**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(ग) – उद्दिष्टत/ स्थायी निधि	मेगा आयोजन		प्राप्त स्रोत पर कर कटौती की राशि		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष	948268.00	948268.00	3306870.00	3289200.00	4255138.00	4237468.00
ख) निधि में जोड़ः						
i) चंदा/अनुदान/निधि						
ii) ब्याज			189314.00		189314.00	
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज			21332.00	17670.00	21332.00	17670.00
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएंः पिछले वर्षो हेतु संशोधन प्रविष्टि						
vi) घटाएंः प्रोद्भूत ब्याज(पिछले वर्ष)			17670.00		17670.00	
vii) घटाएंः समग्र पूंजी अनुसूची–1 में अंतरित राशि	948268.00				948268.00	
viii) घटाएंःमंत्रालय द्वारा समायोजित						
कुल (क+ख)	**0.00**	**948268.00**	**3499846.00**	**3306870.00**	**3499846.00**	**4255138.00**
ग)निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– स्थिर आस्तियाँ						
– अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
–वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	**-**	**0.00**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	**0.00**	**948268.00**	**3499846.00**	**3306870.00**	**3499846.00**	**4255138.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनाँक 31/03/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 : प्राप्त ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान क) मियादी ऋण ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय 4. बैंक क) मियादी ऋण – प्रोद्भूत ब्याज एवं देय ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) – प्रोदभूत ब्याज एवं देय 5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण 6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र 7. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनाँक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 : अप्राप्त ऋृण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान 4. बैंक : क) मियादी ऋृण ख) अन्य ऋृण (उल्लेख करें) 5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण 6. ऋृणपत्र एवं बंधपत्र 7. मियादी जमा 8. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनाँक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 : आस्थगित उधार देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) पूँजीगत उपकरण एवं अन्य आस्तियों की मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	शून्य
ख) अन्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़े)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनाँक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 : चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क. नई पेंशन योजना खाते में अंतरित नई पेंशन योजना राशि	0.00		0.00	
ख. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम परिव्यय देयताएं	298,829.00		298,829.00	
ग. अवितरित राशि	10,315,237.29		8,593,347.29	
घ. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं / वसूल की गई राशि	-		3,738,436.00	
ड़. अन्य जमा	6,440,405.66		5,901,568.79	
च. विविध ऋृणदाता (उपदान/सेवानिवृत्ति लाभ)	33,409,176.00		47,158,709.00	
छ. बोर्ड द्वारा गृह निर्माण अग्रिम में अंतरित गृ.नि.अ. वसूली	1,089,267.41		640,283.41	
ज. अव्ययित सहायता अनुदान	34,566,664.73			
		86,119,580.09		66,331,173.49
कुल (क)	**86,119,580.09**	**86,119,580.09**	**66,331,173.49**	**66,331,173.49**
ख) प्रावधान				
1. कराधान हेतु				
2. उपदान				
3. अधिवर्षिता / पेंशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. संचित छुट्टी भुगतान				
5. व्यापार गारंटी/दावे – मैचिंग अनुदान				
कुल (क + ख)	**86,119,580.09**	**86,119,580.09**	**66,331,173.49**	**66,331,173.49**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 8: अचल आस्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यन्हास				नेट ब्लॉक	
	आरंभ में लागत /मूल्यांक	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के दौरान मूल्यांकन	प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष तक कुल	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
क. अचल आस्तियाँ										
1. भूमि	4,229,521.00		-	4,229,521.00					4,229,521.00	4,229,521.00
2. भवन 10%	48,002,540.01	-		48,002,540.01	4,800,254.00			4,800,254.00	43,202,286.01	48,002,540.01
दिल्ली भवन 0%	-	-		-	-			-	-	-
3. मोटर एवं अन्य वाहन 15%	594,178.17	-		594,178.17	89,127.00			89,127.00	505,051.17	594,178.17
4. फर्नीचर्स 10%	5,415,284.92	5,700.00		5,420,984.92	591,528.00	5,700.00		592,098.00	4,828,886.92	5,415,284.92
5. कार्यालय उपकरण 15%	4,641,867.24	234,400.00		4,876,267.24	696,280.00	35,160.00		731,440.00	4,144,827.24	4,641,867.24
6. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स 60%	163,021.36	38,069.00		201,090.36	97,813.00	22,841.00		120,654.00	80,436.36	163,021.36
7. पुस्तकालय पुस्तकें 60%	54,746.00			54,746.00	32,848.00			32,848.00	21,898.00	54,746.00
8. दृश्य–श्रव्य साधन 15%	953,647.66			953,647.66	143,047.00			143,047.00	810,600.66	953,647.66
योगः चालू वर्ष	**64,054,806.36**	**278,169.00**	**-**	**64,332,975.36**	**6,450,897.00**	**58,571.00**	**-**	**6,509,468.00**	**57,823,507.36**	**64,054,806.36**
पिछले वर्ष										
प्रगति में कार्य पूँजी	-									
कुल	**64,054,806.36**							**6,509,468.00**	**57,823,507.36**	**64,054,806.36**

हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(आर.वी.बानुबाकोड़ें)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(सी. एस. राव)
वित्तोय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(हर्ष वैद्य)
महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनाँक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 : उद्दिष्टत / स्थायी निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र	शून्य	शून्य
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें): पब्लिक सेक्टर बंधपत्र/		
निवेशः		
1) स्व.को.नि.	4,526,566.00	4,129,586.00
2) सीटीपी लेखा	7,834,495.00	7,147,409.00
3) गृह निर्माण अग्रिम खाता	4,315,820.00	3,937,300.00
कुल	**16,676,881.00**	**15,214,295.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर
नागपुर	नागपुर	नागपुर	

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनाँक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 10: निवेश : अन्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर	शून्य	शून्य
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें) पब्लिक सेक्टर बंधपत्र / राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा		
निवेश :		
कुल	**0.00**	**0.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनाँक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क) 1. वस्तु सूची :				
क. भण्डार एवं अतिरिक्त				
ख. अबद्ध उपकरण				
स. व्यापार में माल				
– तैयार माल				
– कार्य प्रगति				
– कच्चा माल				
2. विविध ऋृणी :				
क. छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋृण				
ख. अन्य				
3. हाथ रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	125548.75	125548.75	191673.30	191673.30
4. बैंक में शेष :				
क. अनुसूचित बैंकों में :				
– चालू खाता पर	66837350.68		129498528.17	
– जमा खाता पर (अतिरिक्त धन सहित)	236243620.00		222278450.00	
– बचत खाता पर	7410572.97	310491543.65	965705.47	352742684.64
ख. गैर–अनुसूचित बैंकों में :				
– चालू खाता पर				
– जमा खाता पर				
– बचत खाता पर				
5. पारगमन में प्रेषित धन	30903179.00	30903179.00	1910231.84	1910231.84
6. अं.श्र.सं. से देय राशि	-	-	-	-
7. बोर्ड के विशेष कार्यक्रम से देय राशि	-	-	-	-
कुल (क)	**341520271.40**	**341520271.40**	**354844589.78**	**354844589.78**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनाँक 31/3/2019 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ख. 1. ऋण				
क. कर्मचारी (1) वाहन एवं गृह निर्माण अग्रिम	762,233.00	762,233.00	953,159.00	953,159.00
ख. गतिविधियों/उद्देश्यों में समाहित अन्य संस्थाएं				
ग. अन्य (उल्लेख करें)				
2. नकद एवं माल के रूप में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि				
क. पूर्व भुगतान	28,369,972.00		26,873,034.00	
ख. अन्य	21,250.00	28,391,222.00	21,250.00	26,894,284.00
3. प्रोद्भूत आय :				
क. उद्दिष्टत / स्थायी निधि से निवेश पर	6,780,482.00	-	7,709,292.00-	-
ख. निवेशों पर – अन्य (गृ.नि.अ.)				
ग. ऋण एवं अग्रिम पर				
घ. अन्य (प्रबंधनों/सीटीपी लेखा से स्वयंकोष निर्माण) (अप्राप्य देय आय रु .....सहित)	705,720.00	7,486,202.00	1,007,909.00	8,717,201.00
4. प्राप्त होने वाले दावे				
क. सामान्य भविष्य निधि				
ख. नई पेंशन योजना				
ग. अनुदान, स्वं.को.नि., गृ.नि. अग्रिम एवं सी.टी.पी.खाता	44,042,653.00	44,042,653.00	34,922,298.00	34,922,298.00
ड. मंत्रालय से प्राप्त मैचिंग अनुदान		-		-
कुल (ख)	**80,682,310.00**	**80,682,310.00**	**71,486,942.00**	**71,486,942.00**
कुल (क+ख)	**422,202,581.40**	**422,202,581.40**	**426,331,531.78**	**426,331,531.78**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री	-	-
	शून्य	शून्य
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) अभिकरण आढ़त एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवा (उपस्कर /सम्पत्ति)	-	-
ड़) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
विज्ञापन आवति		
कुल	**शून्य**	**शून्य**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–19 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 – अनुदान/ सहायिकी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
क) योजना		
ख) गैर – योजना	-	-
ग) वेतन	616,300,000.00	563,200,000.00
घ) सामान्य	83,200,000.00	95,000,000.00
ड़) एससीएसपी	24,200,000.00	32,550,000.00
च) टीएसपी	11,100,000.00	16,950,000.00
छ) उत्तर–पूर्व	11,000,000.00	16,000,000.00
ज) उत्तर–पूर्व पूँजी	-	10,000,000.00
	745,800,000.00	**733,700,000.00**
जोडें : 1) पिछले वर्ष हेतु अव्ययित जमा	21,280,494.73	
2) भारत सरकार से स्वीकार्य अनुदान सहायता	-	-
	-	-
घटाएं : 1) अगले वर्ष हेतु चालू शेष		
2) चालू वर्ष हेतु अव्ययित शेष	6,146,739.00	49,681,319.43
3) पूँजी व्यय	682,281.00	3,500.00
4) (i) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता अनुदान	-	-
	-	-
कुल	**760,251,474.73**	**684,015,180.57**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिये आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. परिसंवाद / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी : प्रत्येक मद हेतु लेखा नीतियाँ प्रकट की जानी है

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/ वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में.)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	उद्दिष्टित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(निधि हेतु अंतरित उद्दिष्टत / स्थायी निधि से निवेश पर आय) 1. ब्याज क. सरकारी प्रतिभूतियों पर ख. अन्य बंधपत्रों/ऋण पत्रों पर 2. लाभांश क. शेयरों पर ख. म्युच्यूअल फण्ड प्रतिभूतियों पर 3. किराया 4. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उद्दिष्टित/स्थायी निधि में अंतरित				

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) प्रकाशनों से आय	4,773.00	2,513.00
2) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	**4,773.00**	**2,513.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आवधिक जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों से		
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों से		
ग) संस्थानों से		
घ) अन्य		
2. बचत खाते पर :		
क) अनुसूचित बैंकों से	1,267,608.00	1,169,673.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों से		
ग) डाक कार्यालय बचत खाता		
घ) अन्य		
3. ऋण पर :		
क) कर्मचारी/कर्मचारी वर्ग		
ख) अन्य		
4. कर्जदारों तथा अन्य प्राप्य पर ब्याज		
कुल	**1,267,608.00**	**1,169,673.00**

टिप्पणी : स्त्रोत पर कर कटौती को सूचित किया जाए।

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) आस्तियों की बिक्री / विक्रय पर लाभ :		
क) अनुदानों से अर्जित अथवा निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध प्राप्तियाँ	2,216,022.50	2,380,206.02
4) पिछले वर्षों की विविध आय से व्यय की गई राशि	-	-
<u>घटाए</u>:		
वर्ष के दौरान प्रयोग में लाई गई राशि	-	-
कुल	**2,216,022.50**	**2,380,206.02**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़े)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 –तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/ (–हास) तथा प्रगति में कार्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) अंतिम स्टॉक	रु.	रु.
– तैयार माल		
– प्रगति में कार्य लो.नि.वि. जमा समायोजित/ धन वापसी	1,146,891.00	9,879.00
ख) घटाएं : आरंभिक स्टॉक		
– तैयार माल		
– प्रगति में कार्य		
निवल वृद्धि / (–हास) (क – ख)	**1,146,891.00**	**9,879.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़े)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 – विवरण व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) कार्यालय व्यय :	राशि	राशि
क. वेतन	612,837,467.00	529,056,274.75
ख. सामान्य (कार्यालय व्यय एवं सामान्य)	99,715,444.73	78,993,104.17
ग. एससीएसपी	19,659,298.00	19,832,912.53
घ. टीएसपी	9,493,963.00	6,925,413.87
ड़. उत्तर पूर्व	11,893,668.00	10,682,466.00
च. सामान्य पूँजी		
छ. उत्तर–पूर्व पूँजी		
	753,599,840.73	645,490,171.32
स्थिर आस्तियाँ		
क. कार्यालय उपकरण	234,400.00	-
ख. फर्नीचर	5,700.00	-
ग. पुस्तकालय की पुस्तकें		
घ. दृश्य–श्रव्य साधन		
ड़. संगणक एवं उपकरण	38,069.00	3,500.00
च. भवन		
छ. भूमि और भवन/डब्ल्यू.आई.पी. के लिए जमा	284,112.00	
ज. मोटर वाहन		
झ. ऋण एवं अग्रिम	120,000.00	
घटाएं : स्थिर आस्तियाँ एवं अग्रिम	682,281.00	3,500.00
कुल	752,917,559.73	645,486,671.32
बकाया व्यय क) वेतन (सेवानिवृत्ति लाभ)	7,333,915.00	34,300,534.00
ख) सामान्य (कार्यालय व्यय एवं सामान्य)		4,384,784.00
कुल योग	**760,251,474.73**	**684,171,989.32**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

अनुलग्नक – I

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 – योजना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) कार्यालय व्यय :	राशि	राशि
	शून्य	शून्य
कुल	-	-

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रम व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) व्यय	-	-
ख) अव्ययित राशि से व्यय	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी : संस्थानों के नाम, उनकी गतिविधियों सहित अनुदान/ सहायिकी राशि प्रकट करें।		

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

2018–2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – के.लो.नि.वि. रखरखाव व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कार्यालय भवन के रखरखाव के लिए किया गया व्यय	-	-
कुल	**-**	**-**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

2018–2019 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 **समागम लेखाकरण**

पारम्परिक समागम लागत, यदि निश्चित नहीं हो तो, तथा लेख की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों, भा.श्र.शि.सं., मुंबई से प्राप्त प्राप्तियाँ एवं विवरण को मुख्यालय, नागपुर के साथ समाविष्ट करते हुए तैयार किया गया है। क्षेत्रीय निदेशालयों, भा.श्र.शि.सं., मंबई में लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली लागू नहीं की जा रहीं है, इसलिए वहाँ पर अलग से वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

2 **स्थिर आस्तियाँ**

स्थिर आस्तियों का अर्जन मूल्य बताया गया है जिसमें अर्जन से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा
आनुषंगिक व प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है।

3 **मूल्य-ह्रास**

आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार सरल प्रणाली में मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

4 **निवेश**

पारम्परिक लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया गया है।

5 **अनुदान**

सरकारी अनुदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखा मानक 12 का प्रयोग किया गया।

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

2018–2019 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 आकस्मिक देयताएं – शून्य

2 चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

1) प्रबंधन के मतानुसार चालू आस्तियाँ, ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य तभी है जब सामान्य व्यवसाय में उनकी वसूली अथवा कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल योग राशि समान हो।

2) वर्तमान संपत्तियों में माननीय जिला न्यायालय, नागपुर के पास बोर्ड की रु.3,44,22,287/- जमा शामिल हैं, जो 2014–15 के दौरान मेसर्स ऑनलाइन कम्प्यूटर, नागपुर द्वारा सीबीडब्ल्यूई (एमएसएमई अधिनियम, 2006) के खिलाफ मध्यस्थता संदर्भ में सं. बी3/39, 2012 के संबंध हैं।

3 कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय नहीं होने की दृष्टि से आयकर के प्रावधान को विचारार्थ नहीं लिया गया है।

4 जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों को पुनः समूहित/क्रमबद्ध किया गया है।

5 दिनांक 31.03.2019 तथा उस दिनाँक को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अनुसार बनी तुलनपत्र के साथ संबंधित 1–25 अनुसूचियों को संलग्न किया गया है।

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

31.3.2019 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I. रोकड़ जमा			I. व्यय		
क) हाथ रोकड़	191,673.30	101,382.55	क) गैर–योजना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	752,917,559.73	645,486,671.32
ख) बैंक शेष			ख) योजना व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)		
1. चालू खाते में	129,526,072.65	83,471,538.55	स) अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन व्यय (एच.आई.वी. परियोजना)		
2. जमा खाते में	237,492,745.00	212,612,078.00	घ) यू.बी.आई. – मनरेगा कार्यक्रम		
3. बचत खाते में	965,706.47	872,299.97	ङ.) विविध लेनदारों को प्रदत्त (सेवानिवृत्त लाभ एवं सीपीसी बकाया)	21,083,448.00	50,733,171.00
4. पारगमन राशि	1,910,231.84	51,634,778.82	च) विविध लेनदार को प्रदत्त		
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिये भुगतान की गई राशि		
क) भारत सरकार से	745,800,000.00	733,700,000.00	(प्रत्येक परियोजना की राशि पूरे विवरण सहित साथ ही परियोजना एवं		
ख) राज्य सरकार से			निधि के नाम का उल्लेख करें)		
स) अन्य स्त्रोतों से (विवरण) जैसे ओ.एन.जी.सी.	-	-	III. निवेश एवं जमा		
			क) उद्दिष्टत/ स्थायी निधि से		
			ख) स्वयं निधि से (निवेश अन्य)		
III. से निवेशों पर आय			IV. स्थिर आस्तियाँ एवं पूँजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क) उद्दिष्टत/स्थायी निधि	14,330,899.50	14,685,432.50	क) स्थिर आस्तियों की खरीद :	278,169.00	3,500.00
ख) स्वयं निधि (अन्य निवेश)					
				-	-
			ख) पूँजी कार्य प्रगति पर व्यय/सीपीडब्ल्यूई में जमा	284,112.00	
IV. प्राप्त ब्याज			V. अधिशेष धन / ऋणों की वापसी		
क) बैंक जमा पर			क) भारत सरकार को / अव्ययित वापसी		18,688,139.00
ख) ऋण, अग्रिम इ.			ख) राज्य सरकार को		24,921,531.48
V. अन्य आय (ब्यौरा दें)			VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
स्वयंकोष निर्माण (एस.जी.एफ.)			VII. अन्य भुगतान (ब्यौरा दें)		
चन्दा			क) सामान्य भविष्य निधि में जमा की गई सा.भ.नि. वसूलियाँ	61,446,629.00	48,421,426.00
सीटीपी लेखा	7,541,723.00	6,999,441.00	ख) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम जमा भुगतान	38,163,893.00	24,421,718.00
विविध प्राप्तियाँ	2,220,795.50	2,382,719.02	ग) गृह निर्माण अग्रिम संवितरित		
सीपीडब्ल्यूडी/ आईटीआई लि., द्वारा वापसी	1,146,891.00	9,879.00	घ) जमा भुगतान (गृ.नि.अ.खाता)		
VI. गृहीत राशि			ङ) बोर्ड द्वारा गृ.नि.अ. निधि में जमा की गई गृ.नि.अ. वसूलियाँ	-	-
VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ (ब्यौरा दें)			च) अदेय भुगतान वितरित	244,380.00	816,418.00
1. वेतन कटौतियाँ	759,910.00	588,252.00	छ) विविध लेनदारों को प्रदत्त	-	-
2. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं अग्रिम वसूली	48,609,742.00	44,882,750.00	ज) सी.टी.पी. खाते में जमा वेतन		
3. संवितरण के लिये प्राप्त राशि	40,836,519.87	25,860,804.00	झ) संवितरण के लिये प्राप्त राशि प्रदत्त	40,297,683.00	25,836,932.00
4. केन्द्रों द्वारा जमा की गई सामान्य भविष्य निधि राशि	38,163,893.00	24,421,718.00	ञ) संवितरित वाहन/संगणक अग्रिम	120,000.00	
5. प्राप्त अदेय भुगतान	2,290,519.00	2,684,472.17	ट) स्व.को.नि. खाते में जमा भुगतान	-	-
6. अनुदान खाता में बैंक द्वारा जमा ब्याज	1,267,608.00	1,169,673.00	ठ) नई पेंशन योजना के अंतर्गत टियर – 1 वसूलियाँ	4,634,821.00	3,734,150.00
7. बैंक से प्राप्त स्रोत पर कर कटौती राशि		3,289,200.00	ड) एस.बी.आई. गृ.नि.अ. खाते से स्रोत पर कर कटौती		
8. गृह निर्माण अग्रिम कोष खाता			ढ) एस.बी.आई. दान खाते से स्रोत पर कर कटौती		
क) गृह निर्माण अग्रिम खाते में जमा गृह निर्माण अग्रिम वसूलियाँ	-	-	ण) एस.बी.आई. स्व.को.नि. खाते से स्रोत पर कर कटौती		
ख) गृह निर्माण अग्रिम परिक्रमी कोष			त) एस.बी.आई. सी.टी.पी. खाते से स्रोत पर कर कटौती		
ग) कर्जदार/ बैंक से प्राप्त ब्याज			थ) शुल्क वापसी संबंधी सी.टी.पी. – डी.डी.		
9. केन्द्र द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की प्राप्ति/जमा			8. अंत शेष		
10. अंशदायी भविष्य निधि हेतु वसूल की गई राशि	4,612,917.00	3,756,123.00	क) हाथ रोकड़	125,548.75	191,673.30
(नई पेंशन योजना)			ख) बैंक शेष		
11. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (सा.भ.नि. लेखा)			i) चालू खाते में (अनुदान)	66,837,350.68	129,498,528.17
12. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (यू.बी.आई.)			ii) बचत खाते में	7,410,572.97	965,706.47
13. सामान्य भविष्य निधि वेतन वसूली			ग) जमा खाता	252,920,501.00	237,492,745.00
14. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (स्व को नि लेखा)			घ) पारगमन राशि	30,903,179.00	1,910,231.84
	1,277,667,847.13	**1,213,122,541.58**	कुल :	**1,277,667,847.13**	**1,213,122,541.58**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2018–2019 के लिए सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ			भुगतान		
राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019	राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019
रु.		रु.	रु.		रु.
	अथ शेष		1,593.00	बैंक कमीशन	
1,332,778.52	बचत खाता	8,576,312.52	0.00	चन्दा खाते से	2,059,046.00
254,468,218.00	जमा खाता	287,045,577.70	0.00		-
	पारगमन (ट्रांजिट) राशि	135,200.00			
			1,448,630.30	स्रोत पर कर कटौती	1,460,015.60
19,369,916.00	प्राप्त ब्याज	19,311,920.00	3,098,805.00	बोर्ड के खाते में अंतरित राशि	
	अंतरित अभिदान		26,598,859.00	प्रत्याहरण द्वारा	45,421,386.00
48,421,426.00	बोर्ड से	48,609,742.00			
72,000.00	कर्मचारी से	72,000.00		अंत शेष	
			8,576,312.52	बचत खाता	3,000,385.52
3,240,639.00	चन्दा खाता में बोर्ड से प्राप्त रशि	2,059,046.00	287,045,577.70	जमा खाता	326,677,467.10
		149,325.00			
		12,836,887.00	135,200.00	पारगमन (ट्रांजिट) राशि	177,710.00
326,904,977.52	**कुल**	**378,796,010.22**	**326,904,977.52**	**कुल**	**378,796,010.22**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
सामान्य भविष्य निधि आय व्यय विवरण लेखा
वर्ष 2018–2019

व्यय			आय		
राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019	राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019
रु.		रु.	रु.		रु.
21,160,116.00	प्रदत्त ब्याज	23,869,550.00	19,369,916.00	प्राप्त ब्याज	19,311,920.00
1,448,630.30	स्रोत पर कर कटौती	-			
1,593.00	बैंक कमीशन	-	6,787,663.00	जोड़ेंः प्रोदभूत ब्याज	9,108,764.00
			7,225,609.00	घटाऐंः प्रोदभूत ब्याज (पिछले वर्षों में)	6,787,663.00
	व्यय से अधिक आय				
			3,678,369.30	आय से अधिक व्यय	2,236,529.00
22,610,339.30	**कुल**	**23,869,550.00**	**22,610,339.30**	**कुल**	**23,869,550.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र

वर्ष 2018–2019

देयताऐं				आस्तियाँ			
राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019	राशि 2018–2019	राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019	राशि 2018–2019
1	2	3	4	5	6	7	8
रु.		रु.		रु.		रु.	रु.
				8576312.52	बैंक शेष		3000385.52
				135200.00	ट्रांजिट राशि		177710.00
5375098.01	पिछले वर्ष तक आय से अधिक आय	2039410.71		287045577.70	अनुलग्नक 4 के अनुसार निवेश		326677467.10
342682.00	जोड़ें : पिछले वर्ष समायोजन	1448630.30					
3678369.30	घटाएं : चालू वर्ष हेतु	2236529.00			प्राप्य टीडीएस 2017–18	1448630.30	
2039410.71			1251512.01		जोडेः वर्ष के दौरान	1460015.60	2908645.90
266486467.00	सा.भ.नि. अंशदान निधि	305659792.00					
44954750.00	जोड़ें : बोर्ड से प्राप्त होने वाला अंशदान	48681742.00		6787663.00	प्रोदभूत ब्याज		9108764.00
26598859.00	घटाएं : प्रत्याहरण	45421386.00					
21160116.00	जोड़ें : प्रदत्त ब्याज	23869550.00			बोर्ड के सा.भ.नि. खाते में जमा		
342682.00	जोड़ें : पिछले वर्ष समायोजन	0.00	332789698.00				
305,659,792.00							
				8834960.00	बोर्ड से प्राप्त होने वाली राशि	5154450.00	
				3680510.00	घटाएंः वर्ष के दौरान प्राप्त	12986212.00	
				5154450.00	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त		
						7831762.00	
			0.51				
0.51	स्वयं कोष निर्माण में अंतरणीय						
0.00	बोर्ड के खाते में अंतरणीय	7831762.00					
0.00		0.00	7831762.00				
			-				
	अंशदायी भविष्य निधि में बोर्ड का अंशदान जोड़ें : बोर्ड से प्राप्त होनेवाली राशि						
307699203.22	कुल		**341872972.52**	**307699203.22**	कुल		**341872972.52**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
जमा और बचत खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	ब्यौरा	31.3.2019 को	31.3.2019 को	31.3.2018 को	31.3.2018 को
		बचत खाता	जमा खाता	बचत खाता	जमा खाता
1	चन्दा	1,655.88	2,198,280.00	1,599.88	2,069,261.00
2	गृ.नि.अ. निधि	70,720.38	19,424,404.00	68,488.38	18,153,015.00
3	स्वयंकोष निर्माण	5,075,468.71	136,760,618.00	313,575.71	134,117,058.00
4	सीटीपी लेखा	2,262,728.00	91,058,685.00	582,042.00	79,864,211.00
5	स्रोत पर कर कटौती की वापसी	0.00	3,478,514.00	0.00	3,289,200.00
	कुल	**7,410,572.97**	**252,920,501.00**	**965,706.47**	**237,492,745.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़ें)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2019 को जमा गृह निर्माण अग्रिम विवरण

(राशि रु. में)

क्रं. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	गृ.नि.अ.	भा. स्टेट बैंक	35749771382	01 वर्ष	6.40%	3,405,128.00	05.05.2018	05.05.2019	3628342	42,345.00
2	गृ.नि.अ.	भा. स्टेट बैंक	35751766061	01 वर्ष	6.40%	9,483,188.00	06.05.2018	06.05.2019	10104834	119,569.00
3	गृ.नि.अ.	भा. स्टेट बैंक	31684092595	555 दिन	6.70%	4,315,820.00	28.10.2018	05.05.2020	4774260	175,908.00
4	गृ.नि.अ.	भा. स्टेट बैंक	35490011740	01 वर्ष	6.80%	2,220,268.00	06.01.2019	06.01.2020	2375140	106,762.00
			कुल योग			**19,424,404.00**				**444,584.00**

हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(आर.वी.बानुबाकोड़ें)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(सी. एस. राव)
वित्तोय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(हर्ष वैद्य)
महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2019 को जमा चन्दा का ब्यौरा

क्रं. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	अंशदान	भा.स्टेट बैंक	30155784880	01 वर्ष 01 दिन	6.40%	152700.00	10.4.2018	11.4.2019	162738	1237.00
2	अंशदान	भा.स्टेट बैंक	37850857076	01 वर्ष	6.70%	2045580.00	2.8.2018	2.8.2019	2186116	9219.00
			कुल योग			**2198280.00**				**10456.00**

हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(आर.वी.बानुबाकोड़ें)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(सी. एस. राव)
वित्तोय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(हर्ष वैद्य)
महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2019 को जमा स्वंयकोष निर्माण का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्रं. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35743290149	1 वर्ष	6.40%	5,561,712.00	2.5.2018	2.5.2019	5926296	66,277.00
2	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35743289098	1 वर्ष	6.40%	5,675,214.00	2.5.2018	2.5.2019	6047238	67,630.00
3	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35745606061	1 वर्ष	6.40%	5,675,215.00	3.5.2018	3.5.2019	6047239	68,611.00
4	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35745604586	1 वर्ष	6.40%	5,561,711.00	3.5.2018	3.5.2019	5926295	67,239.00
5	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35747156585	1 वर्ष	6.40%	3,654,647.00	4.5.2018	4.5.2019	3894218	44,816.00
6	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34053240121	1 वर्ष	6.70%	4,235,685.00	13.8.2018	13.8.2019	4526686	121,480.00
7	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	33207734557	1 वर्ष	6.70%	1,992,526.00	13.8.2018	13.8.2019	2129417	57,145.00
8	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197907570	1 वर्ष	6.70%	1,002,885.00	1.9.2018	1.9.2019	1071785	31,585.00
9	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197905062	1 वर्ष	6.70%	1,002,885.00	1.9.2018	1.9.2019	1071785	31,585.00
10	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197905890	1 वर्ष	6.70%	1,002,885.00	1.9.2018	1.9.2019	1071785	31,585.00
11	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197903961	1 वर्ष	6.70%	1,002,885.00	1.9.2018	1.9.2019	1071785	31,585.00
12	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	36094119421	1 वर्ष	6.70%	3,215,941.00	8.9.2018	8.9.2019	3436883	104,886.00
13	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	37933803255	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	10.9.2018	10.9.2019	5236641	18,582.00
14	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	3793311165	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	10.9.2018	10.9.2019	5236641	18,582.00
15	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	37936137359	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	11.9.2018	11.9.2019	5236641	18,490.00
16	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	37936135884	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	11.9.2018	11.9.2019	5236641	18,490.00
17	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	37938935425	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	12.9.2018	12.9.2019	5236641	18,397.00
18	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	37938937284	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	12.9.2018	12.9.2019	5236641	18,397.00
19	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	37944123460	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	14.9.2018	14.9.2019	5236641	18,213.00
20	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	37944122853	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	14.9.2018	14.9.2019	5236641	18,213.00
21	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34434706816	1 वर्ष	6.70%	4,303,407.00	15.11.2018	15.11.2019	4599061	174,734.00
22	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	33498509345	1 वर्ष	6.70%	9,445,717.00	15.11.2018	15.11.2019	10094659	383,531.00
23	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35410594066	1 वर्ष	6.70%	6,000,937.00	14.12.2018	14.12.2019	6419525	268,670.00
24	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35410594282	1 वर्ष	6.80%	5,880,918.00	14.12.2018	14.12.2019	6291134	263,296.00
25	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35408087094	1 वर्ष	6.80%	6,000,937.00	14.12.2018	14.12.2019	6419525	268,670.00
26	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35408096756	1 वर्ष	6.80%	5,880,918.00	14.12.2018	14.12.2019	6291134	263,296.00
27	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	32084674287	1 वर्ष	6.80%	8,127,624.00	14.12.2018	14.12.2019	8694556	363,884.00
28	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35412957940	1 वर्ष	6.80%	309,580.00	15.12.2018	15.12.2019	331174	13,906.00
29	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35412956924	1 वर्ष	6.80%	309,580.00	15.12.2018	15.12.2019	331174	13,906.00
30	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	31669981389	555	6.70%	4,526,566.00	18.10.2018	18.10.2020	5007392	177,184.00
31	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34740902209	1 वर्ष	6.80%	7,190,243.00	26.2.2019	26.2.2020	7691789	398,890.00
			कुल योग			**136760618.00**				**3461755.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़े)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तोय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,**
नागपुर	**नागपुर**	**नागपुर**	**नागपुर**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2019 को सामान्य भविष्य निधि निवेश का विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	विवरण	निवेशित राशि
1	2	3
1	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा	39,349,925.00
2	राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा	287,327,542.10
	कुल	**326,677,467.10**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/03/2019 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	खाता संख्या	निवेशित राशि
1	विशेष जमा	एस.डी.एस. – 6	39,349,925.00

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2019 को सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	सा.भ.नि.	आईडीबीआई बैंक	0002-10341060000	1 वर्ष	6.70%	7,159,062.10	6.5.2018	6.5.2019	7,654,669.00	488,949.00
2	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35032720579	1 वर्ष	6.70%	6,706,033.00	27.6.2018	27.6.2019	7,163,229.00	142,896.00
3	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35032718628	1 वर्ष	6.70%	6,706,033.00	27.6.2018	27.6.2019	7,163,229.00	142,896.00
4	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32456975368	1 वर्ष	6.70%	3,333,905.00	31.7.2018	31.7.2019	3,348,490.00	88,253.00
5	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37844872264	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	31.7.2018	31.7.2019	5,236,641.00	22,273.00
6	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37844871599	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	31.7.2018	31.7.2019	5,236,641.00	22,273.00
7	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37847575495	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	1.8.2018	1.8.2019	5,236,641.00	22,178.00
8	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37847574093	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	1.8.2018	1.8.2019	5,236,641.00	22,178.00
9	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35980280253	1 वर्ष	6.70%	5,553,506.00	1.8.2018	1.8.2019	5,935,044.00	37,447.00
10	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35121878365	1 वर्ष	6.70%	149,366.00	1.8.2018	1.8.2019	159,628.00	3,989.00
11	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37930109610	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	7.9.2018	7.9.2019	5,236,641.00	18,859.00
12	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37930108935	1 वर्ष	6.70%	4,900,000.00	7.9.2018	7.9.2019	5,236,641.00	18,859.00
13	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34174367627	1 वर्ष	6.70%	9,446,734.00	9.9.2018	9.9.2019	10,095,746.00	309,609.00
14	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37933812136	1 वर्ष	6.70%	1,100,000.00	10.9.2018	10.9.2019	1,175,572.00	4,172.00
15	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34303159385	1 वर्ष	6.70%	5,212,558.00	13.10.2018	13.10.2019	5,570,672.00	193,181.00
16	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34303154343	1 वर्ष	6.70%	5,212,558.00	13.10.2018	13.10.2019	5,570,672.00	193,181.00
17	सा.भ.नि.	यूनियन बैंक	479003030092409	1 वर्ष	6.70%	8,008,253.00	19.10.2018	19.10.2019	8,562,649.00	521,176.00
18	सा.भ.नि.	यूनियन बैंक	479003030088410	1 वर्ष	6.70%	8,008,254.00	19.10.2018	19.10.2019	8,562,649.00	521,176.00
19	सा.भ.नि.	यूनियन बैंक	479003030088198	1 वर्ष	6.70%	8,291,398.00	19.10.2018	19.10.2019	8,865,394.00	539,602.00
20	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	38025103916	1 वर्ष	6.70%	3,500,000.00	22.10.2018	22.10.2019	3,740,458.00	10,433.00
21	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34406052593	1 वर्ष	6.70%	5,431,766.00	11.11.2018	11.11.2019	5,804,941.00	217,291.00
22	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34406016269	1 वर्ष	6.70%	6,496,087.00	11.11.2018	11.11.2019	6,942,383.00	259,868.00
23	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	38106494147	1 वर्ष	6.80%	4,500,000.00	4.12.2018	4.12.2019	4,813,892.00	10,018.00
24	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	31693038150	1 वर्ष	6.70%	8,230,006.00	3.11.2018	3.11.2019	9,105,893.00	343,521.00
25	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	3539997947	1 वर्ष	6.80%	6,000,887.00	9.12.2018	9.12.2019	6,419,471.00	264,322.00
26	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35399981001	1 वर्ष	6.80%	5,880,869.00	9.12.2018	9.12.2019	6,291,082.00	259,036.00
27	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412932696	1 वर्ष	6.80%	936,123.00	10.12.2018	10.12.2019	1,001,421.00	41,370.00
28	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35401177532	1 वर्ष	6.80%	6,000,925.00	13.12.2018	13.12.2019	6,419,512.00	267,800.00
29	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35401177893	1 वर्ष	6.80%	5,880,907.00	13.12.2018	13.12.2019	6,419,122.00	262,444.00
30	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412933316	1 वर्ष	6.80%	936,208.00	14.12.2018	14.12.2019	1,001,512.00	41,916.00
31	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34506666485	1 वर्ष	6.80%	3,206,310.00	14.12.2018	14.12.2019	3,429,962.00	143,551.00
32	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35405683964	1 वर्ष	6.80%	6,000,937.00	14.12.2018	14.12.2019	6,419,525.00	268,670.00
33	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35405684991	1 वर्ष	6.80%	5,880,918.00	14.12.2018	14.12.2019	6,291,134.00	263,296.00
34	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412934229	1 वर्ष	6.80%	936,231.00	15.12.2018	15.12.2019	1,001,537.00	42,052.00
35	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32718970013	1 वर्ष	6.80%	7,565,093.00	19.12.2018	19.12.2019	8,092,786.00	344,176.00
36	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36331360154	1 वर्ष	6.80%	5,511,806.00	20.12.2018	20.12.2019	5,896,275.00	34,709.00
37	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36331339814	1 वर्ष	6.80%	5,624,293.00	20.12.2018	20.12.2019	6,016,608.00	35,417.00
38	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36335506317	1 वर्ष	6.80%	5,624,298.00	21.12.2018	21.12.2019	6,436,295.00	35,403.00
39	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36335489233	1 वर्ष	6.80%	5,511,812.00	21.12.2018	21.12.2019	6,307,569.00	34,695.00
40	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35439359734	1 वर्ष	6.80%	6,001,103.00	28.12.2018	28.12.2019	6,419,702.00	280,842.00
41	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35439360422	1 वर्ष	6.80%	5,881,081.00	28.12.2018	28.12.2019	6,291,308.00	275,226.00
42	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442537566	1 वर्ष	6.80%	936,564.00	29.12.2018	29.12.2019	996,486.00	43,965.00
43	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35431254117	1 वर्ष	6.80%	6,001,103.00	28.12.2018	28.12.2019	6,419,702.00	280,842.00
44	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35431255031	1 वर्ष	6.80%	5,881,081.00	28.12.2018	28.12.2019	6,291,308.00	275,226.00
45	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442539290	1 वर्ष	6.25%	936,564.00	29.12.2018	29.12.2019	996,486.00	43,965.00
46	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35426667915	1 वर्ष	6.80%	6,001,103.00	28.12.2018	28.12.2019	6,419,702.00	280,842.00
47	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35426668635	1 वर्ष	6.80%	5,881,081.00	28.12.2018	28.12.2019	6,291,308.00	275,226.00
48	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442538854	1 वर्ष	6.25%	936,564.00	29.12.2018	29.12.2019	9,964,486.00	43,965.00
49	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35424672983	1 वर्ष	6.80%	6,001,103.00	28.12.2018	28.12.2019	6,419,702.00	280,842.00
50	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35424673908	1 वर्ष	6.80%	5,881,081.00	28.12.2018	28.12.2019	6,291,308.00	275,226.00
51	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442538297	1 वर्ष	6.25%	231,960.00	29.12.2018	29.12.2019	246,801.00	10,889.00
52	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34552534703	1 वर्ष	6.80%	2,462,799.00	28.12.2018	28.12.2019	2,634,588.00	115,256.00
53	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	38195920807	1 वर्ष	6.80%	6,030,270.00	18.1.2019	18.1.2020	6,450,904.00	8,316.00
54	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	38216166879	1 वर्ष	6.80%	5,154,450.00	28.1.2019	28.1.2020	5,513,992.00	6,134.00
55	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37615580230	1 वर्ष	6.80%	3,281,613.00	27.3.2019	27.3.2020	3,510,518.00	20,347.00
56	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37614735323	1 वर्ष	6.80%	5,294,963.00	26.3.2019	26.3.2020	5,664,306.00	32,840.00
57	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37614735753	1 वर्ष	6.80%	6,353,954.00	26.3.2019	26.3.2020	6,797,166.00	39,408.00
58	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37614716923	1 वर्ष	6.80%	4,235,969.00	26.3.2019	26.3.2020	4,531,444.00	26,272.00
			कुल योग			**287327542.10**				**9108764.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2019 को राष्ट्रीयकृत बैंक सहित सी.टी.पी. लेखा जमा का विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35746991323	1 वर्ष	6.40%	6,810,258.00	4.5.2018	4.5.2019	7,256,687.00	83,511.00
2	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35749772126	1 वर्ष	6.40%	7,834,032.00	5.5.2018	5.5.2019	8,347,572.00	97,421.00
3	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	33049854690	1 वर्ष	6.65%	7,857,108.00	10.6.2018	10.6.2019	8,392,780.00	145,175.00
4	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35970177372	1 वर्ष	6.65%	5,666,819.00	24.7.2018	24.7.2019	6,053,165.00	144,274.00
5	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	33989292878	1 वर्ष	6.65%	3,947,677.00	24.7.2018	24.7.2019	4,216,817.00	100,505.00
6	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	33989290676	1 वर्ष	6.65%	679,478.00	24.7.2018	24.7.2019	725,803.00	17,300.00
7	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35973410490	1 वर्ष	6.65%	5,553,485.00	25.7.2018	25.7.2019	5,932,104.00	142,298.00
8	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35115108213	1 वर्ष	6.75%	3,651,940.00	31.7.2018	31.7.2019	3,667,916.00	96,673.00
9	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35121870739	1 वर्ष	6.70%	1,002,454.00	1.8.2018	1.8.2019	1,071,325.00	26,761.00
10	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	36138526677	1 वर्ष	6.70%	4,982,608.00	29.9.2018	29.9.2019	5,324,924.00	179,246.00
11	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	31669956953	1 वर्ष	6.70%	7,834,495.00	18.10.2018	25.4.2020	8,666,700.00	306,667.00
12	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	37288026437	1 वर्ष	6.70%	3,701,290.00	8.11.2018	8.11.2019	3,955,577.00	146,400.00
13	सीटीपी–जी	विजया बैंक	50670331100179	1 वर्ष	6.80%	5,873,802.00	10.1.2019	10.1.2020	6,283,522.00	376,139.00
14	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	36548640588	1 वर्ष	6.80%	3,712,165.00	16.2.2019	16.2.2020	3,971,102.00	200,456.00
15	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	38327712199	1 वर्ष	6.80%	6,000,000.00	15.3.2019	15.3.2020	6,418,522.00	1,885.00
16	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	37614679015	1 वर्ष	6.80%	3,706,473.00	26.3.2019	26.3.2020	3,965,013.00	22,988.00
17	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35664282843	1 वर्ष	6.80%	4,808,004.00	30.3.2019	30.3.2020	5,143,380.00	296,210.00
18	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	35664284432	1 वर्ष	6.80%	5,409,005.00	30.3.2019	30.3.2020	5,786,303.00	333235.00
19	सीटीपी–जी	भारतीय स्टेट बैंक	36729987876	1 वर्ष	6.80%	2,027,592.00	31.3.2019	31.3.2020	2,169,024.00	125211.00
			कुल योग			**91058685.00**				**2842355.00**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	(आर.वी.बानुबाकोड़ें)	(सी. एस. राव)	(हर्ष वैद्य)
लेखापाल	प्रभारी लेखा अधिकारी	वित्तोय सलाहकार	महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर	नागपुर	नागपुर	नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2019 को टीडीएस जमा चन्दा का ब्यौरा

क्रं. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परि–पक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) वापस हुई राशि	भा.स्टेट बैंक	37559315081	01 वर्ष	6.80%	3,478,514.00	26.2.2019	26.2.2020	3721153.00	21,332.00
			कुल योग			**3,478,514.00**				**21,332.00**

हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(आर.वी.बानुबाकोड़ें)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(सी. एस. राव)
वित्तोय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

हस्ता/–
(हर्ष वैद्य)
महा निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

वर्ष 2018–19 के लिए नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

	प्राप्तियाँ		भुगतान		
राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019	राशि 2017–2018	विवरण	राशि 2018–2019
रु.		रु.	रु.		रु.
73230.15	अथ शेष बचत खाता	80946.15			
4132.00	पारगमन में प्रेषित	4132.00			
7716.00	प्राप्त ब्याज	6921.00	7468300.00	नई पेंशन योजना ट्रस्ट खाते में अंतरित राशि	9281084.00
				अंतशेष	
3734150.00	टियर–1 में कर्मचारी का अंशदान	4634821.00			
3734150.00	टियर–1 में बोर्ड का अंशदान	4634821.00	80946.15	बचत खाता जमा खाता	76425.15
-		-	4132.00	पारगमन में प्रेषित धन	4132.00
7553378.15	कुल	**9361641.15**	**7553378.15**	कुल	**9361641.15**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. के. बेहरा)	**(आर.वी.बानुबाकोड़े)**	**(सी. एस. राव)**	**(हर्ष वैद्य)**
लेखापाल	**प्रभारी लेखा अधिकारी**	**वित्तीय सलाहकार**	**महा निदेशक**
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**	**द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर**

साठवीं
वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

वी.एन.आय.टी. गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,

नागपुर– 440 033.